वार्षिक रिपोर्ट
2011-12

मॉयल लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

इस्पात को **शक्तिशाली** बनायें

दृष्टिकोण लक्ष्य एवं उद्देश्य

स्वर्ण जयंती
2011-12

दृष्टिकोण/लक्ष्य

- उपलब्ध कौशल/प्रतिभा का उपयोग और उन्नयन के माध्यम से दुनिया की उत्तम मैंगनीज खनन कंपनियों में से एक बनना।
- संयुक्त उद्यमों/प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से मूल्य वर्धन को ध्यान में रखते हुए सभी संभावित क्षेत्रों में विश्व स्तर पर कंपनी की गतिविधियों का विस्तार करना।

उद्देश्य

- भारत के मैंगनीज उद्योग बाजार में अपनी अग्रणी प्रतिष्ठा को बनाए रखना।
- सभी पदधारियों की संतुष्टि के लिए पर्याप्त अधिशेषों को उत्पन्न करना तथा सबसे अच्छा लाभांश सुनिश्चित करना।
- सभी स्तर पर मैंगनीज अयस्क और संबंधित उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए तथा गुणवत्ता पूर्ण सामग्री और सेवाओं को तत्काल प्रदान करके ग्राहकों के समाधान में वृद्धि करना।
- अनुसंधान एवं विकास तथा नई प्रौद्योगिकी को अंगीकार करके निम्न एवं मध्यम श्रेणी अयस्कों के उन्नयन के लिए खनन और परिष्करण प्रणाली का विविधीकरण और आधुनिकीकरण करना और मूल्य वर्धन के माध्यम से विकास को प्राप्त करना।

  (ए) मानवीय और भौतिकीय दोनों संसाधनों का इष्टतम उपयोग करके उत्पादकता, क्षमता उपयोग एवं लागत प्रभावशीलता में सुधार लाना।

  (बी) फेरो मैंगनीज संयंत्र के लिए लागत प्रभावी किफायती बिजली सेवाओं की सभी संभावनाओं का पता लगाना।
- खनन क्षेत्रों को स्वच्छ, हरा-भरा तथा पर्यावरण अनुकूल बनाना।
- सुरक्षा के तरीकों में और सुधार करके शून्य दुर्घटना दर हासिल करने के प्रयास करना।
- उद्योग से जुड़े कर्मचारियों तथा अन्य पदधारियों का उत्तम जीवन-स्तर सुनिश्चित करना।

विषय सूची

अध्यक्ष का वक्तव्य 05

अनुलग्नक के साथ निदेशक की रिपोर्ट 07

निगमित शासन रिपोर्ट 25

प्रबंधकीय विवेचन तथा विश्लेषण रिपोर्ट 39

निगमित शासन पर अनुपालन प्रमाणपत्र 45

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट 47

वार्षिक लेखा

तुलन पत्र 50

लाभ हानि लेखा 51

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ 52

लेखा पर टिप्पणियाँ 55

नकद प्रवाह विवरण 69

व्यापार खण्डों के बारे में जानकारी 70

सामाजिक सुविधाओं का विवरण 71

सदस्यों को महत्वपूर्ण संसूचना

कंपनियों द्वारा पेपर रहित अनुपालन की अनुमति के द्वारा निगमित मामलों के मंत्रालय ने "निगमित अधिशासन में नई पहल" की है तथा परिपत्र जारी कर कहा कि वार्षिक रिपोर्ट के साथ साथ सूचना / दस्तावेज ई-मेल द्वारा सदस्यों को भेजे जा सकते है। सरकार के इस नई पहल को पूरी तरह से सहायता करने के लिए जिन्होंने अपना ई-मेल पता अब तक पंजीकृत नहीं किया है, उन सदस्यों से अनुरोध है कि वे उनके संबंधी डिपॉजटरी भागीदार के माध्यम से डिपॉजटरी के पास इलेक्ट्रानिक होल्डिंग्स के संबंध में अपना ई-मेल पता पंजीकृत करें। भौतिकी रूप से अंशधारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे इसे मॉयल लिमिटेड या हमारे आर एण्ड टी एजेंट (मेसर्स बीग शेअर सर्विसेस प्रा. लि.) के पास पंजीकृत करें ताकि कंपनी प्रिंटेड कॉपी के बदले ई-मेल द्वारा वार्षिक रिपोर्ट भेज सके।

निदेशक मंडल

श्री के. जे. सिंह
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

सरकारी निदेशक

डॉ. दलिप सिंह

डॉ. के. शिवाजी

श्री एस. के. मिश्रा

स्वतंत्र निदेशक

डॉ. सुधीर के भट्टाचार्या

श्री विजय काले

डॉ. मधु विज

श्री संजीव नारायण

श्री एच. सी. डिसोडिया

श्री बाल किशन गुप्ता

डॉ. डी. डी. कौशिक

कार्यकारी निदेशक

श्री एम.ए.वी. गौतम
निदेशक (वित्त)

श्री ए. के. मेहरा
निदेशक (वाणिज्य)

श्री जी. पी. कुदरगी
निदेशक (उत्पादन एवं योजना)

प्रधान निगरानी अधिकारी

श्री प्रदीप गुप्ता,
आयपीएस

वरीष्ठ कार्यकारी

श्री डी. शोमे,
इ.डी.(यांत्रिक)

श्री वी. आर. सेनगुप्ता,
जी.एम.(को-ऑर्डिनेशन)

श्री एम.डी. सोराठीया,
जी.एम.(सुरक्षा आणि पर्यावरण)

श्री एम. पी. चौधरी,
जी.एम.(अर्थ)

कंपनी सचिव

श्री नीरज डी. पांडे

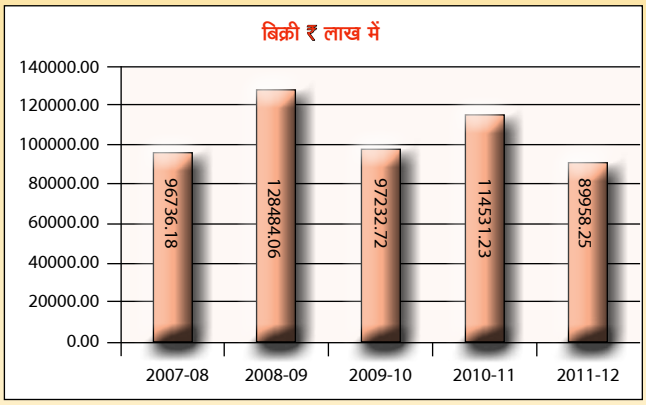
बिक्री ₹ लाख में
140000.00
120000.00
100000.00
80000.00
60000.00
40000.00
20000.00
0.00
96736.18
128484.06
97232.72
114531.23
89958.25
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12

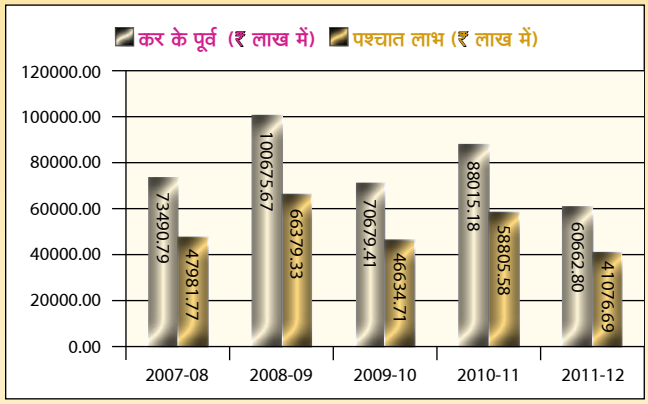
कर के पूर्व (₹ लाख में)
पश्चात लाभ (₹ लाख में)
120000.00
100000.00
80000.00
60000.00
40000.00
20000.00
0.00
73490.79
47981.77
100675.67
66379.33
70679.41
46634.71
88015.18
58805.58
60662.80
41076.69
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12

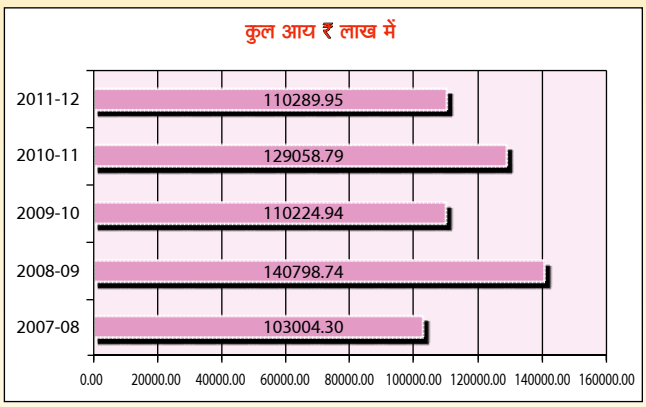
कुल आय ₹ लाख में
2011-12
2010-11
2009-10
2008-09
2007-08
110289.95
129058.79
110224.94
140798.74
103004.30
0.00
20000.00
40000.00
60000.00
80000.00
100000.00
120000.00
140000.00
160000.00

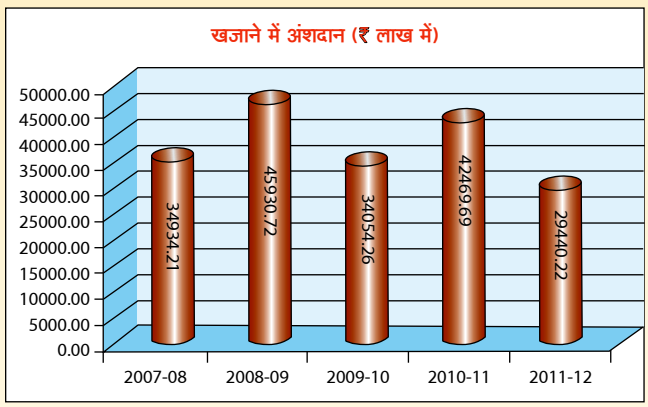
खजाने में अंशदान (₹ लाख में)
50000.00
45000.00
40000.00
35000.00
30000.00
25000.00
20000.00
15000.00
10000.00
5000.00
0.00
34934.21
45930.72
34054.26
42469.69
29440.22
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12

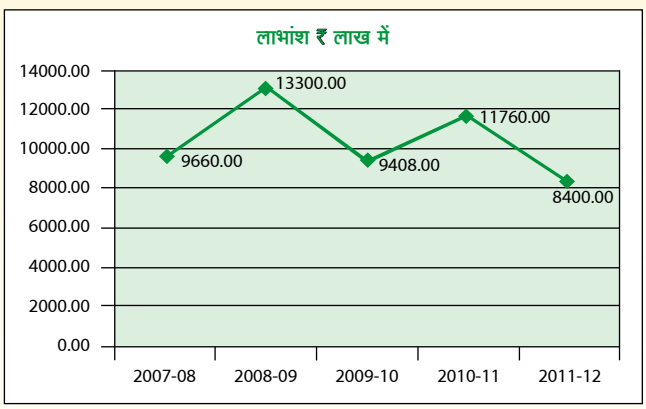
लाभांश ₹ लाख में
14000.00
12000.00
10000.00
8000.00
6000.00
4000.00
2000.00
0.00
9660.00
13300.00
9408.00
11760.00
8400.00
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12

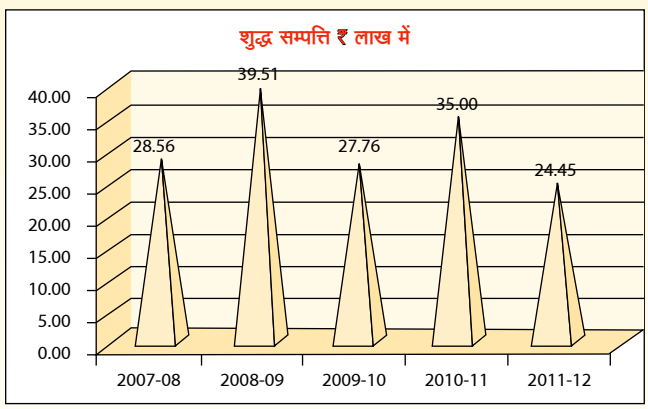
शुद्ध सम्पत्ति ₹ लाख में
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
28.56
39.51
27.76
35.00
24.45
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12

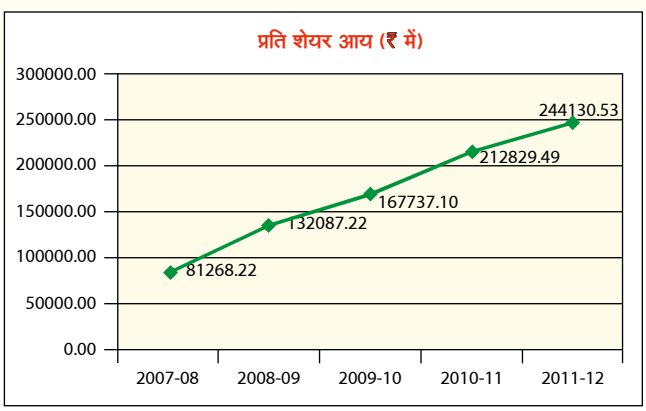
प्रति शेयर आय (₹ में)
300000.00
250000.00
200000.00
150000.00
100000.00
50000.00
0.00
81268.22
132087.22
167737.10
212829.49
244130.53
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12

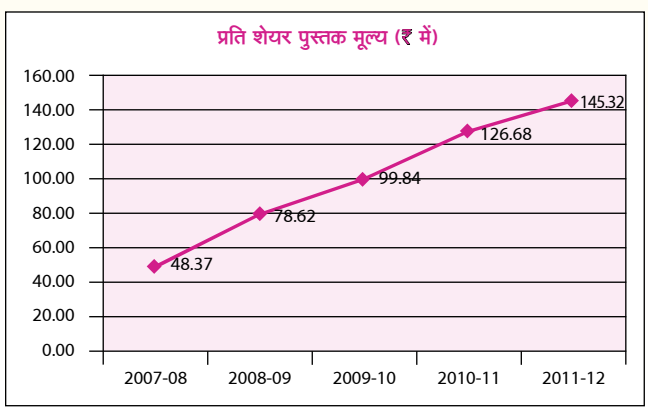
प्रति शेयर पुस्तक मूल्य (₹ में)
160.00
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
48.37
78.62
99.84
126.68
145.32
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12

अध्यक्ष का वक्तव्य

प्रिय शेयर धारकों,

आपकी कंपनी के स्वर्ण जयंती वर्ष और 50वीं वार्षिक सर्वसाधारण सभा के अवसर पर आपसे संवाद करते हुए तथा वित्तीय वर्ष 2011-12 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यधिक गौरव एवं हर्ष की अनुभूति हो रही है।

वर्ष 2011-12 आपकी कंपनी का स्वर्ण जयंती वर्ष है और इस अवसर पर मैं इस कंपनी के सभी कर्मचारियों, पणधारियों, सहयोगियों और उन सभी लोगों को बधाई देता हूँ जिन्होंने इस महत्वपूर्ण संगठन की सफलता में अपना योगदान दिया है। अपनी स्थापना से लेकर 50 वर्षों की इस लंबी यात्रा के दौरान आपकी कंपनी ने कई चुनौतियों का सामना किया है और हर समय वह अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण तथा अपने वर्तमान और भूतपूर्व दोनों प्रबंधन द्वारा अंगीकृत व्यावहारिक दृष्टिकोण के माध्यम से सफलतापूर्वक सामने आया है।

वर्ष 2011-12 मॉयल के लिए चुनौतियों का वर्ष रहा है क्योंकि संपूर्ण वर्ष के दौरान मैंगनीज अयस्क की कीमतें अत्यधिक दबाव में थीं। उच्च मैंगनीज अयस्क वस्तुसूची, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मैंगनीज अयस्क की कीमतों में गिरावट आयी और आपकी कंपनी को मैंगनीज अयस्क की कीमतों में लगभग 40 प्रतिशत तक कमी करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। मैंगनीज अयस्क उद्योग में उतार-चढ़ाव और मैंगनीज अयस्क की कीमतों में तेजी से गिरावट के बावजूद वर्ष 2011-12 के दौरान आपकी कंपनी का प्रदर्शन काफी संतोशजनक रहा है।

आपकी कंपनी ने गत वर्ष 11.50 लाख टन उत्पादन की तुलना में इस वर्ष 10.71 लाख टन विभिन्न श्रेणी के मैंगनीज अयस्क का उत्पादन किया है। इसी प्रकार गत वर्ष 1139.97 करोड रूपये के बिक्री कारोबार की तुलना में इस वर्ष 899.58 करोड रूपये का बिक्री कारोबार दर्ज किया है। आपकी कंपनी ने 606.63 करोड रूपये कर पूर्व लाभ और 410.77 करोड रूपये कर पश्चात लाभ अर्जित किया है।

मॉयल कई वर्षों से एक लाभांश भुगतान करने वाली कंपनी है और इस वर्ष भी कंपनी ने मार्च 2012 माह में 20 प्रतिशत अर्थात् रूपये 2.00 प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतरिम लाभांश का भुगतान पहले ही कर दिया है। आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने आगे 30 प्रतिशत अर्थात् रूपये 3.00 प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतिम लाभांश का भुगतान करने की सिफारिष की है। वर्ष 2011-12 का कुल लाभांश रूपये 5.00 प्रति इक्विटी शेयर निकाला गया है।

आपकी कंपनी सदैव निगमित अधिशासन के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने का प्रयास करती है। इंटीग्रिटी पैक्ट का कार्यान्वयन, आचार संहिता का अंगीकरण तथा सुपरिभाशित आंतरिक नियंत्रण संरचना से कंपनी के व्यापार व्यवहार की पारदर्षिता में अतिरिक्त योगदान प्राप्त हुआ है। हम मॉयल में निगमित अधिशासन पर सरकारी दिषानिर्देषों तथा लिस्टिंग समझौते का अनुपालन कर रहे है। निगमित अधिशासन अनुपालन पर एक रिपोर्ट को निदेशक की रिपोर्ट का एक भाग बनाया गया है।

राश्ट्र के एक अच्छे निगमित नागरिक होने के नाते आपकी कंपनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं नैतिक व्यवहार की दिषा में अपनी सतत प्रतिबद्धता के साथ आंतरिक और बाहरी पणधारियों तथा समाज के आर्थिक विकास और उनके जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार लाने में योगदान देने का हमेशा प्रयत्न किया है। आपकी कंपनी ने, कंपनी की खदानों में तथा आस-पास के क्षेत्र में रहने वाले समुदायों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कों तथा स्कूलों का निर्माण/मरम्मत, जलापूर्ति सुविधा, परिक्षेत्र विकास, खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधि, विकासकार्य इत्याादि अनेक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्यों को अपने हाथों में लिया है। मुझे यह उल्लेख करने में प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कंपनी ने भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारित रूपये 6.28 करोड के लक्ष्य की तुलना में रूपये 6.56 करोड खर्च करके निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व खर्च के समझौता ज्ञापन लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त किया है।

विश्व की सबसे बड़ी और उत्तम मैंगनीज अयस्क खनन कंपनियों में से एक बनने के दृष्टिकोण के साथ कंपनी ने वर्ष 2020 तक की अवधि के लिए एक निगमित योजना को तैयार किया है। दीर्घकालिन योजना, प्रभावशाली तुलन पत्र के साथ वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, उत्तम नकद प्रवाह तथा परिचालन लागत एवं उत्पादकता के कार्यो पर ध्यान केन्द्रित करना, यह हमारे प्रमुख निर्णयों को दर्शाता है।

मैंगनीज अयस्क उद्योग का कार्य-निष्पादन मुख्य रूप से इस्पात उद्योग के कार्य-निष्पादन पर निर्भर करता है। वर्ष 2011 में विभिन्न नकारात्मक

घटनाओं के बावजूद, अब स्थिरता के संकेत उभर रहे है तथा इस वर्ष की दूसरी तिमाही से इसे फिर से हासिल करने की उम्मीद है, जो इसे 2013 में उच्चतर विकास पूर्वानुमान की ओर ले जाएगा। वर्ष 2003 में आठवें स्थान की तुलना में भारत विश्व में कच्चे इस्पात का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है और वर्ष 2015 तक विश्व में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनने की उम्मीद है।

वर्ल्ड स्टील एसोशिएशन (डब्लूएसए) के पूर्वानुमान के अनुसार वर्ष 2012 में भारत में इस्पात की खपत 6.9 प्रतिशत से बढ़कर 72.5 एमटी तक पहुंचने का अनुमान है। शहरीकरण और बढ़ते इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश के आधार पर आगामी वर्षों में विकास दर में 9.4 प्रतिशत वृद्धि का पूर्वानुमान है। वैश्विक परिदृष्य के अनुसार वर्ष 2011 में 5.6 प्रतिशत की बढ़त के साथ वर्ष 2012 में इस्पात की खपत 3.6 प्रतिशत से 1,422 एमटी बढ़ने की उम्मीद है और वर्ष 2013 में विश्व में इस्पात की मांग 4.5 प्रतिशत से आगे बढ़कर 1,486 एमटी के आसपास होगी।

मुझे पक्का विश्वास है कि भारत सरकार की इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास नीति और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इस्पात एक प्रमुख घटक होने के कारण आने वाले समय में इस्पात की मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है जिसके परिणामस्वरूप मैंगनीज अयस्क की मांग में भी वृद्धि होगी।

मॉयल अपनी 42 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत वर्ष में मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपकी कंपनी लगभग 73.5 एमटी मैंगनीज अयस्क के भंडार और संसाधनों के साथ 30 प्रतिशत प्रमाणिक भंडार धारित करती है। भारत की इस्पात मांग में वृद्धि, उसकी प्रभावपूर्ण स्थिति, मध्यम से उच्च श्रेणी के भंडार, मध्य क्षेत्र में अवस्थित खदानें, कम उत्पादन लागत एवं ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध के कारण वह पूंजी बनाने की अच्छी स्थिति में है। आपकी कंपनी ने उसकी वर्तमान खदानों के विकास के लिए भारी निवेश की भी योजना बनाई है जो भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन एवं उत्पादकता को आगे बढ़ायेगी/जारी रखेगी।

मध्य प्रदेश राज्य के देवास जिले में 20 मेगावाट वर्तमान क्षमता के पवन उर्जा फार्म की स्थापना के साथ हरित और स्वच्छ उर्जा को बढ़ावा देने के क्षेत्र में आपकी कंपनी ने पहले से ही अपना स्थान बना लिया है। ''उर्जा की बचत ही उर्जा का उत्पादन'' इस विचारधारा के अनुरूप मॉयल ने उर्जा संरक्षण में अपने प्रयासों के लिए वर्ष 2007 से लगातार राष्ट्रीय उर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता है। यूएनएफसीसीसी द्वारा सीडीएम के अंतर्गत मॉयल के पवन उर्जा फार्म पंजीकृत हो गए है।

महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिलों में महाराष्ट्र सरकार ने 814.71 हेक्टर भूमि का क्षेत्र आरक्षित किया है। आपको सूचित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हाल ही में भारत सरकार, खान मंत्रालय ने मॉयल के लिए आरक्षित क्षेत्र में से 597.44 हेक्टर भूमि हेतु प्रॉस्पेक्टिंग लायसंस प्रदान करने के लिए पूर्व अनुमोदन देना सूचित किया है। इस परियोजना से भविष्य में मैंगनीज अयस्क की मांग को पूरा करने के लिए इसके उत्पादन में योगदान मिलने के साथ ही वर्ष 2020 तक 2.2 मिलियन टन का नियोजित उत्पादन प्राप्त करने में सहायता मिलने की उम्मीद है।

आपकी कंपनी देश के बाहर अच्छी खनन संपदा की खोज भी कर रही है तथा भारत और विश्व दोनों स्तर पर मुख्य रूप से मैंगनीज अयस्क और अन्य खनिजों के लिए संभावित निवेश अवसरों से संबंधित ''इच्छा की अभिव्यक्ति'' आमंत्रित की गई है। आपकी कंपनी सशक्त संचित निधि के साथ एक ऋण मुक्त कंपनी है जिसकी वजह से आने वाले समय में विभिन्न ब्राउन फील्ड के साथ-साथ ग्रीन फील्ड परियोजनाओं में भी उसे अवसर प्राप्त है।

मैं भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश राज्य सरकार, सम्मानित ग्राहक एवं कंपनी के बैंकर्स, आपूर्तिकर्ता और सभी मॉयलीयन्स द्वारा कंपनी के कार्य-निष्पादन में दिए गए अपरिमित योगदान के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस अवसर पर मैं कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट करता हूँ जिसके बिना कंपनी को विकास की दिशा में ले जाना संभव नहीं हुआ होता। कंपनी को और अधिक उँचा उठाने एवं अंशधारकों के मूल्य में वृद्धि करने के लिए मैं आगे भी उनके लगातार सहयोग एवं प्रतिबद्धता की आशा करता हूँ।

हस्ता./-
के. जे. सिंह
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

अंशधारियों के लिए निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्य,

कंपनी के स्वर्ण जयंती वर्ष में निदेशक मंडल की ओर से आपकी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष की अंकेक्षण रिपोर्ट एवं अंकेक्षित लेखा-जोखा प्रस्तुत करने में मुझे बेहद प्रसन्नता महसूस हो रही है।

वित्तीय परिणाम

वर्ष 2011-12 तथा गत वर्ष के वित्तीय परिणाम नीचे दर्शाए अनुसार है :

₹ करोड में

	2011-12	2010-11
कुल बिक्री	**899.58**	1139.97
अन्य आय	**203.32**	145.49
कुल आय	**1102.90**	1285.46
ब्याज, मूल्यह्रास और कर से पूर्व लाभ (ईबीआईडीटीए)	**636.54**	912.66
मूल्यह्रास	**29.92**	32.51
वर्ष के लिए कर से पूर्व लाभ (पीबीटी)	**606.63**	880.15
घटाएं : कराधान के लिए प्रावधान	**195.86**	292.10
वर्ष के लिए कर के पश्चात लाभ (पीएटी)	**410.77**	588.05
सामान्य आरक्षण को स्थानांतरण	**300.00**	450.00

प्रमुख वित्तीय अनुपात

	2011-12	2010-11
बिक्री कारोबार का ईबीआईडीटीए (%)	**70.76**	80.06
शुद्ध मूल्य पर पीएटी (%)	**16.83**	27.63
औसत नियोजित पूंजी पर ईबीआईडीटीए (%)	**25.37**	41.94
प्रति शेयर आय (प्रत्यक्ष मूल्य रूपये प्रति रू. 10/-)	**24.45**	35.00
प्रति शेयर बही खाता मूल्य	**145.32**	126.68

लाभांश

पिछले कई वर्षों से लगातार लाभांश भुगतान की परंपरा के अनुसार वर्ष 2011-12 के दौरान 20 प्रतिशत अर्थात् प्रति इक्विटी शेयर पर 2 रूपये की दर से अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया है/मार्च, 2012 में प्रेषित किया गया है। लाभ और स्वतंत्र रिजर्व को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने 30 प्रतिशत अर्थात् प्रति इक्विटी शेयर पर रूपये 3.00 की दर से अंतिम लाभांश भुगतान करने की सिफारिश की है। वर्ष 2011-12 के लिए कुल लाभांश प्रति इक्विटी शेयर 5.00 रूपये निकाला गया है जो पिछले वर्ष 7.00 रूपये था। वर्ष के लिए कुल लाभांश 50 प्रतिशत अर्थात् 84 करोड रूपये होता है (पिछले वर्ष 70 प्रतिशत अर्थात् 117.60 करोड रूपये) जो गत वर्ष के घोषित लाभांश अर्थात् कर के बाद लाभ का 20 प्रतिशत के क्रम में है।

वित्तीय कार्य-निष्पादन

आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के रूपये 1139.97 करोड की तुलना में वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 899.58 करोड रूपये की शुद्ध बिक्री (उत्पाद शुल्क छोड़कर) दर्ज की है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष के लिए कर से पूर्व लाभ (पीबीटी) 31.08 प्रतिशत से घटकर रूपये 606.63 करोड हो गया। कंपनी ने गत वर्ष में 588.05 की तुलना में 410.77 करोड कर के पश्चात लाभ (पीएटी) अर्जित किया है। लाभ में गिरावट का मुख्य कारण वर्ष 2010-11 की तुलना में बिक्री वसूली में काफी गिरावट का होना है।

बिक्री

बोर्ड को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि गत वर्ष 9.99 लाख टन मैंगनीज अयस्क की तुलना में इस वर्ष कंपनी ने 10.78 लाख टन मैंगनीज अयस्क की बिक्री की है। वर्ष 2011-12 कंपनी के लिए चुनौतियों का वर्ष रहा है, रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान मैंगनीज अयस्क की कीमतों में दबाव रहा है और कंपनी को मैंगनीज अयस्क की कीमतों को 40 प्रतिशत तक कम करना पड़ा। उच्च मैंगनीज अयस्क वस्तुसूची, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग में कमी के परिणामस्वरूप मैंगनीज अयस्क की कीमतों में गिरावट आयी। इन सभी चुनौतियों के बावजूद आपकी कंपनी रूपये 1069.25 करोड की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान 810.39 करोड के मैंगनीज अयस्क की शुद्ध बिक्री करने में कामयाब रही है। इस प्रकार, यद्यपि कंपनी ने बिक्री की मात्रा में 7.33 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की है, लेकिन बिक्री कारोबार में 24.21 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है, जो कि मुख्य रूप से मैंगनीज अयस्क की कीमतों में कमी के कारण हुआ है।

वर्ष 2010-11 के दौरान रूपये 62.39 करोड की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान विनिर्मित उत्पादों अर्थात् फेरो मैंगनीज स्लैग की शुद्ध बिक्री रूपये 80.73 करोड रही, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 29.40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करती है। पिछले वर्ष 911 टन की तुलना में इस वर्ष इलैक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड (ईएमडी) 1005 टन था। जबकि वर्ष 2010-11 के दौरान 6903 टन की बिक्री की तुलना में इस वर्ष फेरो मैंगनीज की बिक्री 13,239 टन करके करीब 191.79 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई है।

उत्पादन एवं उत्पादकता

कंपनी ने पिछले वर्ष के 11,50,742 टन उत्पादन की तुलना में वर्ष के दौरान मैंगनीज अयस्क की विभिन्न श्रेणियों का 10,70,717 टन उत्पादन किया है। वर्ष 2010-11 के दौरान 805 टन उत्पादन की तुलना में इस वर्ष इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डायऑक्साइड (ईएमडी) का उत्पादन 714 टन था। गत वर्ष के 9081 टन उत्पादन की तुलना में फेरो मैंगनीज का उत्पादन 8694 टन था। कंपनी का प्रति मानव पाली आउटपुट 0.711 टन (गत वर्ष 0.779 टन) रहा है।

पिछले वर्ष 31.03.2012 को रूपये 66.82 करोड मूल्य के 1.91 लाख टन बंद भंडार की तुलना में 31.03.2012 को रूपये 57.08 करोड मूल्य का 1.58 लाख टन मैंगनीज अयस्क का बंद भंडार कंपनी के पास है। कंपनी के पास पिछले वर्ष 31.03.2011 को रूपये 19.53 करोड मूल्य के 6622 टन फेरो मैंगनीज के बंद भंडार की तुलना में 31.03.2012 को रूपये 8.15 करोड मूल्य का 2078 टन फेरो मैंगनीज का बंद भंडार है। 31.03.2012 को ईएमडी का बंद भंडार 299 टन (गत वर्ष 590 टन) था जिसका मूल्य रूपये 2.08 करोड (गत वर्ष रूपये 4.05 करोड) था।

अन्य आय

सरकारी दिशानिर्देषों के अनुसार आपकी कंपनी ने अधिषेश निधियों को सावधि जमा योजना में नियोजित किया तथा 193.84 करोड (गत वर्ष रूपये 133.93 करोड) ब्याज आय अर्जित की, जिसे अन्य आय में शामिल किया है।

पूंजीगत/मूल्यवर्धित परियोजनाएं

वर्ष 2020 तक मॉयल अपने उत्पादन को वर्तमान स्तर से 2.2 मिलियन टन तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। इस योजना को

लागू करने की दिशा में आपकी कंपनी ने मौजूदा खदानों के विकास, देश में और देश के बाहर नई खदानों का अधिग्रहण करना, महाराष्ट्र में भूमि के लिए लायसंस की प्राप्ति इत्यादि के लिए भारी निवेष की योजना बनाई है। कंपनी की पूंजीगत/मूल्यवर्धित परियोजनाएं निम्न प्रकार है :

वर्तमान में जारी परियोजनाएं

- **गुमगांव खदान में वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग :**

जैसा कि पिछली वार्षिक रिपोर्ट में सूचित किया गया है, गुमगांव खदान में उच्च श्रेणी गुणवत्ता के मैंगनीज अयस्क का विशाल भंडार है। इस अयस्क का दोहन करने के लिए वर्ष 2007-08 में गुमगांव खदान पर वर्टिकल शाफ्ट की खुदाई का काम शुरू किया गया था, जो अब पूरा हो गया है और केवल संबद्ध 300'L का भूमिगत समांतर और लम्बवत विकास शेष रह गया है जो जुलाई 2012 तक पूरा हो जाएगा। इस परियोजना से चरणबद्ध रूप से उत्पादन स्तर में 60,000 टन प्रतिवर्ष (टीपीए) से 1,10,000 टीपीए सुधार की उम्मीद है तथा इससे खदान की सजीवता भी बढ़ेगी।

- **बालाघाट खदान में प्रोडक्शन शाफ्ट तथा होम्स शाफ्ट का गहरीकरण :**

मौजूदा उत्पादन स्तर को बनाए रखने तथा आने वाले वर्षों में इसमें वृद्धि करने के लिए कंपनी ने प्रोडक्शन शाफ्ट को 10वें लेवल से आगे 15वें लेवल तक गहरीकरण करने का काम हाथों में लिया है। परियोजना पूरी हो गई है और इससे 60,000 टीपीए तक उत्पादन में वृद्धि होगी तथा इससे खदान की सजीवता भी बढ़ेगी। वर्ष 2012-13 में उत्पादन प्रारंभ होने की उम्मीद है।

- **मनसर खदान में वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग :**

मौजूदा उत्पादन और उत्पादकता स्तर में सुधार लाने के लिए कंपनी ने 4.5 मीटर डाय. की 156 मीटर गहराई तक वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग का कार्य प्रारंभ किया है। वर्टिकल शाफ्ट सिंकिंग का कार्य मई 2010 में प्रारंभ किया गया था तथा उसे 48 माह की कालावधि में पूर्ण होना था। 156 मीटर की कुल सिंकिंग के लक्ष्य की तुलना में 82 मीटर सिंकिंग का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। परियोजना से 50,000 टीपीए से 1,00,000 टीपीए तक का उत्पादन बढ़ने के साथ ही खदान की सजीवता भी बढ़ने की उम्मीद है।

- **उकवा खदान में वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग :**

उकवा खदान के अयस्क भंडार में उच्च श्रेणी के मैंगनीज अयस्क का विशाल भंडार है। इस भंडार का दोहन करने के लिए फरवरी 2011 में वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग शुरू की गई थी। इस शाफ्ट की कुल गहराई 134 मीटर होगी जिसमें से 52 मीटर तक कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। इस परियोजना को अगस्त 2014 तक पूर्ण करना निर्धारित किया गया है तथा इससे 50,000 टीपीए से 1,00,000 टीपीए तक का उत्पादन बढ़ने के साथ ही खदान की सजीवता बढ़ने की भी उम्मीद है।

आने वाली परियोजनाएं

- **बालाघाट खदान में बड़े डाय. के तेज गति के वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग :**

250 करोड की पूंजीगत लागत से बालाघाट खदान में बड़े डाय. के तेज गति के वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग प्रस्तावित है। इस परियोजना से 4,50,000 टीपीए से 8,00,000 टीपीए तक उत्पादन बढ़ने के साथ ही खदान की सजीवता बढ़ने की भी उम्मीद है। यह शाफ्ट 400 मीटर नीचे के निचले स्तर के लिए उत्पादन और सर्विस शाफ्ट के रूप में कार्य करेगा तथा निचले स्तरों के विकास कार्य में तेजी लाने में सक्षम होगा।

- **बालाघाट खदान में होम्स शाफ्ट का गहरीकरण :**

  कंपनी ने उत्पादन को 60,000 टीपीए से बढ़ाने के साथ ही खदान की सजीवता बढ़ाने के लिए 20 करोड रूपये की लागत से बालाघाट खदान में होम्स शाफ्ट के गहरीकरण का प्रस्ताव किया है।

- **चिखला खदान में वर्टिकल शाफ्ट का गहरीकरण :**

  कंपनी ने उत्पादन को 55,000 टीपीए से बढ़ाने के साथ-साथ खदान की सजीवता बढ़ाने के लिए 9.2 करोड रूपये की पूंजीगत लागत से चिखला खदान पर वर्टिकल शाफ्ट के गहरीकरण की प्रस्ताव किया है।

प्रस्तावित नई खनन परियोजनाएं :

- **गुमगांव खदान में तेज वर्टिकल शाफ्ट (2री) की सिंकिंग :**

गुमगांव खदान में उच्च गुणवत्ता के मैंगनीज अयस्क का विशाल भंडार है। निचले स्तरों से विनिंग अयस्क की उच्च दर की आवश्यकता के महत्व को ध्यान में रखते हुए आगे गहरीकरण की सुविधा के साथ 300 मीटर गहराई 6.5 मीटर के बड़े डाय. के तेज गति के वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग का प्रस्ताव है। यह तेजी से विकास, वेंटिलेशन में सुधार के उद्देश्य को पूरा करेगा तथा खदान की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगा। इस शाफ्ट का परिचालन पूरी तरह से शुरू हो जाने के बाद खदान के उत्पादन में प्रतिवर्ष 1 लाख टन वृद्धि होने की उम्मीद है। परियोजना की पूंजीगत लागत 150 करोड रूपये है।

- **मनसर खदान में वर्टिकल शाफ्ट (2री) की सिंकिंग :**

  के. एल. पीट और परसोडा क्षेत्र के निचले स्तरों से अयस्क को पाने के लिए एक अतिरिक्त शाफ्ट की सिंकिंग का प्रस्ताव है। यह शाफ्ट 4.5 मीटर डाय. की होना प्रस्तावित है तथा अन्य संबद्ध कार्यो के साथ लगभग 160 मीटर गहराई तक सिंकिंग किया जाएगा। यह तेजी से विकास के उद्देश्य को पूरा करेगा और निचले स्तर पर सेवा प्रदान करने में योगदान देगा तथा वेंटिलेशन में सुधार लाने में मदद करेगा। इसका परिचालन शुरू हो जाने से खदान के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी। कार्यों का निष्पादन 36 माह में पूरा होने की उम्मीद है तथा मार्च 2013 में शुरू हो जाने की संभावना है। इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 45 करोड रूपये है।

- **चिखला खदान में वर्टिकल शाफ्ट (2री) की सिंकिंग :**

  इस खदान से उत्पादन बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त शाफ्ट की सिंकिंग का प्रस्ताव है और इस उद्देश्य के लिए कार्यस्थल पर हेड गियर, वाइन्डर इत्यादि के साथ मिलकर शाफ्ट को डिजाइन करने का प्रस्ताव है। मॉयल के मानक डिजाइन के अनुसार प्रस्तावित शाफ्ट 4.5 मीटर डाय. की होगी और इसे 190 मीटर गहराई में सिंक किया जाएगा। इसका परिचालन पूरी तरह से शुरू हो जाने के बाद इस वर्टिकल से उत्पादन लगभग 0.80 लाख टीपीए होने की उम्मीद है। इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 45 करोड रूपये है।

- **उकवा खदान में वर्टिकल शाफ्ट (2री) की सिंकिंग :**

  इस खदान में निचले स्तरों 1250 स्तर से आगे 950 स्तर तक मैंगनीज अयस्क को प्राप्त करने के लिए आगे गहरीकरण की सुविधा के साथ अतिरिक्त शाफ्ट का प्रस्ताव है। शाफ्ट 5.5 मीटर डाय. का प्रस्तावित है जिसे 325 मीटर की गहराई तक सिंक किया जाएगा, जिसके साथ सुसज्जीकरण और नए डबल ड्रम वाइन्डिंग इंजन के लिए प्रावधान होगा। यह तेजी से विकास के उद्देश्य को पूरा करेगा तथा निचले स्तरों पर सेवा प्रदान करने में भी मदद करेगा तथा वेंटीलेशन में सुधार लाने में मदद करेगा। परियोजना की अनुमानित लागत 60 करोड रूपये है और इसमें 36 माह का समय लगेगा और मार्च 2013 में शुरू होने की उम्मीद है।

- **संयुक्त उपक्रम**

1) **सेल एण्ड मॉयल फेरो अलॉयज प्रा. लि.:** आपकी कंपनी ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के साथ संयुक्त

उद्यम (50:50) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में भिलाई के निकट नंदिनी में 31,000 टन फेरो मैंगनीज एवं 75,000 टन सिलिको मैंगनीज का 1.06 लाख टीपीए क्षमता का फेरो अलॉय संयंत्र स्थापित करने का कार्य हाथों में लिया है। संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा मुख्य फर्नेस के लिए निविदा जारी की गई है तथा प्रस्ताव प्राप्त हो गए है। कीमतों पर बातचीत की जा रही है। एमओईएफ दिल्ली ने परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण, छत्तीसगढ़ सरकार के पास स्थापना करने हेतु सहमति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जल आपूर्ति और 220 केवी सबस्टेशन के संबंध में अनुमोदन प्राप्त हो गया है। मुख्य फर्नेस के लिए निविदा जारी की गई है और संयुक्त उद्यम कंपनी प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन कर रही है।

2) **रीनमॉयल फेरो अलॉयज प्रा. लि.:** उसी तरह आपकी कंपनी ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम (50:50) के अंतर्गत आंध्रप्रदेश के विजयनगर जिले के बोब्बिली में 20,000 टन फेरो मैंगनीज एवं 37,000 टन सिलिको मैंगनीज के साथ 57,000 टीपीए क्षमता का फेरो अलॉय संयंत्र स्थापित करने का कार्य हाथों में लिया है। विभिन्न कार्य जैसे भू-तकनीकी अन्वेशण कार्य, कार्यस्थल का सर्वेक्षण एवं परिलेखन का कार्य पूरा हो चुका है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने टर्म्स ऑफ रिफरेंस दिया है तथा जन सुनवाई त्याग दी है। पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया गया है। राज्य सरकार ने भी इस परियोजना के लिए पानी, बिजली इत्यादि उपलब्ध कराने की सहमति दी है। बिजली की आपूर्ति के बारे में निर्माणकार्य और स्थायी प्रयोजन दोनों के लिए पावर कनेक्शन हेतु एपी ट्रान्सको के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण पूरा हो गया है। भंडार एवं कार्यालय इमारत का निर्माणकार्य प्रगति पर है। संयुक्त उद्यम कंपनी बोलीदाताओं से प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन कर रही है।

अनुसंधान एवं विकास :

उद्योग में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर, मैंगनीज अयस्क संसाधनों का प्रभावशाली ढंग से अन्वेषण और दोहन करने के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ आवश्यक है। परिवर्तन के प्रत्येक चरण में चुनौतियों का सामना करना होता हैं ऐसी चुनौतियों का प्रभावी ढ़ंग से सामना करने के लिए आपकी कंपनी ने निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों को अनुसंधान एवं विकास के लिए चयन किया है :

- ओपन कास्ट खदान में आधुनिक पर्यावरण के अनुकूल हायड्रो-स्टेटिक ड्रिल मशीन स्थापित की गई है।
- बेहतर सुरक्षा और उत्पादकता के लिए धनबाद में सेन्ट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ माइनिंग एण्ड फ्योल रिसर्च द्वारा कान्द्री खदान में भूमिगत खनन प्रचालन में स्टोप डिजाइन के लिए हायड्रो-जियोलॉजिकल अध्ययन किया जा रहा है।
- ओपन कास्ट खदान पर उड़ने वाले पत्थरों और भू-कंपन के लिए नियंत्रित ब्लास्टिंग तकनीकों पर अध्ययन जारी है।
- भूमिगत खदानों के लिए विकास एवं स्टोपिंग प्रचालन के लिए लोड हॉल एण्ड डंप (एलएचडी) मशीन प्रारंभ करना, टायर लगाना।
- लीज धारित क्षेत्र की पहचान और एकदम सही स्थान के लिए खदानों पर जीपीएस प्रदान किया गया है।
- सुरक्षा एवं उत्पादकता में सुधार के लिए स्टोप डिजाइन को अनुकूल बनाना।
- बालाघाट खदान में तेजी से खनन प्रचालन के लिए स्तरों के अंतराल (वर्तमान 30 मीटर से 45 मीटर तक) में वृद्धि करना।
- बालाघाट खदान में भूमिगत खनन के लिए प्रस्तावित स्वतंत्र तेज गति शाफ्ट सिंकिंग प्रचालन के लिए परियोजना के सुरक्षा मानकों का पता लगाने हेतु सीआईएमएफआर, धनबाद द्वारा कार्यस्थल पर हाईड्रोलॉजिकल अध्ययन एवं गहन निगरानी का कार्य किया गया है।

- कान्द्री, उकवा, गुमगाँव और बालाघाट खदान में उर्जा बचत के लिए पीएलसी चालित काम्प्रेशर स्थापित करना।
- अपशिष्ट डम्प पुर्नप्राप्ति का अध्ययन तथा कार्यस्थल पर अन्य पर्यावरण संरक्षण उपायों के लिए अनुसंधान जारी है।
- विश्वेश्वरैय्या नैशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपुर के साथ भूमिगत खनन प्रचालन के लिए सपिंडित हाईड्रोलिक स्टोईंग प्रचालन के लिए ओवरबर्डन सामग्री के उपयोग पर एक सहयोगात्मक अनुसंधान अध्ययन जारी है।

- भूमिगत खदानों के लिए पर्यायी खनन प्रणाली एवं सपोर्ट सिस्टम का विकास करने के लिए अध्ययन जारी है।
- बालाघाट खदान में एकीकृत मैंगनीज बेनिफिशिएशन संयंत्र एवं डम्प के फेंके गए माल से दोबारा मैंगनीज अयस्क प्राप्त करने हेतु 1,00,000 टीपीए क्षमता का अतिरिक्त स्वदेश में ही विकसित आइएमबी संयंत्र स्थापित करना।
- ग्रेविटी मैंगनीटिक एवं हायड्रोस्टेटिक वेधन मशीनों से गवेशण की आधुनिक तकनीकों से भूभौतिकीय जैसे गवेशण करना।
- मैंगनीज अयस्क के अचूक और शीघ्र विश्लेषण के लिए एक्सआरएफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के माध्यम से विश्लेषण किया गया है।
- इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद द्वारा बालाघाट खदान में अधिक गहरे स्तरों के लिए वेंटिलेशन नेटवर्किंग अध्ययन किया जा रहा है।
- टोटल स्टेशन की शुरूआत करना - खदानों में अचूक सर्वेक्षण के लिए उच्च स्तर की परिषुद्धता के साथ उच्च गति सर्वेक्षण उपकरण।
- मैंगनीज अयस्क भंडार/संसाधनों के गहरे गवेशण के लिए विभिन्न खदानों में एमईसीएल के माध्यम से कोर ड्रिलिंग की जा रही है।
- मैंगनीज फाइन्स के सिंटरिंग के लिए आईबीएम को नमूने दिए गए है। इस अध्ययन से मैंगनीज अयस्क का संवर्धन करने में मदद मिलेगी।

उर्जा संवर्धन :

मॉयल ने उत्पादक गतिविधियों में उर्जा की खपत कम करने के लिए नई तकनीक लागू करने के साथ-साथ समग्र उर्जा क्षमता में सुधार लाने के लिए उर्जा संवर्धन तथा अनुसंधान एवं विकास के लिए निधि आबंटित करने हेतु नीति बनाई है।

कंपनी उर्जा संवर्धन के लिए विभिन्न उपायों को अपना रही है जिसमें मौजूदा उपकरणों की क्षमता में सुधार लाने के परंपरागत उपायों के साथ-साथ राष्ट्रीय उर्जा संरक्षण नीति के अनुसरण में नई तकनीकी को लागू करना शामिल है। वर्ष 2011-12 के दौरान कंपनी ने बालाघाट में सॉफ्ट स्टार्टर पैनल के साथ एक 4,000 सीएफएम कान्टीफिगल एयर काम्प्रेशर स्थापित एवं शुरू किया है। कंपनी की विभिन्न खदानों पर वीएफडी पैनल के साथ एयर काम्प्रेशर से संबंधित खदानों पर काम्प्रेशर के प्रचालन में बिजली उर्जा में 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत बचत का योगदान मिलता है।

भूमिगत खदानों में जल पम्प द्वारा इश्टतम उर्जा खपत होने के लिए पम्प के आकार के साथ-साथ पंपिंग लेवल को डिजाइन किया गया है। प्रौद्योगिकी के सम्मुख, कई घंटों तक लगातार इस्तेमाल किए जाने वाले पम्प एवं काम्प्रेषर अब परिवर्तनशील फ्रिक्वेन्सी ड्राइव के साथ उपलब्ध किए जा रहे है तथा भूतल से भूमिगत तक संचार में सुधार किया जा रहा है, ताकि जब उपकरणों की कार्य आवश्यकता समाप्त हो तो उसे तुरंत बंद किया जा सके और ऑपरेटिंग समय को न्यूनतम किया जा सके।

गैर-पारंपरिक उर्जा संसाधनों को प्रोत्साहित करने के लिए मॉयल ने मध्यप्रदेश के देवास जिले में नागदा पर्वतमाला पर 4.8 मेगावाट का पवन उर्जा फार्म तथा रतेडी पर्वतमाला पर 15.2 मेगावाट का पवन उर्जा फार्म स्थापित किया है, जिसके द्वारा वर्ष के दौरान 332.14 लाख यूनिट बिजली निर्माण की गई है। कंपनी की बिजली की खपत निम्नानुसार है :

क्र.	प्रचालन का क्षेत्र	केडब्लूएच खपत प्रति टन	
		2011-12	2010-11
1.	मैंगनीज अयस्क	18.33	17.95
2.	ईएमडी	2625	2789
3.	फेरो मैंगनीज	3155	3059

खनन पट्टा

दिनांक 31 मार्च, 2012 को मॉयल के पास 1802.978 हेक्टर कुल खनन पट्टा क्षेत्र है जिसमें 700.066 हेक्टर महाराष्ट्र में तथा 1102.912 हेक्टर मध्यप्रदेश राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिले में महाराष्ट्र सरकार ने 814.71 हेक्टर क्षेत्र आरक्षित कर रखा है। भारत सरकार, खान मंत्रालय ने 814.71 हेक्टर के इस आरक्षित क्षेत्र में से 597.44 हेक्टर क्षेत्र के लिए पाम्स्पेक्टिंग लायसंस प्रदान करने के लिए पूर्व अनुमोदन देना सूचित किया है।

सुरक्षा एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य

आपकी कंपनी खदानों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विशेष जोर देती है तथा अत्याधुनिक खनन तकनीक एवं खनन प्रचालन में यांत्रिकीकरण का समावेश करके सुरक्षा उपकरणों के मानकों में लगातार सुधार लाकर दुर्घटनाओं में कमी लाने का सतत प्रयास भी करती है। खदानों में सुरक्षा मानकों में सुधार लाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाये गये है :

- सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए श्रमिकों को प्रशिक्षण एवं पुर्नप्रशिक्षण देना।
- दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सुरक्षा समितियों की सभा खदानों पर नियमित तौर पर आयोजित की जाती है जिसमें सतर्कतापूर्वक दुर्घटना का विश्लेषण किया जाता है।
- दुर्घटनाओं की अधिक से अधिक रोकथाम के लिए सभी स्तरों के कर्मचारियों के साथ गहन वार्तालाप किया जाता है।
- विशेष प्रशिक्षण के अलावा प्रत्येक कर्मचारी को नियमित रूप से व्यावसायिक और पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- सुरक्षा और पर्यावरण विभाग ने इन विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए है :

  ए) खदानों में सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्थायी विकास का महत्व

  बी) खदानों में आपदा प्रबंधन

  सी) खदानों में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा

पर्यावरण संरक्षण

मॉयल द्वारा वनरोपण

आज के युग में इकोलॉजी संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। जबकि समुदाय के विकास की प्रक्रिया में उसके पर्यावरण के अनुकूल रहने के साथ-साथ उस समुदाय की विशिष्ट संस्कृति के अनुकूल रहना भी जरूरी होता है। आपकी कंपनी ने स्थायी विकास को प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाए है। कंपनी अपनी खदानों एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में पर्यावरण सुरक्षा के संबंध में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह सजग हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान कंपनी की विभिन्न खदानों में करीब 58,000 पौधों का रोपण किया गया। अब तक कुल पौधों का रोपण 17.55 लाख हो चुका हैं। कंपनी ने सूखी/बंजर जमीन पर जेटरोपा के पौधों का रोपण करने का काम हाथों में लिया है, जिसके बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जाएगा। यह कार्य परीक्षण के स्तर पर किया जा रहा है। पर्यावरण-मित्र उद्योग के तौर पर कंपनी ने 20 मेगावाट क्षमता का पवन उर्जा फार्म स्थापित किया है, जिसमें से उत्पन्न 4.8 मेगावाट बिजली की खपत कंपनी में किया जाता है तथा पवन उर्जा फार्म से उत्पन्न 15.2 मेगावाट बिजली एमपीईडीसीएल को बेच दिया जाता है।

सतर्कता

डीपीई के दिशानिर्देषों के अनुसार मॉयल में पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी है, जो भारतीय पुलिस सेवा से है, उनके नेतृत्व में एक पूर्णरूपेण बहुषाखायी विभाग है। सतर्कता विभाग के कामकाज में कंपनी के नागपुर स्थित कारपोरेट ऑफिस सहित सभी

आस्थापना/खदानों/संयंत्रों के लिए निवारक के साथ-साथ दण्डात्मक सतर्कता शामिल है। वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग गतिविधियाँ निम्न प्रकार हैं :

महत्वपूर्ण योगदान

1. प्रबंधन और सभी विभाग प्रमुखों की भागीदारी के साथ **''सतर्कता केन्द्रित बैठक''** का आयोजन किया गया। मुख्य सतर्कता अधिकारी ने प्रक्रिया(ओं) में देखे गए नियमों से विचलनों, अनियमितताओं और अन्तरों इत्यादि तथा मुख्य खनन गतिविधियों पर एसओपी का नहीं होना, नियमों, प्रक्रियाओं में सुधार/संषोधनों की जरूरत और आवश्यकता तथा सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इसमें उत्पादन, मार्केटिंग, कार्मिक, सिस्टम विभाग जैसे मुख्य कार्यक्षेत्रों को समाविष्ट किया गया।
2. मॉयल ने **''सतर्कता गतिविधियों पर मंत्रणा''** पर कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देष्य केस स्टडी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से क्षमता निर्माण और ज्ञान का प्रसार करना तथा खनन गतिविधियों से संबंधित विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिटों के सतर्कता विभाग की सफल कहानियों को साझा करना था। इस कार्यशाला में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे मॉयल लिमिटेड, नागपुर एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद, डब्लूसीएल, नागपुर और एमईसीएल, नागपुर के सतर्कता पदाधिकारियों ने भाग लिया। मनसर खदान में खनन से संबंधित गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए एक दौरा भी आयोजित किया गया था।
3. मॉयल के विभिन्न आस्थापना/खदानों में 31 अक्तूबर, 2011 से 5 नवम्बर, 2011 तक **सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2011** मनाया गया। कर्मचारियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसके साथ ही समुदाय के विभिन्न समूहों से प्रख्यात हस्तियों के बीच समूह चर्चा (संगोश्ठी) का आयोजन डोंगरी बुजुर्ग खदान में किया गया।

नियमित गतिविधियाँ

4. **क्षमता निर्माण :** विभाग में कार्यरत सतर्कता कार्मिकों की क्षमता निर्माण की दिशा में नियमित गतिविधियों के अंतर्गत आंतरिक के साथ-साथ बाहरी प्रशिक्षण प्रदान करना सुनिश्चित किया जाता है और इसके लिए सुनियोजित तरीके से प्रयास किए जाते है। इन नियमित प्रशिक्षणों के अलावा कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए जाते है। आईएसओ से संबंधित प्रक्रिया और प्रणाली के साथ जुड़े अधिकारियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए आईएसओ 9001-2008 पर एक विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

5. **निवारक सतर्कता :** निवारक सतर्कता के एक भाग के रूप में अवधि के दौरान 13 काम संविदाओं की छानबीन की गई तथा 65 जाँच कार्य किए गए। प्रचालनों के विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए समय-समय पर परामर्श जारी किए गए।

इस संबंध में बोलियों में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति और संविदा कार्यों के लिए विक्रेताओं और ठेकेदारों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एसओपी तैयार की जा रही है।

6. **शिकायत :** वर्ष के दौरान 15 शिकायतें प्राप्त हुई और विस्तृत जाँच के पश्चात संबंधित प्राधिकारियों को निर्णय एवं

निष्कर्ष के साथ सभी 15 मामलों की जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

7. **व्यवस्थागत सुधार :** शिकायत, अध्ययन, जाँच इत्यादि से संबंधित विभिन्न अन्वेशणों के परिणाम के रूप में निम्नलिखित क्षेत्रों में व्यवस्थागत सुधार के लिए परामर्श और सुझाव दिए गए :
   1) मार्केटिंग और मूल्य निर्धारण नीति, ई-सेल्स
   2) विक्रेता पंजीयन के लिए एसओपी, स्क्रैप का निपटान, मुख्य खनन गतिविधियाँ इत्यादि
   3) मैनुअल का अद्यतन
   4) खरीदी और कार्य संविदाओं की निविदा प्रक्रिया
   5) भर्ती और पदोन्नति से संबंधित प्रक्रिया
   6) अयस्क का मापन और डिस्पैच (रेलिंग अतिरिक्त)
   7) कार्य संविदाओं में इस्टीमेट और दर सूची को तैयार करना

8. **प्रौद्योगिकी के लाभ :** पणधारियों के साथ संवाद के लिए एक साधन के रूप में और साथ ही भ्रष्टाचार को रोकने एवं कार्यक्षेत्र में ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए वेबसाइट का व्यापक इस्तेमाल करने को मॉयल ने क्रियान्वित किया है। तद्नुसार, ई-सेल्स, ई-ऑक्शन, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-पेमेंट को सीमारेखा ध्यान में रखते हुए क्रियान्वित किया गया। अधिक पारदर्शिता लाने के लिए वेबसाइट पर मैनुअल, विजलेंस कॉर्नर और विजलेंस लिंक पोस्ट की गई है।

सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के आगमन के साथ मॉयल ने इसके प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए है।

मॉयल ने अपने कारपोरेट कार्यालय में प्रमुख जन सूचना अधिकारी नियुक्त किया है तथा अपनी सभी खदानों में जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी भी नियुक्त किए है। निदेशक (उत्पादन एवं आयोजना) को इस अधिनियम के अंतर्गत ''अपीलीय प्राधिकारी'' के तौर पर नियुक्त/पदनामित किया गया है। सभी जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी के नाम कंपनी की वेबसाईट www.moil.nic.in में दर्षाए गए है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) (बी) में निर्धारित के अनुसार कंपनी और उसके कर्मचारियों के संबंध में जानकारी 17 शिर्षकों में तैयार की गई है तथा इसे कंपनी के पोर्टल में डाला गया है। मॉयल निर्धारित प्राधिकारियों को आवश्यक जानकारी एवं विवरणी प्रस्तुत करती है तथा नियमित तौर पर इसे अद्यतन करती रहती है।

इस अधिनियम का उद्देश्य एवं वास्तविक भावना के बारे में कंपनी के कर्मचारियों को जागरूक बनाने के लिए भारी जागरूकता पैदा की गई है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर परिपत्रों को जारी करके ध्यान में लाया गया है तथा उनसे अपने रोजमर्रा के काम में पारदर्शिता लाने और सभी अभिलेखों को उचित/व्यवस्थित ढंग से रखने को कहा गया है। आगे जनता के लिए भी कंपनी अपनी वेबसाईट में नियमित अंतराल के पश्चात स्वमेव अधिक से अधिक जानकारी डालती है / अद्यतन भी करती है ताकि जनता को सूचना के अधिकार के अधीन जानकारी हासिल करने के लिए विभिन्न प्रावधानों का कम से कम उपयोग करना पड़े।

बड़े पैमाने पर कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम का महत्व समझने तथा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर प्रकाश डालने के लिए संगोष्ठियों का आयोजन किया गया है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 91 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 85 आवेदन स्वीकृत

किए गए, 6 अस्वीकृत किए गए एवं 4 अपील आरटीआई के अंतर्गत स्वीकृत की गई तथा वर्ष के दौरान सभी का निपटारा कर दिया गया। 31 मार्च, 2012 तक कोई भी आवेदन लंबित नहीं है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2011-12 के दौरान कुल 389 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें 278 व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है जिसे खदानों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र में श्रमिकों के लिए आयोजित किए गए। वर्ष के दौरान लगभग 894 कार्यपालक, 1501 गैर-कार्यपालक अधिकारियों और 3130 श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अलावा 113 कार्यपालक और 55 गैर-कार्यपालक अधिकारियों को बाहर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रायोजित किया गया। इस प्रकार समीक्षाधीन वर्ष के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर 1,25,715 श्रम दिवस प्रशिक्षण पूर्ण किया गया तथा कुल 8096 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। समझौता ज्ञापन के दर्जे के अनुसार उत्कृष्ट प्रदर्शन 1.25 है, इसकी तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान प्रदर्शन 3.27 दर्ज किया गया है।

श्रम कल्याण योजना, मनोरंजन और चिकित्सा संबंधी सुविधाएं

मॉयल दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित खदानों के कर्मचारियों के साथ-साथ इसके समीपस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आवास, पीने का पानी, बिजली, अस्पताल, स्वास्थ्य शिविर, स्कूल, किफायती ब्याज दर पर गृह कर्ज इत्यादि जैसी अनेक कल्याण योजनाएं चला रहा है।

ऐसी योजनाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है :-

• जीवनमान में सुधार लाने के लिए और कर्मचारियों की आकांशा को ध्यान में रखते हुए मॉयल ने आवासीय क्वार्टरों का निर्माणकार्य किया है और इसे अधिकांश कर्मचारियों को निःशुल्क आबंटित किया है।

• कंपनी खदान कालोनी में रहने वाले कर्मचारियों के लिए परंपरागत कुंओं, बोरवेल, पाइपलाइन सप्लाई इत्यादि के द्वारा पीने के पानी की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान कर रही है। समय-समय पर टैंकों का क्लोरीनीकरण किया जाता है।

- कैंपों की कालोनियाँ और सड़कें अच्छी तरह से प्रकाशमान है। कर्मचारियों को रियायती दर पर उनके निवास पर बिजली प्रदान की गई है।
- कंपनी ने खदान पर अस्पताल की स्थापना की है जिसे योग्य डॉक्टरों और विधिवत प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा चलाया जा रहा है। पुरूषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग ओपीडी के साथ-साथ इनडोर वार्ड की व्यवस्था उपलब्ध है। आपात स्थिति के लिए सभी अस्पतालों को एम्बुलेंस वैन भी प्रदान की गई है। आवश्यकता के अनुसार मरीजों को चिकित्सा इलाज के लिए विशेष अस्पतालों में भेजा जाता है।
- मॉयल ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा बीमा भी शुरू किया है।
- कंपनी कुछ खदानों में प्राइमरी स्कूल भी चलाने में मदद कर रही है जहाँ कर्मचारियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। सभी खदानों पर स्कूल बसों की व्यवस्था की गई है ताकि बच्चों को समीपस्थ क्षेत्रों के हाई स्कूलों / कॉलेजों में ले जाया जा सके।
- कंपनी में ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति तथा मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की योजना भी है। इंजीनियरिंग में शिक्षा लेने हेतु श्रमिकों के बच्चों के लिए ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।
- सीएसआर योजना के अंतर्गत स्थानीय बच्चों के लिए बेहतर वातावरण देने के लिए एक उकवा और भारवेली में दो स्कूल इमारतों को पुनर्निर्मित किया गया है और इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया गया है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए उठाए गए कल्याणकारी कदम :

मॉयल दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार अपने रोल पर 6569 कर्मचारियों के साथ एक श्रमिक बहुल संगठन है। कुल मानवबल का लगभग 73.58 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से है जिसमें से 43.91 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है। हमारी कंपनी दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित खदानों के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले पददलित लोगों के विकास में भी गहरी रूचि ले रही है जिसका विवरण निम्नानुसार है :

- खदानों के निकट के गाँवों को गोद लिया गया है तथा इन गाँवों में रहने वाले लोगों के लिए पीने के पानी की सुविधा, सड़क की मरम्मत, समय-समय पर चिकित्सा जाँच और उपचार प्रदान किया जाता है।
- खदानों के निकट स्थित स्कूलों में वित्तीय सहायता, स्टेशनरी, पुस्तकें इत्यादि प्रदान करना।
- महिलाओं को उनके विकास और स्वरोजगार के लिए सिलाई मशीन प्रदान करना।
- स्वरोजगार योजना के लिए प्रशिक्षण कक्षाओं का आयोजन करना।
- शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तीन पहिया साइकिल प्रदान करना।
- आदिवासी महिलाओं के विकास और उत्थान के लिए उठाए गए अन्य कल्याणकारी कदमों में सिलाई कक्षाओं, प्रौढ़ शिक्षा कक्षाओं, एड्स जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन, ऐसे अन्य कार्यक्रमों को पोस्टरों, नोटिसों और बैनरों द्वारा प्रचार करना, कुष्ठ रोग जागरूकता कार्यक्रम आदि।
- अप्रेन्टीसशिप अधिनियम के अंतर्गत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

महिला सशक्तिकरण

मॉयल में दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार कुल मानवबल 6569 था जिसमें 786 महिला कर्मचारी थे जो कुल मानवबल का 11.96 प्रतिशत है।

कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देषों के अनुपालन में भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्देश जारी किए गए है। तद्नुसार 3 अधिकारियों की एक शिकायत समिति 1999 में गठित की गई थी जिसमें एक महिला चिकित्सक का समावेश था तथा मार्च 2006 में इस समिति का पुर्नगठन किया गया। तब से अब तक कंपनी की किसी भी खदान से या उसके निगमित कार्यालय से कोई उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। महिला कर्मचारियों में जागृति पैदा करने के लिए दिशानिर्देषों को व्यापक रूप से परिचालित किया गया है।

कंपनी की सभी खदानों पर महिला मंडलों का कार्य प्रभावपूर्ण ढंग से चल रहा है। विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक तथा सामुदायिक गतिविधियाँ जैसे - प्रौढ शिक्षा, रक्तदान शिविर, नेत्र शिविर, परिवार नियोजन आदि कार्यक्रम विशेषकर दूरदराज के खदान क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लाभ हेतु आयोजित किए जा रहे है।

प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है तथा इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कंपनी मातृत्व छुट्टी प्रदान करती है। कंपनी ने अपनी खदानों पर शिशु गृह स्थापित किए है तथा माताओं को बच्चों की परिचर्या हेतु समय दिया जाता है।

अपनी सीएसआर गतिविधियों के एक भाग के रूप में खदानों पर स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया गया है जिसमें दूरदराज के गाँवों की महिलाओं का समावेश किया गया है। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोमबत्ती, वाशिंग पावडर, साबुन, बाँस की टोकरियाँ, सिलाई तथा विभिन्न अन्य व्यवसायिक कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। मॉयल में इस कार्यक्रम को बड़ी सफलता मिली है।

कार्मिक

31.03.2012 को आपकी कंपनी के मानवबल की स्थिति नीचे दिए अनुसार है :-

श्रेणी	कार्यपालक	गैर-कार्यपालक	पीआर कामगार	कुल
पुरूष	328	2369	3086	5783
महिला	17	121	648	786
कुल	345	2490	3734	6569

31.03.2012 को वर्गानुसार कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :-

समूह	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य	कुल
ए	37	7	46	139	229
बी	34	8	57	121	220
सी	336	244	414	571	1565
डी	827	1334	1432	904	4497
सफाई कामगार	58	--	--	--	58
कुल	1292	1593	1949	1735	6569
कुल प्रतिशत	19.67%	24.25%	29.67%	26.41%	100.00%

नागरिक चार्टर एवं शिकायत निवारण यंत्रणा

ए) कर्मचारियों की शिकायत - मॉयल के पास कार्यपालक के साथ ही गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के लिए स्वयं की शिकायत निवारण कार्यप्रणाली है। कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण नियमानुसार किया जाता है।

बी) मॉयल की शिकायत निवारण यंत्रणा में प्रत्येक यूनिट के लिए एक मनोनित शिकायत अधिकारी होता है। यूनिटों में इस कार्य को प्रभावषाली ढंग से कार्यान्वित करने के लिए मुख्यालय में मनोनित किया गया शिकायत अधिकारी यूनिटों के शिकायत अधिकारियों के साथ समन्वय करता है।

सी) जन शिकायत - जनता से प्राप्त शिकायतों का निपटारा करने के तरीके से सभी शिकायत अधिकारियों को अवगत कराया गया है। पूर्व में विभिन्न प्राधिकारियों के द्वारा प्राप्त निर्देशों के आधार पर जनता से प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करने की प्रणाली बनाई गई है।

डी) जन शिकायतों के लिए पदनामित निदेशकों द्वारा समय-समय पर शिकायतों की निगरानी की जाती है तथा मंत्रालय/विभाग से स्वतंत्र विभागों के प्रभाग के लिए जन शिकायत निवारण यंत्रणा भी होती है।

ई) यूनिटों से प्राप्त डाटा के मूल्यांकन के आधार पर शिकायत अधिकारी मासिक रिपोर्ट तथा मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण के माध्यम से परिवीक्षण करते है।

दिनांक 01.04.2011 से 31.03.2012 की अवधि में लोक कर्मचारी शिकायतों की स्थिति

क्र.	शिकायतों का प्रकार	01.04.2011 को बकाया शिकायतें	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	31.03.2012 को लंबित मामलों की संख्या
1	जन शिकायतें	--	--	--	--
2	कर्मचारी शिकायतें	शून्य	1099	1099	शून्य
	कुल	शून्य	1099	1099	शून्य

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पणधारियों के हितों को एकीकृत करते हुए सामाजिक मूल्यों के साथ व्यापार के प्रचालन का संरेखण है। वर्ष 2011-12 के समझौता ज्ञापन में सरकार ने उत्कृष्ट रेटिंग के लिए 628 लाख का सीएसआर खर्च लक्ष्य निर्धारित किया था और कंपनी ने वर्ष 2011-12 के दौरान 655.91 लाख खर्च करके इस लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है।

सीएसआर के अंतर्गत बालाघाट में क्रीडा संकुल का निर्माण

डीएवी स्कूल की स्थापना

कंपनी डीएवी कॉलेज न्यास के साथ मिलकर संपूर्ण विकसित स्कूल स्थापित कर रही है। यह स्कूल डीएवी न्यास के नियंत्रण में होगी। इस स्कूल से विभिन्न गाँव जैसे डोंगरी बुजुर्ग, सीतासावंगी, चिखला, तिरोडी तथा मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले से लगे हुए समीपस्थ गाँवों को लाभ मिलेगा। इन गाँवों के बच्चों के अलावा मॉयल कर्मचारियों के बच्चों को भी इसका लाभ उपलब्ध होगा। वर्ष 2011-12 के दौरान मॉयल ने डीएवी स्कूल की स्थापना पर 1.31 करोड रूपये खर्च किए है।

सीएसआर के अंतर्गत भटेरा गांव में सार्वजनिक भवन का निर्माण

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत अन्य कल्याण कार्यक्रमों में से कुछ नीचे दर्शाए अनुसार है :

- स्कूल के बच्चों को यूनिफार्म के कपड़े दिए गए।
- नागपुर में बॉयोलॉजिकल पार्क की स्थापना के लिए योगदान दिया गया।
- निःशुल्क मोतियाबिंद शस्त्रक्रिया तथा बच्चों की आँखों की जाँच और जहाँ आवश्यक हो चष्मों को उपलब्ध कराके मदद करना।
- बुधनी (म.प्र.) में ट्रॉमा केयर सेंटर के निर्माणकार्य के लिए 1.00 करोड रूपये का योगदान दिया गया।
- नागपुर के म्योर मेमोरियल हॉस्पिटल को मरीजों को ले जाने वाली बस प्रदान की गई।
- कंपनी द्वारा गोद लिए गए गाँवों में तथा कंपनी की खदानों के आसपास के अन्य गाँवों में भी सड़कों का निर्माण, शवदहन शेड, स्कूलों की मरम्मत, अतिरिक्त क्लास रूम का निर्माण, नालियाँ एवं जलापूर्ति सुविधा इत्यादि के काम किए गए।

हिन्दी का प्रगतिशील प्रयोग

वर्ष के दौरान कंपनी राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों को प्रचारित करने एवं लागू करने का लगातार प्रयास करती रही। कंपनी अपनी गृहपत्रिका ''संकल्प'' हिन्दी में प्रकाशित कर रही है ताकि कर्मचारी हिन्दी के प्रचार के लिए विविध प्रतियोगिताएं जैसे निबंध, टिप्पणी, आलेखन, कविता और लेख में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित हो।

खदानों में करीब 97 प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है, जो बेहद सराहनीय है। कंपनी के सभी संगणकों में यूनिकोड सिस्टम डाला गया है। कंपनी ने संगणकों में हिन्दी सॉफ्टवेयर का प्रावधान किया गया है तथा कर्मचारियों को इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे इसका अपने रोजमर्रा के कार्यों में इस्तेमाल कर सके।

मॉयल को हिन्दी में उत्कृष्ट कार्यों के लिए इस्पात मंत्रालय द्वारा वर्ष 2010-11 के लिए ''इस्पात राजभाशा ट्रॉफी'' के साथ प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।

गृह मंत्रालय की हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को पुर्नप्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 222 कर्मचारियों को पहले ही प्राज्ञ (उच्चस्तरीय) प्रशिक्षण दिया गया है तथा कंपनी के अन्य 30 कर्मचारियों/अधिकारियों का भी प्रशिक्षण चल रहा है। ''नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति'' नागपुर ने मॉयल को वर्ष 2010-11 में हिन्दी को बढ़ावा देने में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए ''प्रथम पुरस्कार'' से सम्मानित किया है। इसके अलावा राजभाषा संस्थान द्वारा गृह पत्रिका ''संकल्प'' को सम्मानित किया गया है।

पुरस्कार और प्रशंसा

मॉयल देश के उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक है जिसे निरंतर उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए जाना जाता है। आपकी कंपनी को लगभग सभी क्षेत्रों में अपने अच्छे कामों के लिए राष्ट्रीय/क्षेत्रीय सम्मान प्राप्त होते आ रहे है। कंपनी को राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त सम्मान में से कुछ का विवरण नीचे दर्शाए अनुसार है :

- भारत सरकार, उर्जा मंत्रालय, उर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा उकवा खदान के लिए ''राष्ट्रीय उर्जा संरक्षण पुरस्कार 2011'' का द्वितीय पुरस्कार
- इस्पात मंत्रालय द्वारा वर्ष 2010-11 के लिए हिन्दी में उत्कृष्ट कार्यों के लिए ''इस्पात राजभाषा ट्रॉफी'' का प्रथम पुरस्कार
- ''नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति'' नागपुर द्वारा वर्ष 2010-11 के लिए हिन्दी को बढ़ावा देने में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए ''प्रथम पुरस्कार''
- 6 वाँ नियोक्ता ब्राडिंग पुरस्कार (क्षेत्रीय राऊंड) और इंडिया ह्यूमन कैपिटल समिट 2011
- भारतीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान द्वारा भारत उत्पादकता पुरस्कार (संगठन)-2011

- गुणवत्ता संकल्पना पर राष्ट्रीय सम्मेलन-2011 में तिरोडी खदान के लिए ''पार एक्सलेंट अवार्ड''
- गुणवत्ता संकल्पना पर राष्ट्रीय सम्मेलन-2011 में डोंगरी बजुर्ग खदान के ईएमडी संयंत्र के लिए उत्कृष्टता अवार्ड
- भामाषाह पुरस्कार योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर उच्चतम बिक्री-कर के भुगतान के लिए मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के लिए वर्ष 2009-10 के लिए जिले में उच्चतम बिक्री-कर अदाकर्ता पुरस्कार
- भारतीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान द्वारा कोल इंडिया उत्पादकता पुरस्कार 2011

निदेशक

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सरकार के मनोनीत निदेशक श्री ए. एम. खान ने प्रधान सचिव (उद्योग) के पद से दिनांक 08.07.2011 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। महाराष्ट्र सरकार ने डॉ. के. शिवाजी, प्रधान सचिव (उद्योग), उद्योग, उर्जा एवं श्रम विभाग, मंत्रालय, मुम्बई को मनोनीत किया है तथा भारत के राष्ट्रपति ने डॉ. के. शिवाजी को दिनांक 07.03.2012 के आदेष द्वारा नियुक्त किया है।

निदेशकों का उत्तरदायित्व संबंधी वक्तव्य

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2एए) के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए एतद्द्वारा यह व्यक्त किया जाता है कि :

1. सामग्री विचलन से संबंधित वार्षिक खातों को तैयार करते समय उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों को अपनाया गया।
2. निदेषकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें दृढ़तापूर्वक लागू किया है तथा उसके आधार पर निर्णयों को लिया एवं आकलन किया जो कि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति और उस अवधि के दौरान कंपनी के लाभ-हानि की सही और निःपक्ष तस्वीर पेश करने में सक्षम थी।
3. कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी या अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकथाम के लिए निदेशकों ने इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में यथोचित लेखांकन अभिलेखों के रखरखाव के लिए समुचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।
4. निदेशकों ने विकासशील प्रतिष्ठान आधार पर वार्षिक खातों को तैयार किया है।

जमा

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई सावधि जमा स्वीकार नहीं किया है।

लेखा-परीक्षक

कंपनी अधिनियम की धारा 619(2) के अनुसार मेसर्स वी. के. सुराणा एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नागपुर को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2011-12 के लिए आपकी कंपनी का लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। सांविधिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट संलग्न है।

लागत अंकेक्षण

दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के पवन उर्जा डिवीजन के लिए कंपनी द्वारा रखे गए लागत लेखांकन अभिलेखों का अंकेक्षण करने के लिए कंपनी के लागत अंकेक्षक के रूप में मेसर्स डी. राजाराव एण्ड कंपनी की नियुक्ति को केन्द्र सरकार ने अनुमोदन दिया है। 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए लागत अंकेक्षण रिपोर्ट दाखिल करने की नियत तिथि दिनांक 30 सितम्बर, 2012 है। निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

नई लेखांकन नीति का समावेश

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने ''संपत्ति की हानि'' के संबंध में नई लेखांकन नीति का समावेश किया है। नई नीति का वर्णन इस प्रकार है :

''प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को कंपनी निर्धारण करेगी कि क्या ऐसे कोई संकेत है कि संपत्ति में हानि हो सकती है। यदि ऐसे कोई संकेत होते है तो कंपनी संपत्तियों की वसूली योग्य राशि का आकलन करेगी। यदि ऐसी वसूली योग्य राशि इसकी वास्तविक राशि से कम होती है तो वास्तविक राशि को उसकी वसूली योग्य राशि तक कम किया जाएगा। इस कमी को हानि के रूप में माना जाएगा और लाभ-हानि खाते में दिखाया जाएगा। यदि ऐसे कोई संकेत होते है कि पहले निर्धारण की गई हानि अब नहीं है तो वसूली योग्य राशि को पुर्ननिर्धारित किया जाएगा और संपत्ति को वसूली योग्य राशि में परिलक्षित किया जाएगा।''

इस नीति के शामिल किए जाने से वर्तमान वित्तीय वर्ष के परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है।

अन्य प्रकटीकरण

अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी आत्मसात आदि का विवरण : कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटीकरण)

नियम, 1988 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (1)(ई) के प्रावधानों के अंतर्गत जरूरी अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी आत्मसात आदि से संबंधित विवरण इस रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है, जो इस रिपोर्ट का एक भाग है।

विदेषी मुद्रा आय एवं व्यय

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान मैंगनीज अयस्क का कोई निर्यात नहीं किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने रू. 41.78 लाख का व्यय विदेशी मुद्रा में किया है जबकि पिछले वर्ष रू. 59.83 लाख किया गया था। इस व्यय में विदेश यात्रा और विविध व्यय शामिल है। वर्ष के दौरान कंपनी ने रू. 515.34 लाख का पूंजीगत माल आयात किया।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1975 और समय-समय पर संशोधनों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के दायरे में शामिल कर्मचारियों के संबंध में जानकारी **शून्य** है।

नियंत्रित कंपनी

मॉयल की कोई नियंत्रित कंपनी नहीं है।

संदिग्ध लेखा में अंषों का विवरण

संदिग्ध लेखों में अंषों का विवरण इस प्रकार है :

विवरण	अंशधारकों की संख्या	अंशों की संख्या
दिनांक 01.04.2011 को प्रारंभिक जमा	48	935
अंशों का अंतरण करने के लिए संपर्क करने वाले अंशधारक	26	561
हस्तांतरित अंश	26	561
दिनांक 31.03.2012 तक लंबित	22	374

जब तक ऐसे शेयरों के वास्तविक हकदार इन शेयरों पर अपना दावा नहीं करते तब तक इन शेयरों पर मतदान का अधिकार नहीं रहेगा।

निगमित अधिशासन

कंपनी निगमित अधिशासन के उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। निगमित अधिशासन पर एक भाग अलग से जोड़ा गया है और अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न है, जो निदेशक की रिपोर्ट का एक भाग है।

प्रबंधन विवेचन तथा विश्लेषण

प्रबंधन विवेचन तथा विश्लेषण पर एक रिपोर्ट अनुलग्नक-III में प्रस्तुत की गई है।

औद्योगिक संबंध

वर्ष 2011-12 के दौरान आपकी कंपनी में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण रहा। कंपनी में इस दौरान कोई भी काम बंद अथवा श्रम आंदोलन की घटना नहीं हुई। बेहतर उत्पादन और उत्पादकता की गति को बनाए रखा गया। संगठन के सुचारू संचालन हेतु विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए तथा शिकायतों के निवारण हेतु शीघ्र निर्णय लेने के लिए खदान स्तर और निगमित स्तर पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया है, जो संतोषजनक प्रीति से कार्य कर रही है।

आभार ज्ञापन

आपके निदेशक, भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश की राज्य सरकार, कंपनी के बैंकर्स, मूल्यवान ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करते है।

कंपनी के कर्मचारियों द्वारा लगातार उत्कृष्टता प्राप्त करने के प्रयासों में अपनी पूर्णतः प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। आपके निदेशक इस अवसर पर कर्मचारियों द्वारा बहुमूल्य योगदान के लिए उनकी सराहना करते है एवं आशा करते है कि आने वाले वर्षों में भी वे इसी उत्साह एवं समर्पण की भावना से काम करेंगे ताकि कंपनी को और अधिक उंचाई पर ले जा सके।

आपके निदेशक अंशधारकों के विश्वास एवं कंपनी के उद्यम में सहयोग के लिए आभारी हैं।

निदेशक मंडल की ओर से
हस्ता/-
के. जे. सिंह
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान : नागपुर
दिनांक : 25 मई, 2012

अंशधारकों के लिए निदेशक की रिपोर्ट - अनुलग्नक-I

फार्म-बी

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (1) (ई) एवं 1988 में किए गए संशोधनों के अंतर्गत जरूरी प्रौद्योगिकी आत्मसात के संबंध में विवरणों का प्रकटीकरण

(i) अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी)		
क्रम संख्या	**विर्निदिश्ट क्षेत्र जहाँ कंपनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास के कार्य किए गए है। निम्नलिखित क्षेत्रों में कंपनी ने अनुसंधान एवं विकास के कार्यों का हाथों में लिया है।**	**अनुसंधान एवं विकास के फलस्वरूप व्युत्पन्न लाभ**
1.	सुरक्षा मानकों में सुधार	वर्तमान प्री-माईनिंग सपोर्ट प्रणाली के अलावा यांत्रिक सपोर्ट इस्तेमाल किया गया। इससे भूमिगत खदानों के सुरक्षा मानकों में सुधार हुआ है और लकड़ी को भी बचाया गया है।
2.	नियंत्रित विस्फोट तकनीक	ओपन कास्ट खदानों में भूकंपन एवं उड़ने वाले पत्थरों की समस्या के लिए सीआयएमएफआर एवं वीएनआयटी की सेवाएं ली गई है। इस अध्ययन से कंपनी की ओपन कास्ट खदानों के सुरक्षा मानकों में सुधार हुआ है।
3.	अयस्क भंडार का गवेशण	यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंपनी की स्वयं की कोर ड्रिलिंग मशीनों के द्वारा कोर ड्रिलिंग होल गवेशण ड्रिलिंग से अयस्क भंडार और पट्टा क्षेत्रों के आसपास गवेशण किया जाता है। इसके अलावा, आउटसोर्सिंग के द्वारा गहरा गवेशण किया गया। वर्ष 2011-12 के दौरान कंपनी इस प्रक्रिया से 0.829 मिलियन टन अतिरिक्त अयस्क भंडार/संसाधनों को जोड़ने में सक्षम हुई है।
4.	भूभौतिकीय गुरूत्वाकर्शण द्वारा गवेशण	संसाधनों का तेजी से गवेशण करने के लिए भूभौतिकीय चुंबकीय प्रणाली द्वारा चुंबकीय प्रणाली भूभौतिकीय गवेशण का इस्तेमाल किया गया है। एमईसीएल/ जीएसआई द्वारा किए गए अध्ययन के परिणामस्वरूप तिरोडी/सुकली खदान के कुछ स्थलों को गवेशण ड्रिलिंग के लिए निर्धारित किया गया है।
5.	खनिज प्रसंस्करण	बेकार/डम्प से मैंगनीज के उत्पादन के लिए बालाघाट खदान में स्वदेष में विकसित सामग्री हैंडलिंग यूनिट स्थापित किया गया है। इससे बालाघाट खदान की उत्पादकता में सुधार हुआ है। मैंगनीज फाइन्स की सिन्टररिंग के लिए आईबीएम को विश्लेषण के लिए नमूने दिए गए है। इस अध्ययन से मैंगनीज अयस्क के संरक्षण में मदद मिलेगी।
6.	रेत के लिए वैकल्पिक भराई हेतु सहयोगात्मक अनुसंधान	वीएनआईटी, नागपुर के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजना चल रही है। रेत की बजाय कोई वैकल्पिक सामग्री का पता चल सकता है।
7.	उर्जा की बचत	उर्जा बचत हेतु कान्द्री, गुमगाँव, उकवा और बालाघाट खदान में पीएलसी संचालित कॉम्प्रेषर स्थापित किया गया है। इससे स्थापना के समय बिजली उर्जा की खपत में कमी आयी है।
8.	लेवल के अंतराल में वृद्धि	30 मीटर से 45 मीटर के अंतराल में वृद्धि के लिए सुझाव देने हेतु मेसर्स सीआईएमएफआर की नियुक्ति की गई थी। तद्नुसार बालाघाट खदान में 12वाँ लेवल से नीचे मौजूदा 30 मीटर से 45 मीटर का लेवल अंतराल बढ़ाने के लिए डिजाइन बना लिया गया है।
9.	एक्सआरएफ विश्लेषक	कंपनी ने खदानों एवं नागपुर स्थित निगमित कार्यालय में सफलतापूर्वक एक्सआरएफ विष्लेशक मशीन को लगा लिया है। इससे ग्राहक समाधान में सुधार हुआ है।
10.	पर्यावरण मित्र मशीन	कर्मचारियों के बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए ओपनकास्ट खदानों में आधुनिक उच्च तकनीक की हाइड्रोस्टेटिक पर्यावरण मित्र ड्रिलिंग मशीन को लगाया गया है।

(ii) प्रौद्योगिकी समावेषन, अंगीकार एवं नवाचार		
	प्रौद्योगिकी समावेषन, अंगीकार एवं नवाचार की दिषा में प्रयासों का संक्षिप्त विवरण	उपर्युक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप व्युत्पन्न लाभ
	1) उपर्युक्त के अनुसार खनन में अनुसंधान एवं विकास के प्रयास	उपर्युक्त के परिणामस्वरूप इन प्रयासों से खनन प्रचालन में सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार दिखाई दिया है। इस विकास के साथ त्वरित खनन तकनीक जैसे भूमिगत वेंटीलेषन के लिए बड़े डाय की ड्रिलिंग, विकास एवं उत्पादन के लिए उच्च गति की ड्रिलिंग तथा भूभौतिकीय पूर्वेक्षण ने गवेशण के लिए नए क्षेत्र निर्धारित किए है।
	2) पीएलसी संचालित काम्प्रेसर को लगाना	पीएलसी काम्प्रेसर का इस्तेमाल करके उर्जा खपत में 5-10 प्रतिशत की कमी होने की उम्मीद है।

(iii)	भविष्य की कार्ययोजना	भूमिगत में सौर उर्जा एवं इलेक्ट्रो-हाईड्रोस्टॅटिक ड्रिलिंग मशीनों का भविष्य में इस्तेमाल किया जाना प्रस्तावित है।			
(iv)	अनुसंधान एवं विकास पर व्यय (रूपये करोड में)	पूंजीगत (ए)	आवर्ती (बी)	कुल (सी)	टर्न ओवर के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान एवं विकास का कुल व्यय
		0.83	7.98	8.81	0.97

पिछले पांच वर्षों के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी के बारे में वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से गिनती करते हुए	आयात का वर्ष	क्या प्रौद्योगिकी का पूरी तरह से समावेश किया गया है	यदि नहीं, तो पूरी तरह शामिल वह क्षेत्र जहां इसे नहीं किया गया है, उसका कारण तथा उसके लिए भविष्य की कार्य योजना
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

अनुलग्नक -II

निगमित शासन रिपोर्ट

"निगमित शासन में कंपनी का प्रबंधन, उसका मंडल, उसके अंशधारक और अन्य पणधारियों के बीच सामूहिक संबंध शामिल होता है। निगमित शासन एक ऐसी संरचना भी प्रदान करता है जिसके माध्यम से कंपनी के लक्ष्यों को तय किया जाता है एवं इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधनों तथा कार्य-निष्पादन का पर्यवेक्षण निर्धारित किया जाता है।"

- ऑर्गनायजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एण्ड डेवलपमेंट (आर्थिक सहयोग और विकास के लिए संगठन)

1. निगमित शासन दर्शन :

मॉयल एक "लघु रत्न श्रेणी-I" की कंपनी है जो कुशल, सत्यनिष्ठ, ईमानदार, जवाबदेही तथा नैतिक तरीके से व्यापार करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस बात में विश्वास करती है कि निगमित शासन कानून के दायरे से भी उपर है। यह प्रबंधन की संस्कृति एवं मानसिकता से उभरता है तथा अकेले कानून द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता है। एक अच्छा निगमित शासन कानून के अनुपालन से परे चला जाता है और इसमें कंपनी की व्यापक प्रतिबद्धता शामिल होती है। यह प्रतिबद्धता निदेशक मंडल से प्रारंभ होती है, जो सभी को दीर्घकालिक लाभ मिलने के साथ संतुलित तरीके से, सभी पणधारियों के सर्वोत्तम हित में, कंपनी की रणनीतिक एवं प्रचालन उत्कृष्टता पर ध्यान केन्द्रित करके निगमित शासन की जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है।

निगमित शासन स्थायी मूल्य निर्माण में लगातार सुधार करने वाली एक यात्रा है तथा लक्ष्य की ओर लगातार ऊपर बढ़ते जाना है। नियामक और अनुपालन की आवश्यकता के रूप में शासन के परंपरागत दृष्टिकोण ने कंपनी की विशिष्ट आवष्यकताओं के अनुरूप शासन अपनाने लिए मार्ग मुहैया कराया है। खण्ड 49 में पंजीकृत कंपनी के लिए अनुपालन की बैंचमार्क नियमावली तथा शासन के मानकों के लिए निर्देषरेखा स्थापित की गई है। मॉयल, धारा 49 के अनुसार निर्धारित निगमित व्यवहारों का न केवल पालन करती है बल्कि विश्व में उभरते सर्वोत्तम व्यवहारों को अपनाने का लगातार प्रयास करती है। उच्चतर मानकों को प्राप्त करना तथा रणनीतिक कार्यान्वयन और जोखिम प्रबंधन में प्रबंधनवर्ग को निगरानी और मार्गदर्शन प्रदान करना तथा निर्धारित लक्ष्यों और उद्देष्यों को पूरा करना हमारा प्रयास होता है।

2. निदेशक मंडल

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अंतर्गत मॉयल एक सरकारी कंपनी है। भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कंपनी की कुल 71.57 प्रतिशत पेड-अप शेयर पूंजी धारित करते हैं। मॉयल के अंतर्नियमों के अनुसार निदेषकों की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति में निहित होता है। अतः मॉयल के मंडल के सभी निदेशकों को इस्पात मंत्रालय के माध्यम से भारत के राश्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है। दिनांक 31 मार्च, 2012 को निदेशक मंडल में 14 निदेशक शामिल थे, जिसमें अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को मिलाकर 4 पूर्णकालिक निदेशक है, भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार एवं मध्यप्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में 3 सरकारी निदेशक तथा 7 स्वतंत्र निदेशक शामिल है। मॉयल लिमिटेड के मंडल की संरचना लिस्टिंग एग्रीमेंट की धारा 49 के अनुरूप की गई है।

2.1 31 मार्च, 2012 को निदेशक मंडल की श्रेणी के अनुसार संरचना

पूर्णकालिक निदेशक

1. श्री के. जे. सिंह, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
2. श्री एम. ए. वी. गौतम, निदेशक (वित्त)
3. श्री ए. के. मेहरा, निदेशक (वाणिज्य)
4. श्री जी. पी. कुंदरगी, निदेशक (उत्पादन एवं आयोजना)

भारत सरकार के नामित निदेशक

1. डॉ. दलिप सिंह, भारत सरकार के नामित निदेशक
2. डॉ. छत्रपति षिवाजी, महाराष्ट्र सरकार के नामित निदेशक
3. श्री एस. के. मिश्रा, मध्यप्रदेष सरकार के नामित निदेशक

स्वतंत्र निदेशक

1. डॉ. एस. के. भट्टाचार्य
2. श्री विजय काले
3. डॉ. मधु विज
4. श्री संजीवा नारायण
5. श्री एच. सी. दिसोदिया
6. श्री वी. के. गुप्ता
7. डॉ. डी. डी. कौशिक

अनुलग्नक -II

2.2 सभा में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति, पिछली वार्षिक सर्वसाधारण सभा, निदेशक पदों की संख्या तथा समिति की सदस्यता, अध्यक्षता का विवरण

निदेशक का नाम	आयोजित मंडल सभाओं की संख्या	मंडल सभाओं में उपस्थित होने की संख्या	पिछली वार्षिक सर्वसाधारण सभा में उपस्थिति	अन्य निदेशक पदों की संख्या	समिति की सदस्यता/ अध्यक्षताङ की संख्या	
					समिति की सदस्यता	समिति की सदस्यता
पूर्णकालिक निदेशक						
श्री के. जे. सिंह अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	4	4	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्री एम. ए. वी. गौतम निदेशक (वित्त)	4	4	हाँ	2	शून्य	1
श्री ए. के. मेहरा निदेशक (वाणिज्य)	4	4	हाँ	2	शून्य	1
श्री जी. पी. कुंदरगी निदेशक (उत्पादन एवं आयोजना)	4	3	हाँ	2	शून्य	1
सरकार के नामित निदेशक						
डॉ. दलिप सिंह भारत सरकार के नामित निदेशक	4	2	---	2	शून्य	शून्य
श्री ए. एम. खान (08.07.2011 तक) महाराष्ट्र सरकार के नामित निदेशक	1	0	---	लागू नहीं	शून्य	शून्य
डॉ. छत्रपति शिवाजी (07.03.2012 से) महाराष्ट्र सरकार के नामित निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	---	9	शून्य	शून्य
श्री एस. के. मिश्रा मध्यप्रदेश सरकार के नामित निदेशक	4	1	---	13	शून्य	शून्य
स्वतंत्र निदेशक						
डॉ. एस. के. भट्टाचार्य स्वतंत्र निदेशक	4	4	---	1	1	शून्य
श्री विजय काले स्वतंत्र निदेशक	4	4	---	शून्य	1	1
डॉ. मधु विज स्वतंत्र निदेशक	4	4	---	1	1	शून्य
श्री संजीवा नारायण स्वतंत्र निदेशक	4	4	---	5	शून्य	1
श्री एच. सी. डिसोदिया स्वतंत्र निदेशक	4	4	---	शून्य	शून्य	शून्य
श्री वी. के. गुप्ता स्वतंत्र निदेशक	4	4	---	3	शून्य	1
डॉ. डी. डी. कौशिक स्वतंत्र निदेशक	4	2	---	शून्य	शून्य	शून्य

*पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की लेखा-परीक्षा समिति तथा अंशधारक/निवेशक शिकायत समिति सदस्यता/अध्यक्षता को विचार में लिया गया है।

** डॉ. छत्रपति शिवाजी की नियुक्ति के बाद कोई भी मंडल सभा आयोजित नहीं की गई है।

2.3 तारीखों के साथ मंडल सभाओं की संख्या

वर्ष 2011-12 के दौरान मंडल की चार (4) सभाएं आयोजित की गई जो दिनांक 20 मई 2011, 05 अगस्त 2011, 11 नवम्बर 2011 और 06 फरवरी 2012 को आयोजित की गई।

3. समितियाँ

निदेशक मंडल की समितियों का गठन

मंडल की समितियाँ कुछ विशिष्ट क्षेत्रो पर ध्यान केन्द्रित करती है तथा प्रत्यायोजित प्राधिकारी के साथ सूचित निर्णय लेती है। मंडल की प्रत्येक समिति अपने चार्टर के अनुसार जो उसकी संरचना, कार्यक्षेत्र, अधिकार, भूमिका को परिभाषित करता है तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार और लिस्टिंग एग्रीमेंट और निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देषों के अनुसार कार्य करती है। वर्तमान में, कंपनी की निम्नलिखित मंडल समितियाँ है :

1. लेखा-परीक्षा समिति
2. अंशधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति
3. पारिश्रमिक समिति
4. परियोजना एवं कार्य-निष्पादन समीक्षा समिति (पीपीआरसी)
5. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआरसी)

3.1 मंडल की लेखा-परीक्षा समिति

लेखा-परीक्षा समिति लेखा की गुणवत्ता और सत्यनिष्ठा का पर्यवेक्षण, कंपनी की लेखा-परीक्षा रिपोर्टिंग प्रणाली तथा उसके कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करने में मंडल को अपनी जिम्मेदारी का वहन करने में सहायता करती है। कंपनी की लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली का पर्यवेक्षण, कंपनी के वित्तीय विवरण का अंकेक्षण, नियुक्ति, स्वतंत्रता, सांविधिक लेखा-परीक्षकों का कार्य-निष्पादन एवं पारिश्रमिक, आंतरिक लेखा-परीक्षकों का कार्य-निष्पादन तथा कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों का पर्यवेक्षण करना समिति का उद्देश्य है।

ए) संरचना, अध्यक्ष और सदस्यों के नाम

लेखा-परीक्षा समिति में 5 सदस्य होते है जिनमें से 4 सदस्य स्वतंत्र निदेशक और 1 सदस्य कार्यकारी निदेशक होता है। लेखा-परीक्षा समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292ए और लिस्टिंग अनुबंध के खण्ड 49 की आवश्यकतों को पूरा करती है। वर्तमान में समिति के सदस्य निम्नलिखित है :

1. श्री विजय वी. काले, अध्यक्ष (अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक)
2. डॉ. सुबीर के. भट्टाचार्य, सदस्य (स्वतंत्र निदेशक)
3. श्री संजीवा नारायण, सदस्य (स्वतंत्र निदेशक)
4. श्री बी. के. गुप्ता, सदस्य (स्वतंत्र निदेशक)
5. श्री जी. पी. कुंदरगी, सदस्य (निदेशक उत्पादन एवं आयोजना)

कंपनी का सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

बी) वर्ष के दौरान सभाएं एवं उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की 4 सभाएं आयोजित की गई, जिसका विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	तारीख	संबंधित सभा में समिति के सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	20.05.2011	5	5
2	05.08.2011	5	5
3	10.11.2011	5	5
4	06.02.2012	5	4

सी) लेखा-परीक्षा समिति के अधिकार

लेखा-परीक्षा समिति के अधिकारों में निम्नलिखित का समावेश है :

1. अपने विचारार्थ विषय के दायरे में किसी भी गतिविधि का अन्वेशण करना।
2. किसी भी कर्मचारी से जानकारी मांगना।
3. बाहर से कानूनी या अन्य व्यावसायिक सलाह प्राप्त करना।
4. यदि ऐसा आवश्यक समझा जाता है तो, सुसंगत विषेशज्ञता-प्राप्त बाहरी व्यक्ति की सेवा प्राप्त करना।

डी) विचारार्थ विषय का संक्षिप्त विवरण :

लेखा-परीक्षा समिति की भूमिका में निम्नलिखित का समावेश है :

ए) वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय है इसे सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली एवं वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण का पर्यवेक्षण करना;

बी) सांविधिक लेखा-परीक्षक की नियुक्ति, पुर्ननियुक्ति तथा यदि आवश्यक हो तो प्रतिस्थापन करने अथवा हटाने तथा लेखा-परीक्षा शुल्क तय करने के लिए मंडल को सिफारिश करना;

सी) सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षक को भुगतान स्वीकृत करना;

डी) मंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरणी पर प्रबंधन के साथ समीक्षा करना, इन विशेष संदर्भ में :

1. कंपनी अधिनियम की धारा 217 की उपधारा (2 एए) के अनुसार मंडल की रिपोर्ट में शामिल करने के लिए निदेशक उत्तरदायित्व विवरण में समाविष्ट किए जाने वाले आवश्यक मामले;
2. कारणों को दर्शाते हुए लेखांकन नीतियों और व्यवहारों में यदि कोई परिवर्तन करना हो;
3. प्रबंधन द्वारा आकलन पर आधारित निर्णय के प्रयोग को शामिल करते हुए प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां;
4. वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण समायोजन जो लेखापरीक्षा निष्कर्ष से उत्पन्न हुए;
5. वित्तीय विवरणों से संबंधित लिस्टिंग एवं अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;
6. पार्टी से संबंधित किसी भी व्यवहारों का प्रकटीकरण; और
7. मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में योग्यता।

ई) मंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले तिमाही वित्तीय विवरणी पर प्रबंधन के साथ समीक्षा करना;

एफ) निधि जो इश्यू (पब्लिक इश्यू, राइट्स इश्यू, प्रिफ्रेन्शियल इश्यू इत्यादि) के माध्यम से उभारी गई है उसके उपयोग/विनियोग का विवरण, पब्लिक या राइट इश्यू से आय के उपयोग की प्रक्रिया पर निगरानी रखने वाली मॉनिटरिंग एजेन्सी के द्वारा प्रस्तुत ऑफर डाक्युमेंट/प्रॉस्पेक्टस/नोटिस तथा रिपोर्ट में दर्शाए गए के अतिरिक्त, अन्य कारणों के प्रयोजन से इस्तेमाल की गई निधि के विवरण पर प्रबंधन के साथ समीक्षा एवं मॉनिटरिंग करना तथा इन मामलों पर उचित कदम उठाने के लिए मंडल को योग्य सिफारिश करना;

जी) सांविधिक एवं आंतरिक लेखा-परीक्षकों का कार्य-निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता पर प्रबंधन के साथ समीक्षा करना;

एच) आंतरिक लेखा-परीक्षक विभाग की संरचना, कर्मचारी तथा विभाग प्रमुख की वरियता, रिपोर्टिंग संरचना की व्याप्ति तथा आंतरिक लेखा-परीक्षा की आवृत्ति का समावेश यदि करते है तो आंतरिक लेखा-परीक्षा की गतिविधि की पर्याप्तता की समीक्षा करना;

आई) आंतरिक लेखा-परीक्षकों के साथ किसी उल्लेखनीय जांच परिणाम पर विचारविमर्श करना तथा उस पर कार्रवाई करना;

जे) संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता के मात्रात्मक प्रकार के मामले, जो आंतरिक लेखा-परीक्षक द्वारा आंतरिक अन्वेषण के दौरान पाए गए उसकी समीक्षा करना तथा मामले की जानकारी बोर्ड को देना;

के) लेखा-परीक्षा का प्रकार और उसकी व्यापकता के बारे में लेखा-परीक्षा प्रारंभ होने से पहले सांविधिक लेखा-परीक्षकों के साथ चर्चा करना साथ ही लेखा-परीक्षा के बाद सरोकार के किसी क्षेत्र निर्धारण करने के लिए वार्तालाप करना;

एल) जमाकर्ताओं, डिबेंचर-धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में) और ऋणदाताओं को भुगतान में भारी चूक के कारणों को देखना;

एम) प्रमुख वित्त अधिकारी (अर्थात् पूर्णकालिक वित्त निदेशक अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो वित्तीय कार्यों का प्रमुख हो या वित्तीय कार्यों का निर्वहन करता हो) पद के उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव एवं पार्श्वभूमि इत्यादि का आकलन करके नियुक्ति की स्वीकृति देना;

एन) यदि ''व्हीसल ब्लोअर'' यंत्रणा मौजूद हो तो उसके कामकाज की समीक्षा करना; तथा

ओ) लेखा-परीक्षा समिति के विचारार्थ विशय में उल्लेखित या समय-समय पर संशोधित लिस्टिंग एग्रीमेंट में समाविष्ट अन्य कार्यों का निर्वहन करना।

3.2 शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति

शेयरों का हस्तांतरण, वार्षिक रिपोर्ट नहीं मिलना, घोषित लाभांश नहीं मिलना इत्यादि के संबंध में अंशधारक तथा निवेशकों की शिकायतों पर ध्यान देने की जिम्मेदारी समिति को दी गई है। समिति कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के कार्यनिष्पादन एवं सेवास्तर का मूल्यांकन भी करती है तथा निवेशकों को प्रदान किए जा रहे सेवास्तर को सुधारने के लिए लगातार मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। सेबी (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) विनियम, 1992 के अनुसरण में इनसाइडर ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कंपनी की आचार संहिता के क्रियान्वयन एवं अनुपालन के पर्यवेक्षण का कार्य भी समिति करती है। मंडल ने आरटीए तथा/या कंपनी सचिव को प्रतिभूतियों के हस्तांतरण का अनुमोदन प्रदान करने का अधिकार प्रत्यायोजित किया है।

ए) विचारार्थ विषय का संक्षिप्त विवरण :

समिति की जिम्मेदारियाँ नीचे दिए अनुसार है :

1. निवेशकों की शिकायतों का निवारण करना
2. शेयरों का आबंटन, शेयर, डिबेंचर या अन्य किसी भी प्रतिभूतियों के हस्तांतरण या पारेशण को अनुमोदन देना
3. विभाजन/समेकन/नवीनीकरण इत्यादि के मामले में डुप्लीकेट प्रमाणपत्र तथा नए प्रमाणपत्र जारी करना
4. कंपनी का घोषित लाभांश, तुलनपत्र नहीं मिलने बाबत
5. समय-समय पर संशोधित लिस्टिंग एग्रीमेंट में समाविश्ट अन्य कार्यों का निर्वहन करना

बी) वर्तमान में समिति में निम्नलिखित सदस्यों का समावेश है :

1. डॉ. मधु विज, स्वतंत्र निदेशक - सभापति
2. डॉ. डी. डी. कौशिक, स्वंतत्र निदेशक - सदस्य
3. श्री एम. ए. वी. गौतम, निदेशक (वित्त) - सदस्य
4. श्री ए. के. मेहरा, निदेशक (वाणिज्य) - सदस्य

सी) सभा एवं उपस्थिति

वर्ष 2011-12 के दौरान अंशधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति की चार (4) सभाएं 19 मई, 04 अगस्त, 10 नवंबर 2011 और 05 फरवरी 2012 को आयोजित की गई थी। सदस्यों द्वारा सभा की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

सदस्य का नाम	आयोजित सभा	सभा में उपस्थिति
डॉ. मधु विज	4	4
डॉ. डी. डी. कौशिक	4	2
श्री एम. ए. वी. गौतम	4	4
श्री ए. के. मेहरा	4	4

डी) अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम

कंपनी के अनुपालन अधिकारी श्री नीरज दत्त पांडे, कंपनी के सचिव है।

ई) निवेशकों की शिकायतें

दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी एवं रजिस्ट्रार ने उन मामलों को छोड़कर जो विवाद या कानूनी बाधाओं के कारण बाधित हुए, निवेशकों की शिकायतों को तत्परता से देखा है। शिकायतों का विवरण इस प्रकार है :

अनु. क्र.	विवरण	शिकायतों की संख्या
1.	01 अप्रैल, 2011 को शेष	50
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त	3301
3.	वर्ष के दौरान देखा गया/सुलझाया गया	3339
4.	31 मार्च, 2012 को लंबित	12

3.3 पारिश्रमिक समिति

मॉयल एक केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम है और इसलिए नियुक्ति, कार्यकाल और निदेशकों के पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किए जाते है। हालांकि सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने अधिकारियों को परफॉरमेंस रिलेटेड पे (पीआरपी) का निर्धारण करने के प्रयोजन से एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था।

ए) वर्तमान में समिति में निम्नलिखित सदस्यों का समावेश है :

1. डॉ. एस. के. भट्टाचार्य, (स्वतंत्र निदेशक) - अध्यक्ष
2. श्री विजय वी. काले, (स्वतंत्र निदेशक) - सदस्य
3. डॉ. मधु विज, (स्वतंत्र निदेशक) - सदस्य

कंपनी के कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान दिनांक 12.04.2011 और 12.01.2012 को समिति की दो सभा आयोजित की गई। सदस्यों द्वारा सभा में उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	सदस्य का नाम	कुल आयोजित सभा	सभा में उपस्थिति
1.	डॉ. एस. के. भट्टाचार्य	2	2
2.	श्री विजय वी. काले	2	1
3.	डॉ. मधु विज	2	2

बी) पारिश्रमिक समिति की भूमिका :

पारिश्रमिक समिति के कार्य

1. निर्धारित सीमा के भीतर एक्जीक्युटिव तथा नॉन युनियनॉइज सुपरवाइजर में वितरण के लिए वार्षिक बोनस / वेरीएबल पे पूल एवं नीति निर्धारण करना।
2. कंपनी अधिनियम 1956, सार्वजनिक उपक्रम विभाग के दिशानिर्देशों तथा लिस्टिंग एग्रीमेंट तथा अन्य सरकारी दिशाानिर्देशों, जो भी लागू हो तथा निर्धारित हो, जिम्मेदारियों का निर्वहन करना।

सी) वर्तमान क्रियात्मक निदेशक के द्वारा प्राप्त किया गया पारिश्रमिक

वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए क्रियात्मक निदेशकों को भुगतान किये गए पारिश्रमिक का विवरण

क्र. सं.	निदेशकों का नाम	वेतन	लाभ	भविष्य निधि	बोनस/ कमिशन	कार्यनिष्पादन से जुड़े इन्सेन्टिव	कुल
1.	श्री के. जे. सिंह, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	1993449	137277	187523	शून्य	2937670	5255919
2.	श्री एम. ए. वी. गौतम, निदेशक (वित्त)	2065979	78931	177370	शून्य	2121811	4444091
3.	श्री ए. के. मेहरा, निदेशक (वाणिज्य)	1928528	173490	171831	शून्य	2018394	4292243
4.	श्री जी. पी. कुंदरगी, निदेशक (उत्पादन एवं आयोजना)	1830400	151467	153486	शून्य	1954800	4090153

वर्तमान क्रियात्मक निदेशक के द्वारा प्राप्त किया गया पारिश्रमिक स्वतंत्र निदेशकों को मंडल तथा/समिति सभा में उपस्थित होने के लिए रू. 7,500/- प्रति सभा की दर से बैठक शुल्क जुलाई, 2011 तक का भुगतान किया गया है। हालांकि 05 अगस्त, 2011 को आयोजित मंडल की 282वीं सभा में बैठक शुल्क रू. 10,000/- तय किया गया था (मंडल की प्रत्येक सभा में उपस्थित होने का शुल्क रू. 10,000/-) और समिति की सभा में रू. 7,500/- और तद्नुसार स्वतंत्र निदेशकों को अदा किया गया।

3.4 परियोजना एवं कार्य निष्पादन समीक्षा समिति (पीपीआरसी)

परियोजना एवं कार्यनिष्पादन समीक्षा समिति में श्री बी. के. गुप्ता - अध्यक्ष, डॉ एस. के. भट्टाचार्य, श्री एच. सी. डिसोडिया, श्री संजीवा नारायण गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक शामिल है तथा श्री ए. के. मेहरा, निदेशक (वाणिज्य) को दिनांक 14.04.2011 को समिति के सदस्य के रूप में चयन किया गया है। मंत्रालय के साथ कंपनी के हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) में जिसे सूचीबद्ध किया गया है ऐसी परियोजनाओं अथवा कंपनी की वित्तीय विवरणी में उल्लेखीत या इस संबंध में बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देषों के अनुसार कंपनी द्वारा हाथ में ली गई विभिन्न परियोजनाओं के कार्य-निष्पादन एवं प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करने हेतु इस समिति का गठन किया गया है।

कंपनी के सचिव श्री नीरज दत्त पांडे समिति के सचिव के तौर पर कार्य कर रहे है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 3 सभाएं आयोजित की गई थी जिसका विवरण निम्न प्रकार है :

क्रम सं.	तारीख	संबंधित सभा में समिति के सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	14.07.2011	5	4
2	10.11.2011	5	5
3	06.02.2012	5	5

3.5 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआर)

कंपनी द्वारा स्वीकृत किए गए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्यों की प्रगति का पर्यवेक्षण करने लिए इस समिति का गठन किया गया है, ताकि स्वीकृति की शर्तों के अनुरूप यह कार्य किए जा रहे, यह सुनिष्चित किया जा सके। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यों के ऐसे प्रस्ताव जो कंपनी के कार्यक्षेत्र के बाहर के है, उन्हें मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले समिति के समक्ष रखा जाएगा। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की नीति अथवा इसमें यदि कोई परिवर्तन करना हो तो इसकी समिति द्वारा मंडल को सिफारिश की जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान सीएसआर समिति की 6 सभाएं आयोजित की गई, जो 6 अप्रैल, 19 मई, 14 जुलाई, 04

अगस्त, 10 नवंबर 2011 और 05 फरवरी 2012 को आयोजित की गई। समिति के सदस्यों द्वारा सभा में उपस्थिति और सदस्यों का विवरण इस प्रकार है :

क्रम सं.	सदस्य का नाम	पदनाम	आयोजित सभा	सभा में उपस्थिति
1.	श्री एच. सी. डिसोडिया	अध्यक्ष एवं स्वतंत्र निदेशक	6	6
2.	श्री विजय काले	सदस्य एवं स्वतंत्र निदेशक	6	3
3.	डॉ. डी. डी. कौशिक	सदस्य एवं स्वतंत्र निदेशक	6	3
4.	डॉ. मधु विज	सदस्य एवं स्वतंत्र निदेशक	6	6
5.	श्री जी. पी. कुंदरगी	सदस्य एवं निदेशव (उत्पादन एवं आयोजना)	4	3

4. सर्वसाधारण सभा

4.1 कंपनी की पिछली तीन सर्वसाधारण सभा का विवरण नीचे दर्शाए अनुसार है :

वर्ष	तारीख	समय	स्थान	पारित विशेष प्रस्तावों की संख्या
2008-09	28 अगस्त, 2009	03.00 बजे	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, 1-ए, काटोल रोड, मॉयल भवन, नागपुर - 440 013	शून्य
2009-10	23 जुलाई, 2010	02.30 बजे	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, 1-ए, काटोल रोड, मॉयल भवन, नागपुर - 440 013	2
2010-11	23 सितम्बर, 2011	02.30 बजे	वसंतराव देशपांडे सभागृह एमएलए होस्टल के पास सिविल लाइन्स, नागपुर - 440 001	शून्य

4.2 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है।

4.3 आगामी वार्षिक सर्वसाधारण सभा में पोस्टल बैलेट के माध्यम से विशेष प्रस्ताव संचालित किए जाने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है।

5. नियंत्रित कंपनी की सूचना :

मॉयल की कोई नियंत्रित कंपनी नहीं है।

6. प्रकटीकरण

ए. कंपनी ने कोई ऐसा व्यवहार आरंभ नहीं किया है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, और जो बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों में संभावित संघर्ष निर्माण कर सकता है। फिर भी पक्षों से संबंधित व्यवहार को लेखों पर टिप्पणी के मद संख्या 11 के नोट नं. 1.2 में प्रकट किया गया है।

बी. कंपनी अधिनियम, 1956 या नियम तथा स्टॉक एक्सचेंज या सेबी के विनियम या अन्य कोई सांविधिक प्राधिकारी के प्रावधानों का पालन नहीं करने का कोई मामला नहीं था। पिछले 3 वर्षों के दौरान किसी भी पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर इन प्राधिकारियों द्वारा कंपनी पर आक्षेप या जुर्माना नहीं लगाया गया।

सी. कंपनी के किसी कार्मिक ने लेखा-परीक्षा समिति से मिलने से इनकार नहीं किया है।

डी. निगमित शासन पर खण्ड 49 तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग के दिशानिर्देशों में जरूरी प्रावधानों का कंपनी द्वारा अनुपालन किया गया है।

खण्ड 49 की अनिवार्य और गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं का अंगीकरण

मॉयल ने लिस्टिंग एग्रीमेंट के खण्ड 49 में सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। लिस्टिंग एग्रीमेंट के खण्ड 49 के अनुबंध आईडी में निर्देशित गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं के संबंध में कंपनी द्वारा अपनाए/अनुपालित क्षेत्र नीचे दर्शाए अनुसार हैः

1. चूंकि कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक कंपनी के पूर्णकालिक कर्मचारी है, इसलिए अध्यक्ष का अलग से कार्यालय रखना आवश्यक नहीं है। आगे भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति 3 वर्षों के लिए की जाती है। इसलिए किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने कुल मिलाकर 9 वर्षों से अधिक की सेवा प्रदान नहीं की है।
2. कंपनी ने पारिश्रमिक समिति का गठन किया है, जिसका विवरण अनुक्रमांक 3.3 में दर्शाया गया है।
3. कंपनी अपने अन-अंकेक्षित/अंकेक्षित तिमाही वित्तीय परिणामों को ''मिन्स ऑफ कम्यूनिकेशन'' शिर्षक के अंतर्गत प्रमुख राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार-पत्रों में प्रकाशित करती है। इन अन-अंकेक्षित/अंकेक्षित वित्तीय परिणामों को कंपनी की वेबसाईट www.moil.nic.in पर भी डाला गया है, लेकिन अलग से परिचालित नहीं किया गया है। कंपनी अपनी प्रमुख गतिविधियों, उपलब्धियों इत्यादि को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार-पत्रों तथा अपनी वेबसाइट पर भी संप्रेशित करती है।
4. कंपनी का हमेशा प्रयास रहता है कि अनक्वालिफाइड वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें।
5. कंपनी के निदेशकों को समय-समय पर प्रशिक्षण दिया गया है।
6. एक सरकारी कंपनी होने के कारण सभी निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन इस्पात मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अतः गैर-कार्यपालक निदेशकों के मूल्यांकन के लिए कोई पियर ग्रुप का गठन नहीं किया गया है।

7. संचार के माध्यम

7.1 कंपनी अपने अन-अंकेक्षित/अंकेक्षित तिमाही वित्तीय परिणामों को प्रमुख राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार-पत्रों जैसे इकॉनॉमिक टाइम्स तथा हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र जैसे नवभारत में प्रकाशित करती है।

7.2 यह अन-अंकेक्षित/अंकेक्षित वित्तीय परिणामों को कंपनी की वेबसाइट www.moil.nic.in पर भी डाला गया है।

7.3 कंपनी अपनी प्रमुख गतिविधियों, उपलब्धियों इत्यादि को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, समाचार-पत्र तथा अपनी वेबसाइट पर संप्रेशित करती है।

8. सामान्य अंशधारक जानकारी

8.1 वार्षिक सर्वसाधारण सभा

दिनांक	दिवस	समय	स्थान
27.07.2012	शुक्रवार	02.30 बजे	मॉयल लिमिटेड, गोल्डन जुबली हॉल, वेस्ट कोर्ट परिसर, जिला परिशद गर्ल्स हायस्कूल के सामने, काटोल रोड, नागपुर - 440 013

8.2 वित्तीय वर्ष

कंपनी ने वित्तीय वर्ष प्रणाली को अपनाया है जो प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिवस से प्रारंभ होकर मार्च माह के 31वें दिन को समाप्त होता है।

8.3 अंशधारक रजिस्टर बंद होने की तारीख

शुक्रवार दिनांक 20 जुलाई, 2012 से 27 जुलाई, 2012 (दोनों दिवस शामिल)

8.4 लाभांश भुगतान तिथि

लाभांश के घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर अंशधारकों को उसका भुगतान/प्रेषण किया जाता है।

8.5 स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्धीकरण

आपकी कंपनी के शेयरों को दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 को सूचीबद्ध किया गया। एक्सचेंजों और स्टॉक कोड का विवरण इस प्रकार है :

स्टॉक एक्सचेंज	शेयर के प्रकार	स्टॉक कोड
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	इक्विटी शेयर	533286
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड	इक्विटी शेयर	मॉयल -ईक्यू

वर्ष 2012-13 के लिए वार्षिक सूचीबद्ध शुल्क उपरोक्त दोनों एक्सचेंज को अदा कर दिया गया है।

बाजार मूल्य तारीख : पिछले वित्तीय वर्ष 2011-12 में हर माह उच्च एवं निम्न मूल्य

माह	एनएसई		बीएसई	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल, 2011	417.50	380.40	417.45	379.50
मई, 2011	384.50	338.00	384.70	348.00
जून, 2011	372.00	318.30	371.75	320.50
जुलाई, 2011	374.65	301.25	374.60	333.00
अगस्त, 2011	351.70	294.10	350.00	295.00
सितम्बर, 2011	314.50	273.25	312.00	279.55
अक्तूबर, 2011	282.00	245.05	280.75	244.75
नवम्बर, 2011	256.50	216.00	256.20	222.00
दिसम्बर, 2011	246.45	219.00	246.80	217.35
जनवरी, 2012	269.80	227.10	268.80	226.30
फरवरी, 2012	295.35	246.55	295.85	246.80
मार्च, 2012	279.00	231.10	279.10	231.60

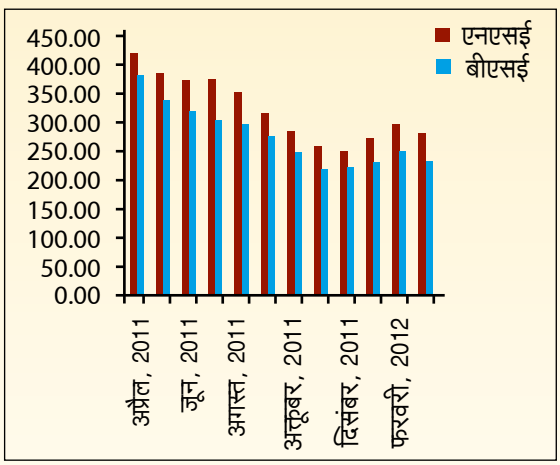

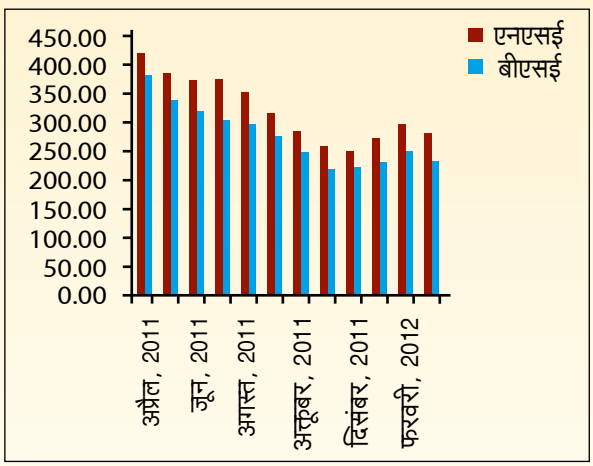

8.6 बीएसई एवं एनएसई ब्रॉड बेस्ड सूचकांक की तुलना में निष्पादन

माह	एनएसई		बीएसई	
	एस एण्ड पी सीएनएक्स निफ्टी	मॉयल	सेन्सेक्स	मॉयल
अप्रैल, 2011	5749.50	381.85	19135.96	381.50
मई, 2011	5560.15	365.60	18503.28	365.90
जून, 2011	5647.40	334.35	18845.87	334.10
जुलाई, 2011	5482.00	346.95	18197.20	346.25
अगस्त, 2011	5001.00	303.35	16676.75	302.05
सितम्बर, 2011	4943.25	280.25	16453.76	280.75
अक्तूबर, 2011	5326.60	257.05	17705.01	256.95
नवम्बर, 2011	4832.05	231.40	16123.46	231.15
दिसम्बर, 2011	4624.30	227.15	15454.92	227.75
जनवरी, 2012	5199.25	262.60	17193.55	262.35
फरवरी, 2012	5385.20	247.15	17752.68	247.65
मार्च, 2012	5295.55	250.25	17404.20	250.65

8.7 पंजीयक एवं स्थानांतरण अभिकर्ता का नाम व पता

पंजीयक एवं हस्तांतरण अभिकर्ता	पंजीयक के लिए आईपीओ
बिग शेयर सर्विसेस प्रा. लि. ई-2 एण्ड 3, अंसा इण्डस्ट्रियल इस्टेट साकी विहार रोड, साकीनाका, अंधेरी (ईस्ट) मुम्बई - 400 072 टेलीफोन : 91-22-40430200 फैक्स : 91-22-28475207 ईमेल : investor@bigshareonline.com वेबसाईट : www.bigshareonline.com	**कारवी कंप्यूटर शेयर प्रा. लि.** ''कारवी हाऊस'', 46 एवेन्यू-4, स्ट्रीट नं. 1, बंजारा हिल्स, हैदराबाद - 500 034 टेलीफोन : 91-40-23312454, 23320751 फैक्स : 91-40-23311968 ईमेल : moil.ipo@karvy.com वेबसाईट : www.karvy.com

8.8 शेयर हस्तांतरण प्रणाली

भौतिकीय खण्ड के अंतर्गत सभी शेयर हस्तांतरण के कार्य बिग शेयर सर्विसेस प्रा. लि. के द्वारा किए जा रहे है। शेयर हस्तांतरण प्रणाली में हस्तांतरिती से हस्तांतरण विलेख के साथ शेयरों के हस्तांतरण की रसीद, इसका सत्यापन, हस्तांतरण का ज्ञापन तैयार करना इत्यादि का शामिल है। कंपनी की प्रतिभूतियों के आबंटन एवं उत्तर आबंटन के लिए मंडल की उप-समिति द्वारा शेयर हस्तांतरण अनुमोदित किया जाता है।

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए लिस्टिंग एग्रीमेंट के खण्ड 47-सी के अनुसरण में छमाही आधार पर निर्धारित समय के भीतर शेयर हस्तांतरण औपचारिकताओं के विधिवत अनुपालन की पुष्टि करते हुए कार्यकारी कंपनी सचिव द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किया गया है।

8.9 शेयर धारणाधिकार का वितरण

ए. 31 मार्च, 2012 को धारणाधिकार के आकार, प्रतिशत के अनुसार

शेयर की संख्या	शेयर धारकों की संख्या	शेयर धारकों का प्रतिशत	कुल शेयर	शेयर का प्रतिशत
1-5000	455656	99.30	13321226	7.93
5001-10000	1900	0.41	1383465	0.82
10001-20000	661	0.14	933274	0.56
20001-30000	181	0.04	451082	0.27
30001-40000	98	0.02	351824	0.21
40001-50000	75	0.02	344836	0.21
50001-100000	135	0.03	990458	0.59
100001 एवं अधिक	165	0.04	150223835	89.42
कुल	**458871**	**100.00**	**168000000**	**100.00**

बी. 31 मार्च, 2012 को शेयर धारणाधिकार की श्रेणीवार सारांश

श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयर होल्डिंग का प्रतिशत
केन्द्र/राज्य सरकार (प्रमोटर्स/प्रमोटर्स समूह)	134400000	80.00
जनता	16781954	9.99
विदेशी संस्थागत निवेशक	7446469	4.43
निगमित संस्था	3657872	2.18
वित्तीय संस्थान/बैंक	2983050	1.78
म्युचुअल फंड/यूटीआई	2368896	1.41
अनिवासी भारतीय	279078	0.17
क्लियरिंग सदस्य	42920	0.03
कर्मचारी	24220	0.01
न्यास	15541	0.01

8.10 शेयर का विभौतिकीकरण एवं नकदीकरण

नैशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ कंपनी के शेयरों का विभौतिकीकरण किया जाता है।

31.03.2012 को विभौतिकीकरण में शेयरों की संख्या और भौतिकीय प्रणाली

श्रेणी	शेयरों की संख्या	जारी की गई कुल पूंजी का प्रतिशत
सीडीएसएल के साथ डिमैट प्रणाली में शेयर	6666961	3.97
एनएसडीएल के साथ डिमैट प्रणाली में शेयर	161332877	96.03
भौतिकीय प्रणाली में शेयर	162	0.00
कुल	16,80,00,000	100.00

8.11 बकाया जीडीआर/एडीआर/वारन्ट या अन्य परिवर्तनीय इन्स्ट्रुमेंट, परिवर्तित तिथि एवं इक्विटी पर संभावित प्रभाव

कंपनी द्वारा कोई भी जीडीआर/एडीआर/वारन्ट या परिवर्तनीय इन्स्ट्रुमेंट जारी नहीं किए गए है।

8.12 खदानों तथा पवन उर्जा फार्म के स्थान

खदानों की सूची

अनुक्रमांक	खदान का नाम और पता
महाराष्ट्र	
1	**चिखला खदान** पो.ऑ. चिखला, तहसील तुमसर, जिला भंडारा, महाराष्ट्र पिन - 441 920
2	**डोंगरी बजुर्ग खदान** पो.ऑ. डोंगरी बजुर्ग, तहसील तुमसर, जिला भंडारा, महाराष्ट्र पिन - 441 907
3	**बेलडोंगरी खदान** पो.ऑ. सातुक, तहसील रामटेक, जिला नागपुर, महाराष्ट्र पिन - 441 105
4	**कान्द्री खदान** पो.ऑ. कान्द्री, तहसील रामटेक, जिला नागपुर, महाराष्ट्र पिन - 441 401
5	**मनसर खदान** पो.ऑ. मनसर, तहसील रामटेक, जिला नागपुर, महाराष्ट्र पिन - 441 106
6	**गुमगाँव खदान** पो.ऑ. खापा, तहसील सावनेर, जिला नागपुर, महाराष्ट्र पिन - 441 101
मध्यप्रदेश	
7	**बालाघाट खदान** पी.ओ. भारवेली, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश पिन - 481 102
8	**उकवा खदान** पी.ओ. उकवा, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश पिन - 481 105
9	**तिरोडी खदान** पी. ओ. तिरोडी, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश पिन - 481 449
10	**सीतापातोरे खदान** पी.ओ. सुकली, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश पिन - 481 449

पवन उर्जा फार्म की सूची

मध्यप्रदेश	
1	नागदा हिल्स, जिला देवास, मध्यप्रदेश
2	रातेडी हिल्स, जिला देवास, मध्यप्रदेश

8.13 पत्रव्यवहार के लिए पता

पंजीकृत कार्यालय

मॉयल लिमिटेड - ''मॉयल भवन'', 1-ए, काटोल रोड, नागपुर - 440 013

9. आचार संहिता

अपने कर्मचारियों के लिए आचरण के उत्तम मानकों को स्थापित करने के मॉयल के निरंतर प्रयासों के एक भाग के रूप में सभी मंडल सदस्य एवं वरिश्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए ''कोड ऑफ बिजनेस कन्डक्ट्स एण्ड एथिक्स'' बनाया गया है। उक्त संहिता की प्रति कंपनी की वेबसाईट www.moil.nic.in में प्रस्तुत की गई है। कंपनी के सभी मंडल सदस्य एवं वरिश्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान मॉयल की संहिता ''कोड ऑफ बिजनेस कन्डक्ट्स एण्ड एथिक्स'' का पालन करने का अभिवचन दिया है।

घोशणा

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए लिस्टिंग एग्रीमेंट के खण्ड 49 में किए गए प्रावधान के अनुसार कंपनी के सभी मंडल सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ''कोड ऑफ बिजनेस कन्डक्ट्स एण्ड एथिक्स'' का अनुपालन करने की पुष्टि करते है।

कृते मॉयल लिमिटेड
हस्ता/-
के. जे. सिंह
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान : नागपुर
दिनांक : 25 मई, 2012

10. सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण

लिस्टिंग एग्रीमेंट के खण्ड 49 के अनुसार कंपनी के सीईओ/सीएफओ द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र निगमित शासन रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

11. व्हीसल ब्लोअर पॉलिसी

कंपनी के पास कोई विशिष्ट व्हीसल ब्लोअर पॉलिसी नहीं है लेकिन अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिक नीतियों के उल्लंघन के मामलों पर निगरानी रखने के लिए भारतीय पुलिस सेवा के मुख्य सतर्कता अधिकारी के नेतृत्व में सक्षम एवं स्वतंत्र सतर्कता विभाग कंपनी में विद्यमान है। और सभी कर्मियों को अपनी तक्रार शिकायतों इत्यादि को सतर्कता विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने की सुलभता है।

12. मंडल सदस्यों का प्रशिक्षण

मंडल सदस्यों के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया गया लेकिन व्यापार से संबंधित मामलें, जोखिम मूल्यांकन आदि विशयों पर मंडल/समिति सभाओं में वरिश्ठ अधिकारी/वेबसाईट/सलाहकारों द्वारा विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया जाता है। विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित संगोश्ठी एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु कंपनी अपने निदेशकों को नामित भी करती है।

13. लागू कानूनों के अनुपालन की समीक्षा

कंपनी में लागू सभी कानूनों के अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा समय-समय पर मंडल द्वारा की जाती है तथा सभी लागू कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित किया गया है।

सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणीकरण

सेवा में,
निदेशक मंडल
मॉयल लिमिटेड
नागपुर

ए) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमने 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए मॉयल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों एवं नकद प्रवाह विवरण की समीक्षा की है:

1. इन विवरणों में कोई महत्वपूर्ण असत्य विवरण नहीं है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य का विलोप नहीं किया गया है या ऐसे विवरण शामिल नहीं है जो गुमराह कर सकते है।
2. इन विवरणों के साथ कंपनी के कार्यकलापों की सही एवं निश्पक्ष छवि प्रस्तुत होती है तथा यह मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों एवं विनियमों के अनुपालन में है।

बी) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर कंपनी द्वारा वर्ष 2011-12 के दौरान ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया गया है जो धोखाधड़ी, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।

सी) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाए रखने की जिम्मेदारी को स्वीकार करते है तथा हमने कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के प्रभाव का मूल्यांकन किया है तथा हमने अंकेक्षक एवं अंकेक्षण समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की संरचना या प्रचालन में कमियों, यदि कोई हो, जिसकी हमें जानकारी हो तथा इन कमियों को सुधारने के लिए उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में हमने उनके समक्ष प्रकटीकरण किया है।

डी) हमने अंकेक्षक एवं अंकेक्षण समिति को सूचित किया है कि :

1. वर्ष 2011-12 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में उल्लेखनीय परिवर्तन;
2. वर्ष 2011-12 के दौरान लेखांकन नीतियों में उल्लेखनीय परिवर्तन तथा उसे वित्तीय विवरणी की टिप्पणी में प्रकट किया है; तथा
3. ऐसे धोखाधड़ी के मामले जिसकी हमें जानकारी हुई है तथा उसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी की संलिप्तता जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में उल्लेखनीय भूमिका है।

हस्ता/-
एम.ए.वी. गौतम
निदेशक (वित्त)
स्थान : नागपुर
दिनांक : 25.05.2012

हस्ता/-
के. जे. सिंह
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

अनुलग्नक-III

प्रबंधकीय विवेचन तथा विष्लेशण रिपोर्ट 2011-12

प्रस्तावना :

प्रबंधकीय विवेचन तथा विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर) का उद्देश्य कंपनी के कारोबारी माहौल में विकास एवं पिछली रिपोर्ट की तुलना में कंपनी का कार्य-निष्पादन तथा भावी दृष्टिकोण को विशद करना है। एमडीएआर निदेशक की रिपोर्ट का एक भाग है। किसी भी कंपनी का कार्य-निष्पादन विभिन्न घटकों से जुड़ा होता है जिसमें माँग, पूर्ति, जलवायु स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति, सरकारी नियमों तथा नीतियों, कराधान एवं प्राकृतिक आपदाओं, जो कंपनी के नियंत्रण की कक्षा से बाहर है तथा जो कंपनी के प्रचालन में उल्लेखनीय अंतर ला सकते है। इसे मद्देनजर रखते हुए अनुमान, दृष्टिकोण, अपेक्षा, आंकलन इत्यादि के संबंध में इस रिपोर्ट में दिए गए कुछ कथन वास्तविकता से दूर हो सकते है।

ए) औद्योगिक संरचना, बाजार परिदृश्य, अवसर, चुनौतियाँ, संभावना, जोखिम एवं चिंताएं

- **औद्योगिक संरचना और बाजार परिदृश्य**

मैंगनीज अयस्क उद्योग का निष्पादन मुख्यतः इस्पात उद्योग के निष्पादन पर निर्भर करता है। वर्ष 2011 में जापान में भूकंप, मध्य पूर्वी और उत्तरी अफ्रीका में राजनीतिक उथल-पुथल और थायलैण्ड में बाढ़ जैसी विभिन्न नकारात्मक घटनाओं के बावजूद यूरो झोन का ऋण संकट जिसका वैश्विक प्रभाव हुआ था, को छोड़कर इनका प्रभाव ज्यादातर स्थानीय तौर पर हुआ था। हालांकि अब स्थिरता के संकेत उभर रहे है और इस वर्ष की दूसरी तिमाही में फिर से बढ़त शुरू होने की उम्मीद है जो इसे वर्ष 2013 के लिए उच्चतर वृद्धि पूर्वानुमान की ओर ले जाएगी। इस्पात के घरेलु और अंतर्राष्ट्रीय उत्पादक अपनी क्षमता विस्तार योजना के साथ आगे बढ़ रहे है। इसके परिणामस्वरूप फेरो अलॉय की माँग/उत्पादन में वृद्धि होगी तथा आने वाले समय में मैंगनीज अयस्क में भी वृद्धि होगी।

वर्ष 2003 में आठवें स्थान की तुलना में भारत अब विश्व में कच्चे इस्पात का चौथा सबसे बडा उत्पादक बन गया है तथा 2015 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कच्चे इस्पात का उत्पादक बनने की उम्मीद है। अन्य देषों की तुलना में अपनी मजबूत घरेलु अर्थव्यवस्था, भारी इन्फ्रास्ट्रक्चर आवश्यकताओं, घरेलू खपत और औद्योगिक उत्पादन के विस्तार की वजह से आने वाले वर्षों में भारत द्वारा इस्पात के उपयोग में मजबूत वृद्धि दिखाने की उम्मीद है।

वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन (डब्लूएसए) के पूर्वानुमान के अनुसार भारत अपनी उच्च वृद्धि की धारा में फिर से वापस आने की उम्मीद है (2011 में सुस्त प्रदर्शन के बाद)। वर्ष 2012 में भारत के इस्पात का उपयोग 6.9 प्रतिशत से 72.5 एमटी तक पहुँचने की उम्मीद है। वर्ष 2013 में शहरीकरण और बढ़ते इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेषों की बुनियाद पर विकास दर बढ़कर 9.4 प्रतिशत होने का पूर्वानुमान है। विश्व परिदृष्य के अनुसार वर्ष 2011 में 5.6 प्रतिशत की बढ़त के साथ वर्ष 2012 में इस्पात का इस्तेमाल 3.6 प्रतिशत से बढ़कर 1,422 एमटी होना अपेक्षित है, और वर्ष 2013 में विश्व में इस्पात की माँग 4.5 प्रतिशत से आगे बढ़कर 1,486 एमटी के आसपास बढ़ जाएगी।

इस पूर्वानुमान से पता चलता है कि वर्ष 2013 तक विकसित देशों में इस्पात का इस्तेमाल वर्ष 2007 के स्तर से 14 प्रतिशत नीचे ही रहेगा, जबकि उभरते और विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों में 45 प्रतिशत से उपर हो जाएगा। वर्ष 2007 के 61 प्रतिशत के विपरीत वर्ष 2013 में, दुनिया में इस्पात की 73 प्रतिशत माँग उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्था द्वारा की जाएगी।

विश्व इस्पात उत्पादन कैलेण्डर वर्ष 2010 में 5.44 प्रतिशत पर 1,413 मिलियन टन से बढ़कर कैलेण्डर वर्ष 2011 में 1,480 मिलियन टन हो गया है, जबकि भारत में वर्ष 2010 में 8.08 प्रतिशत पर 66.8 मिलियन टन से बढ़कर 2011 में 72.2 मिलियन टन हो गया है।

विश्व मैंगनीज उत्पादन 2.65 प्रतिशत की बढ़त से 2010 में 47.21 मिलियन टन से बढ़कर 2011 में 48.46 मिलियन टन हो गया, जबकि भारत में वर्ष 2010 में 2.86 मिलियन टन का उत्पादन 9.09 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011 में 2.6 मिलियन टन हो गया।

- **क्षमता एवं कमजोरी**

क्षमता

- उच्च श्रेणी के मैंगनीज अयस्क का बड़ा भंडार
- परिमाण की दृष्टि से देश में मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक
- देश में फेरो ग्रेड मैंगनीज अयस्क के कुल प्रमाणित

भंडार का 60 प्रतिशत मॉयल के पास धारित होने की क्षमता है।

- संसाधनों के कारण यह कंपनी एक कम लागत वाली उत्पादक कंपनी है।
- उत्पादन की वर्तमान दर के अनुसार 40 से अधिक वर्षों तक भंडार टिके रहने की उम्मीद है।
- उच्च शुद्ध संपत्ति एवं शून्य ऋण की विशेषता के साथ वित्तीय क्षमता मजबूत है।
- उत्तम कार्य संस्कृति के साथ योग्यता प्राप्त तकनीकी रूप से कुषल मानवबल की उपलब्धता।
- मॉयल के भंडार मध्य भारत के मैंगनीज पट्टे में स्थित है जो सामान्य नियमित आकार के है।
- मॉयल की सभी खदानें राज्य/राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ी हुई है जिससे उसे सुप्रचालन का लाभ प्राप्त है। उसकी खदानें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नेटवर्क में स्थित है तथा उसे रेलवे साइडिंग की सुविधा प्राप्त है।
- मैंगनीज अयस्क खनन में मूल सक्षमता
- औद्योगिक अशांति या श्रम की समस्या नहीं है।
- मॉयल के मैंगनीज अयस्कों की उत्तम ब्राण्ड छवि।
- आंतरिक अनुसंधान एवं विकास क्षमता और विकास केन्द्र तथा आंतरिक गवेशण क्षमता जो अयस्क बेनीफिशिएशन एवं खनिज प्रसंस्करण के क्षेत्र में कार्य लेने में सक्षम है।

कमजोरी

- खनन कंपनी होने के कारण मॉयल अपने आसपास के लोगों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा पर्यावरण के व्यापक विनियमों के अधीन है। नियामक मानकों के निरंतर विकास तथा समुदाय की अपेक्षाओं के अनुरूप कंपनी को अनुपालन लागत में वृद्धि तथा अप्रत्याशित पर्यावरण सुधार खर्च करना पड़ता है।
- नए खदान पट्टों के प्राप्त होने में विलंब के कारण नई खदानों को शुरू करने में देरी होकर कंपनी की निवेष योजना प्रभावित होती है।
- कंपनी ने अन्य क्षेत्र में उल्लेखनीय विविधीकरण नहीं किया है। जिसके कारण मैंगनीज उद्योग में आय के विपरित प्रभाव से कंपनी के लाभ को धक्का पहुँचता हैं।
- मॉयल की खदानें काफी पुरानी है तथा उसे पूरी तरह यंत्रीकृत करना बहुत मुश्किल है।
- अयस्क भंडार काफी गहराई में जाने के कारण उत्पादन लागत में भी वृद्धि होती है।

• अवसर एवं चुनौतियाँ

अवसर

- राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) के अनुसार वर्ष 2019-20 तक इस्पात का उत्पादन 110 मिलियन टन तक पहुँचने उम्मीद है। यद्यपि, वर्तमान में चल रही परियोजनाओं के मूल्यांकन के आधार पर ग्रीन फील्ड एवं ब्राउन फील्ड दोनों में और बाजार की बदलती स्थितियों के प्रकाश में राष्ट्रीय इस्पात नीति बहुत व्यापक नीति तैयार करने के लिए पुर्ननिर्धारण/पुर्नमूल्यांकन कर रही है जिसमें देश में इस्पात उद्योग के विभिन्न पहलुओं को समाविष्ट किया गया है जैसे भारत में इस्पात की माँग में वृद्धि, कच्चा माल, अनुसंधान और डिजाइन, पर्यावरण और नई स्टील परियोजनाओं आगे बढ़ाना शामिल है। और यह उम्मीद है कि देश में स्टील क्षमता मौजूदा राष्ट्रीय इस्पात नीति में अनुमानित क्षमता से काफी अधिक होगी। इसके अलावा वर्ष 2020 तक लगभग 488.56 मिलियन टन के करीब क्षमता की योजना के लिए सरकार ने विभिन्न राज्यों के साथ 301 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए है। इसे देखते हुए फेरो अलॉय की उपलब्धता और आवश्यकता के बीच माँग का भारी अंतर होने की संभावना है।
- भारत सबसे बड़ा मैंगनीज अयस्क निर्माता होने के नाते तथा देष के करीब 42 प्रतिशत उत्पादन के लिए उत्तरदायी और लगभग 73.5 एमटी मैंगनीज अयस्क भंडार एवं संसाधन का लगभग 30 प्रतिशत प्रमाणित भंडार होने के कारण अपनी सर्वोच्च स्थिति, मध्यम से उच्च ग्रेड के अयस्क, मध्य स्थित खदानों, मजबूत ग्राहक संबंधों के कारण मॉयल भारत की इस्पात मांग में वृद्धि को पूंजीकृत करने की अच्छी स्थिति में है।
- इस्पात उत्पादन में सिलिको मैंगनीज की क्रमिक उपयोगिता आने के कारण कम/मध्यम श्रेणी के अयस्कों के लिए अच्छा बाजार मिलने की संभावना है।
- कम लागत, कुशल एवं पर्यावरण अनुकूल खनन कंपनी के तौर पर लगातार बनी रही है।
- सशक्त वित्त अर्थात् भारी नकद संचित निधि के कारण प्रमुख निवेश परियोजनाओं में जाने के अवसर है।
- सेल एवं आरआईएनएल के साथ संयुक्त उद्यम के अंतर्गत फेरो अलॉय उत्पादन से मैंगनीज अयस्क उत्पादन की अपनी अच्छी हिस्सेदारी के लिए तैयार बाजार उपलब्ध करता है।
- कंपनी ने अपनी मौजूदा खदानों के विकास हेतु भारी

निवेश की योजना भी बनाई है जिससे भविष्य में मैंगनीज अयस्क की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी।

- सरकार ने महाराष्ट्र के नागपुर एवं भंडारा जिलों में 814.71 हेक्टर भूमि का क्षेत्र भी आरक्षित किया है। यह आरक्षित क्षेत्र कंपनी की मौजूदा खदानों के निकट है तथा उसके मौजूदा पट्टा क्षेत्रों का लगभग 45 प्रतिशत है। अन्य स्वीकृतियाँ प्राप्त हो जाने एवं औपचारिकताओं के पूर्ण हो जाने पर मैंगनीज अयस्क की मांग को पूरा करने तथा भारत में इस्पात की माँग में वृद्धि को पूंजीकृत करने के उत्तम अवसर तैयार हो सकते है।
- मैंगनीज अयस्क खनन के क्षेत्र में व्यापक अनुभव के साथ कंपनी अन्य खनिजों के क्षेत्र में जाने की विस्तार योजना भी बना सकती है।

चुनौतियाँ

- मैंगनीज अयस्क का आयात आज भी कंपनी के लाभ मार्जिन के लिए चुनौती बना हुआ है।
- विनियामक स्वीकृति मिलने में विलंब से भी कंपनी के दीर्घकालिन विकास पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा, खदानों, विशेषकर भूमिगत खदानों के विकास के लिए हाथों में ली गई परियोजनाओं को निर्धारित समय में एवं लागत के अंदर पूरा करने की चुनौती सदैव बनी रहती है तथा इसमें किसी भी तरह की कमी से लक्षित कार्य-निष्पादन पर परिणाम होता है।
- इस्पात उद्योग की चक्रीय प्रकृति होने के कारण मैंगनीज अयस्क की मांग इस्पात क्षेत्र के विकास से आगे जाती है। कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च वस्तुसूची के स्टॉक्स के संबंध में जोखिम का सामना भी कर सकती है और इससे मैंगनीज अयस्क का उठाव प्रभावित हो सकता है, जो अल्पावधि का होता है।
- मॉयल का लगभग 67.5 प्रतिशत उत्पादन भूमिगत खदानों से होता है जिसकी उत्पादन लागत ओपन कास्ट खदानों की तुलना में अधिक होती है। भूमिगत खदानों की लागत में किसी भी प्रकार की वृद्धि से मार्जिन पर विपरित परिणाम हो सकता है।
- मैंगनीज अयस्क के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में कमी के फलस्वरूप इसकी घरेलु कीमतों में गिरावट आ सकती है।

• संभावना

मैंगनीज एवं फेरो अलॉय उत्पादों की मांग सीधे तौर पर इस्पात उद्योग की संभावनाओं एवं समग्र अर्थव्यवस्था के विकास पर निर्भर होती है। विश्व का 90 प्रतिशत से अधिक मैंगनीज अयस्क का उत्पादन वि-गंधकीकरण एवं इस्पात को मजबूत बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके पहले इस्पात उत्पादन में हुई वृद्धि के कारण मैंगनीज अयस्क एवं फेरो अलॉय की मांग में भारी वृद्धि हुई है।

वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन (डब्लूएसए) का अनुमान है कि भारत वर्ष 2011 के सुस्त प्रदर्शन के बाद अपनी उच्च वृद्धि की प्रवृत्ति को पुनः प्राप्त कर लेगा तथा भारत का स्टील उपयोग वर्ष 2012 में 6.9 प्रतिशत से बढ़कर 72.5 एमटी पहुंच जाएगा। आगे, 2013 में, शहरीकरण और बढ़ते इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश की बुनियाद पर विकास दर में 9.4 प्रतिशत तेजी आने का पूर्वानुमान है। विश्व विश्व परिदृष्य के अनुसार इस्पात का उपयोग भी वर्ष 2011 में 5.6 प्रतिशत की बढ़त के साथ वर्ष 2012 में 3.6 प्रतिशत बढ़कर 1,422 एमटी वृद्धि की संभावना है। दुनिया में स्टील की मांग 4.5 प्रतिशत और बढ़कर 1,486 एमटी के आसपास होगी। तथापि, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने यूरो झोन के ऋण संकट और चीनी स्टील माँग में जारी मंदी से नकारात्मक वैश्विक प्रभाव की चेतावनी दी है। हालांकि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन को फिर से बढ़त की पूरी उम्मीद है, फिर भी यूरोपीय समस्याओं के बिगड़ने, उच्च तेल कीमतों के प्रभाव या तेल उत्पादक क्षेत्रों में भू-राजनीतिक तनाव और चीन में हार्ड लैण्डिग की संभावना से कुछ नकारात्मक जोखिम है।

मैंगनीज अयस्क इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया में एक अनिवार्य घटक है, वास्तव में इस्पात का उत्पादन मैंगनीज के बगैर नहीं किया जा सकता है। मैंगनीज का इस्तेमाल इस्पात अलॉय में मजबूती, कठोरता, टिकाऊपन और संक्षारण प्रतिरोध के रूप में कई अनुकूल विषेशताओं को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसलिए मैंगनीज अयस्क उद्योग का विकास इस्पात उद्योग के विकास के साथ भली-भाँति संतुलित होता है।

देश में प्रति व्यक्ति इस्पात उपयोग 51.7 किलो के साथ विश्व के औसत प्रति व्यक्ति इस्पात उपयोग 207 किलो की तुलना में बहुत कम है। वास्तव में, अधिकांश विकसित देशों में यह 250 किलो से अधिक है। यह देश में इस्पात उद्योग के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है परिणामस्वरूप मैंगनीज अयस्क की माँग को बढ़ाता है।

भारत आज भी मैंगनीज अयस्क का शुद्ध आयातक है। देश में मैंगनीज अयस्क का उत्पादन करीब 2.6 एमटीपीए है और मैंगनीज अयस्क का आयात करीब 1.453 एमटीपीए है।

घरेलू फेरो अलॉय निर्माताओं की मैंगनीज आवश्यकताएं काफी बढ़ गई है। भारत में उच्च श्रेणी मैंगनीज अयस्क की

कम उपलब्धता के कारण मैंगनीज अयस्क के आयात में वृद्धि हुई है। वर्ष 2010 में 1.189 एमटीपीए से वर्ष 2011 में 1.453 एमटीपीए तक आयात में करीब 22.20 प्रतिशत से वृद्धि हुई।

- **जोखिम एवं चिंताएं**

मैंगनीज अयस्क उद्योग सीधे तौर पर इस्पात उद्योग से जुड़ा हुआ है जिसकी चक्रीय प्रकृति है तथा मैंगनीज अयस्क की मांग पर असर डालती है। मॉयल एक श्रमिक बहुल संगठन है। यद्यपि, कंपनी में औद्योगिक संबंध उत्कृष्ट है लेकिन श्रमिक से जुड़े जोखिम हमेशा उत्पादन के निष्पादन में उल्लेखनीय भूमिका निभा सकते है।

उच्च तेल कीमतें वैश्विक आर्थिक सुधार के लिए एक जोखिम है। भारत में, मुद्रास्फीति एक चिंता का विशय है और विकास का नकारात्मक पहलू है। आपूर्ति के पक्ष में सुधारात्मक उपायों और उत्पादकता सुधार की ओर देखने की जरूरत है। ग्लोबल कमोडिटी और तेल की कीमतों ने निर्मित वस्तुओं में उच्चतर मूल्य वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) विधेयक, 2010 सरकार के विचाराधीन है तथा मुआवजा की नीति से कंपनी का लाभार्जन प्रभावित हो सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मैंगनीज अयस्क की अधिक आपूर्ति चिंता का अन्य विशय बनी रहेगी तथा यह लम्बे समय में घरेलू मैंगनीज की कीमतों को कमजोर कर सकती है। हालांकि मैंगनीज अयस्क की कीमतें अब स्थिर हो रही है, जबकि पिछले दिनों कंपनी को अपने विभिन्न श्रेणी के मैंगनीज अयस्क के मूल्य में लगभग 40 प्रतिशत कमी लाना पड़ा था।

बी) खण्ड अथवा उत्पादानुसार निष्पादन

बिक्री निष्पादन

मात्रा

पिछले वर्ष 9.99 लाख टन मैंगनीज अयस्क की बिक्री की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान 10.78 लाख टन मैंगनीज अयस्क की बिक्री की गई। पिछले वर्ष के 911 टन की तुलना में 1,005 टन इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डायऑक्साइड (ईएमडी) की बिक्री हुई, जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि में 6,903 टन फेरो मैंगनीज की बिक्री की तुलना में 13,239 टन की आश्यर्चजनक बिक्री की गई। कंपनी ने पिछले वर्ष के 14,339 टन की तुलना में 8,716 टन फेरो मैंगनील स्लैग की बिक्री दर्ज की है। पिछले वर्ष के 224.50 (केडब्लूएच) यूनिट की तुलना में चालू वर्ष में 239.54 (केडब्लूएच) यूनिट बिजली की बिक्री एमपीईडीसीएल को की गई।

मूल्य

पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान रू. 1,139.97 करोड (निर्मित उत्पादों की रू. 62.39 करोड और बिजली की रू. 8.32 करोड बिक्री सहित) की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान बिक्री कारोबार रूपये 899.58 करोड (निर्मित उत्पादों की रू. 80.73 करोड और बिजली की रू. 8.46 करोड बिक्री सहित) था।

ई-सेल्स

कंपनी के व्यवहार में पारदर्शिता लाने के लिए मुख्य सतर्कता आयुक्त ने ई-कॉमर्स पर जोर दिया है। इसे दृष्टि में रखते हुए तथा मैंगनीज अयस्क का अच्छा मूल्य प्राप्त करने के लिए तथा अधिक से अधिक ग्राहकों की भागीदारी जुटाने के लिए वर्ष के दौरान कंपनी लगातार ई-सेल पर जोर देती रही है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान ई-ऑक्शन के माध्यम से कंपनी ने सफलतापूर्वक 24 निलामी करके मैंगनीज अयस्क, फेरो मैंगनीज तथा स्लैग के विभिन्न श्रेणियों की रू. 171.57 करोड की 71,373 टन की बिक्री की है।

उत्पादन

पिछले वर्ष के 11.51 लाख टन की तुलना में चालु वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने विभिन्न श्रेणियों के मैंगनीज अयस्क का 10.71 लाख टन उत्पादन दर्ज किया है। इलैक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाय ऑक्साइड (ईएमडी) का उत्पादन 714 टन (गत वर्ष 805 टन) हुआ जबकि पिछले वर्ष के 9,081 टन फेरो मैंगनीज के उत्पादन की तुलना में इस वर्ष 8,694 टन फेरो मैंगनीज का उत्पादन दर्ज किया है। गत वर्ष के 13,515 टन उत्पादन की तुलना में इस वर्ष 14,204 टन फेरो मैंगनीज स्लैग का उत्पादन रिकार्ड किया है। पिछले वर्ष के 310.40 (केडब्लूएच) यूनिट की तुलना में इस वर्ष पवन उर्जा संयंत्र द्वारा 330.23 लाख (केडब्लूएच) यूनिट का निर्माण किया गया।

सी) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा उसकी यथेश्ठता

कंपनी में आंतरिक नियंत्रण के औचित्य, नीतियों का पालन, प्रक्रिया एवं किसी भी अंतर को ठीक करने के लिए आंतरिक अंकेक्षण प्रणाली विद्यमान है। आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग तथा आंतरिक अंकेक्षण एक बहु अनुषासनिक कार्य है जो अनुभवी विषेशज्ञों की टीम द्वारा संचालित किया जाता है।

उचित लेखांकन नियंत्रण के रखरखाव के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने, प्रचालन की मॉनिटरिंग करने, संपत्तियों के अनधिकृत उपयोग या हानियों से बचाव करने, नियमों का पालन तथा वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता

को सुनिश्चित करने के लिए इस नियंत्रण प्रणाली को डिजाइन किया गया है। उत्तम निगमित प्रशासन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए जोखिम प्रबंधन को लागू करने के लिए एक सुव्यवस्थित तथा अनुशासित दृष्टिकोण भी ला रही है।

व्यवस्था तथा आंतरिक यंत्रणा में पारदर्षिता को लक्षित करते हुए मंडल द्वारा गठित अंकेक्षण समिति की देखरेख में आंतरिक लेखा-परीक्षा समस्त नियंत्रण का कार्य देखती है। मंडल की अंकेक्षण समिति सक्रिय रूप से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की यथेश्ठता एवं प्रभावशीलता की समीक्षा करती है तथा इसको सक्षक्त बनाने के लिए सुधार के सुझाव देती है। कंपनी में सर्वांगीण सुधार लाने के लिए विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को समाविष्ट करते हुए वार्षिक अंकेक्षण कार्यक्रम बनाए जाते है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कंपनी के आकार के अनुरूप होती है। तथापि, कंपनी हमेशा अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं आंतरिक लेखा-परीक्षा को सशक्त बनाने का प्रयास करती रहती है। लेखा-परीक्षा में पाए गए महत्वपूर्ण लेखा निष्कर्शों को कंपनी की अंकेक्षण समिति को प्रस्तुत किया जाता है तथा अंकेक्षण समिति के माध्यम से मंडल को प्रस्तुत किया जाता है।

डी) प्रचालनिक कार्य-निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर परिचर्चा

देश में मैंगनीज अयस्क के बाजार को विशेषकर कीमतों की दृष्टि से भारी झटका लगा है, क्योंकि वर्ष के दौरान मैंगनीज अयस्क की कीमत में लगभग 40 प्रतिशत की गिरावट आयी, जिसका कारण मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अत्यधिक आपूर्ति और भारत में मैंगनीज अयस्क का भारी आयात था। इससे वर्ष 2011-12 के दौरान कंपनी के उच्चस्तर और निम्नस्तर दोनों कार्य-निष्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ा है।

वित्तीय निष्पादन

रूपये करोड में	**2011-12**	2010-11
शुद्ध बिक्री	**899.58**	1139.97
अन्य आय	**203.32**	145.49
कुल आय	**1102.9**	1285.46
कुल व्यय	**466.35**	372.80
सकल मार्जिन	**636.55**	912.66
मूल्य ह्रास	**29.92**	32.51
वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ	**606.63**	880.15
आयकर प्रावधान	**195.86**	292.1
वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ	**410.77**	588.05
लाभ-हानि लेखा में प्रारंभिक लाभ	**1.51**	0.58
लाभांश और लाभांश कर	**97.76**	137.13
सामान्य आरक्षित निधि को स्थानांतरण	**300.00**	450.00
लाभ अग्रेनीत	**14.52**	1.51

कंपनी के कुल राजस्व में 14.20 प्रतिशत की कमी आयी जो कि पिछले वर्ष के रू. 1,285.46 करोड की तुलना में वर्ष के दौरान रू. 1,102.90 करोड रहा। पिछले वर्ष रू. 1,139.97 करोड की तुलना में कंपनी ने वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान रू. 899.58 करोड का कारोबार किया है जो 21.09 प्रतिशत कम रहा। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान कर पूर्व लाभ रू. 606.63 करोड रहा जो कि 31.08 प्रतिशत नीचे आ गया है, जबकि पिछले वर्ष के 588.05 करोड रूपये कर पश्चात लाभ की तुलना में 30.15 प्रतिशत से कम होकर रू. 410.77 करोड हो गया। वर्ष के दौरान कंपनी की ईबीआयडीटीए मार्जिन 80.06 प्रतिशत से घटकर 70.76 प्रतिशत हो गई। हालांकि, अपनी व्यवहार कुषल नकद योजना के चलते कंपनी की ब्याज आय पिछले वर्ष रू. 133.93 करोड से वर्ष 2011-12 में 44.73 प्रतिशत से बढ़कर 193.84 करोड हो गई।

प्रचालनिक निष्पादन

विशेषकर इस्पात और मैंगनीज अयस्क उद्योग के लिए वर्ष 2011-12 दुनिया के साथ-साथ भारत में समग्र अर्थव्यवस्था के लिए घटनाओं से भरा रहा। समग्र बाजार अवस्था, माँग, मैंगनीज अयस्क की कीमतों में कमी को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान कंपनी का निष्पादन काफी संतोशजनक रहा।

उत्पादन समीक्षा

मैंगनीज अयस्क-लंप्स और चिप्स का उत्पादन पिछले वर्ष में 8,36,134 टन के उत्पादन को पार कर 8,39,073 टन रहा। चूंकि, कंपनी की नीति के अनुसार फाइन्स को उत्पादन में केवल तब लिया जाता है जब उसे बेच दिया जाता है। हालांकि फाइन्स का स्टॉक मौजूद है फिर भी इसे उत्पादन में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए, वर्ष के दौरान कंपनी का उत्पादन घटकर नीचे आ गया है।

हालांकि चालू वर्ष में विभिन्न श्रेणी के मैंगनीज अयस्क का

उत्पादन लगभग 0.79 लाख टन से नीचे आ गया है, कंपनी अपनी उचित योजना, उत्पादकता और संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल के माध्यम से 10.71 टन का उत्पादन प्राप्त करने में सक्षम रही है।

इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डायऑक्साइड (ईएमडी) और फेरो मैंगनीज के मामले में पिछले वर्ष के निष्पादन की तुलना में क्रमशः 88.70 प्रतिशत (714 टन) और 95.74 प्रतिशत (8,694 टन) उत्पादन दर्ज किया गया। वर्ष के दौरान ईएमडी संयंत्र वार्षिक रखरखाव के लिए करीब दो महीने तक बंद रखा गया। इसके अलावा, माँग में कमी, कम उठाव और उच्च वस्तुसूची के कारण ईएमडी का उत्पादन नीचे आ गया है। मुख्य रूप से बाजार की खराब अवस्था के कारण फेरो मैंगनीज का उत्पादन 9,081 टन से 8,696 टन नीचे आ गया है।

कंपनी का प्रति मानवपाली आउटपुट 0.711 टन (पिछले वर्ष 0.779 टन) रहा है।

कंपनी नियमित आधार पर अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों पर सक्रियता से कार्य कर रही है, जिनमें शामिल है :

- ओपन कास्ट खदान में आधुनिक पर्यावरण अनुकूल हाइड्रो-स्टेटिक ड्रिल मशीन को लगाया गया है।
- बेहतर सुरक्षा और उत्पादकता के लिए सेन्ट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ माइनिंग एण्ड फ्योल रिसर्च, धनबाद द्वारा कान्द्री खदान में भूमिगत खनन प्रचालन में स्टोप डिजाइन के लिए हाइड्रो-जियोलॉजिकल अध्ययन किया जा रहा है।
- विकास और स्टॉपिंग ऑपरेशन्स के लिए भूमिगत खदानों में लोड हॉल एण्ड डम्प (एलएचडी), टायर माऊंटेड की स्थापना।
- पट्टा धारित क्षेत्र के सटीक स्थान और पहचान के लिए खदानों में जीपीएस प्रदान किया गया है।
- बालाघाट खदान पर 650 मीटर के भूमिगत खनन के लिए स्वतंत्र उच्च गति शाफ्ट सिंकिंग ऑपरेशन की प्रस्तावित परियोजना की सुरक्षा के लिए सीआईएमएफआर, धनबाद द्वारा कार्यस्थल पर हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन और स्ट्रेस मॉनिटरिंग की गई।
- उर्जा बचत हेतु कान्द्री, उकवा, गुमगाँव और बालाघाट खदानों में पीएलसी चलित कॉम्प्रेशर लगाना।
- इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स द्वारा बालाघाट खदान पर वैकल्पिक खनन प्रणाली के विकास, और भूमिगत खदानों के लिए सपोर्ट सिस्टम्स, और ओपन कास्ट खदानों में उड़ने वाले पत्थरों और भूकंपन के लिए नियंत्रित ब्लास्टिंग तकनीक, गहरे स्तरों के लिए वेंटीलेशन नेटवर्किंग स्टडीज जैसे विभिन्न अध्ययन जारी है, सीआईएमएफआर द्वारा बेहतर सुरक्षा और उत्पादकता के लिए कान्द्री खदान में अपशिष्ट डम्प से पुर्नप्राप्ति, और अन्य पर्यावरण संरक्षण उपायों के लिए अन्वेषण, भूमिगत खनन प्रचालन में स्टोप डिजाइन किए जा रहा है, समेकित हाइड्रोलिक स्टोइंग ऑपरेशन के लिए अत्यधिक सामग्री का इस्तेमाल, मैंगनीज अयस्क के संरक्षण की मदद के लिए मैंगनीज फाइन्स की सिंटरिंग की जा रही है।
- बालाघाट खदान पर एकीकृत मैंगनीज बेनीफिशिएशन संयंत्र से बेकार सामग्री और अपशिष्ट से मैंगनीज अयस्क की दोबारा प्राप्ति के लिए 1,00,000 टीपीए क्षमता के स्वदेश में विकसित एक और आईएमबी संयंत्र की स्थापना तथा वहाँ पर निम्न श्रेणी अयस्क/फाइन्स में प्रगति के बेनीफिशिएशन के लिए एक अध्ययन जारी है।

  टोटल सब स्टेशनों का प्रारंभ - खदानों के अचूक सर्वेक्षण को बनाए रखने के लिए उच्च परिशुद्धता स्तर के साथ उच्च गति के सर्वेक्षण उपकरण।

ई) नियोजित श्रम बल सहित मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध में भौतिकीय विकास :

एफ) पर्यावरण सुरक्षा एवं संवर्धन, प्रौद्योगिकी संवर्धन, अक्षय उर्जा के विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण :

जी) निगमित सामाजिक जिम्मेदारी :

कृपया निदेशक की रिपोर्ट 2011-12 का संदर्भ लें क्योंकि इसमें मद ई, एफ, और जी से संबंधित विवरण शामिल किया गया है।

निगमित शासन पर अनुपालन प्रमाणपत्र

(लिस्टिंग एग्रीमेंट के खण्ड 49 के अंतर्गत)

सेवा में,
सदस्य
मॉयल लिमिटेड

भारत में स्टॉक एक्सचेंजों के साथ उपर्युक्त कंपनी द्वारा किए गए लिस्टिंग एग्रीमेंट के खण्ड 49 में निर्धारित किए अनुसार 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए मॉयल लिमिटेड द्वारा निगमित अधिशासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है।

निगमित अधिशासन की शर्तों का अनुपालन करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। मेरी जाँच का दायरा, निगमित अधिशासन की शर्तों के अनुपालन के सुनिश्चितता के लिए कंपनी द्वारा अपनायी जा रही प्रक्रिया तथा उसके परिपालन तक सीमित था। यह अंकेक्षण नहीं है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणी पर प्रकट की गई राय है।

मेरी राय में तथा मेरी अधिकतम जानकारी और निदेशकों और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन के आधार पर और मुझे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि लिस्टिंग एग्रीमेंट के खण्ड 49 में निर्धारित निगमित अधिशासन की शर्तो का कंपनी द्वारा अनुपालन किया गया है सिवाय इसके कि 23 सितम्बर, 2011 को आयोजित वार्षिक सर्वसाधारण सभा में लेखा समिति के सचिव उपस्थित नहीं हुए थे तथा अंशधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए लेखा समिति के एक सदस्य को नामित किया गया था।

मैं आगे कहना चाहता हूँ कि ऐसा अनुपालन कंपनी की भावी व्यवहार्यता के रूप में कोई आश्वासन नहीं है और न ही दक्षता या प्रभावशील का कोई आश्वासन है जिससे प्रबंधन द्वारा कंपनी का व्यवहार संचालित किया जाता है।

अमित के. राजकोटिया
कार्यकारी कंपनी सचिव
एफसीएस-5561सीपी नं. 5162

दिनांक : 16 मई, 2012
स्थान : नागपुर

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन मॉयल लिमिटेड, नागपुर के 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए मॉयल लिमिटेड, नागपुर की वित्तीय विवरणी बनाने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक अंकेक्षक, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणी पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है, जो उनकी व्यावसायिक निकाय, भारतीय सनदी लेखापाल संस्था द्वारा निर्धारित, अंकेक्षण एवं आश्वासन मानकों के अनुकूल स्वतंत्र लेखा-परीक्षण पर आधारित है। यह कहा जाता है कि दिनांक 25 मई, 2012 की उनकी अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुसार उनके द्वारा की गई है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (बी) के अनुसार मॉयल लिमिटेड, नागपुर के 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष की वित्तीय विवरणी का अनुपूरक अंकेक्षण किया है। यह अनुपूरक अंकेक्षण सांविधिक अंकेक्षकों के कार्य संबंधी दस्तावेजों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से किया गया तथा यह सांविधिक अंकेक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों की प्राथमिक जाँच तथा कुछ चुनिंदा लेखा अभिलेखों की जाँच तक सीमित था। मेरे अंकेक्षण के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत सांविधिक अंकेक्षक रिपोर्ट पर टिप्पणी करने या अनुपूरक जोड़ने का कारण बन सके।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए और की ओर से

हस्ता/-
(प्रवीण कुमार सिंह)
प्रधान निदेशक
वाणिज्य लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखापरीक्षा बोर्ड-।।।
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 जून, 2012

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

मॉयल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

1. हमने मॉयल लिमिटेड, नागपुर के 31 मार्च, 2012 के संलग्न तुलनपत्र की तथा उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी के लाभ-हानि लेखा एवं नकद-प्रवाह विवरणी का भी अंकेक्षण किया है। यह वित्तीय विवरणियाँ कंपनी के प्रबधंन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा-परीक्षा के आधार पर इस वित्तीय प्रतिवेदन पर राय व्यक्त करना है।

2. हमने हमारी लेखा-परीक्षा भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार संपन्न की है। उन मानकों में अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखा-परीक्षा की योजना इस प्रकार से बनाकर लेखा परीक्षा करें कि हमें पर्याप्त विश्वास हो जाए कि वित्तीय विवरिणयों में असत्य जानकारी नहीं है। लेखा-परीक्षा में जाँच के आधार पर परीक्षण करना, वित्तीय विवरणियाँ में दर्शायी गई राशियों तथा प्रकट किए गए लेखों के समर्थन में साक्ष्यों की परीक्षा करना शामिल है। लेखा-परीक्षा में प्रबंधन द्वारा इस्तेमाल किए गए लेखांकन सिद्धांतों का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा उल्लेखनीय आकलन करना साथ-साथ कुल वित्तीय प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत करती है।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (4ए) के संदर्भ में भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (अंकेक्षण रिपोर्ट) आदेश, 2003 की आवश्यकता के अनुसरण में उपर्युक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरणी इसके साथ जोड़ी गई है।

4. इसके अलावा उपर्युक्त पैरा 3 के संदर्भ में अनुलग्नक में आगे हमारी टिप्पणियाँ -

   ए) हमने सभी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए है जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे लेखा-परीक्षा के प्रयोजन हेतु आवश्यक थे।

   बी) हमारी राय में हमारे द्वारा इन किताबों की जाँच करने पर यह प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा विधि की आवश्यकता के अनुसार लेखा पुस्तकें रखी गई है।

   सी) इस प्रतिवेदन से संबंधित तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखा और नकद प्रवाह विवरण लेखा-पुस्तकों के साथ मेल खाते है।

   डी) हमारी राय में इस प्रतिवेदन से संबंधित तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखा तथा नकद-प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3सी) में निर्दिश्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते है।

   ई) कंपनी ने यह सूचित किया है कि कंपनी मामलों के विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक जीएसआर 829 (ई) दिनांक 21.10.2003 के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (1)(जी) के प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है।

   एफ) हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त लेखा तथा उसके साथ की टिप्पणियाँ एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों पर विवरण अधिनियम द्वारा आवश्यक जानकारी निर्धारित तरीके से प्रदान करती है तथा आम तौर पर भारत में मान्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सत्य एवं निःपक्ष दृष्टि प्रदान करती है।

      1. 31 मार्च, 2012 को कंपनी की व्यवहार स्थिति के तुलनपत्र के मामले में; और
      2. वर्ष समाप्ति की तिथि पर लाभ के लाभ-हानि लेखा के मामलें में, और
      3. वर्ष समाप्ति की उस तिथि पर नकद प्रवाह के नकद-प्रवाह विवरणी के मामले में।

कृते वी. के. सुराणा एण्ड कंपनी
सनदी लेखापाल
एफआरएन : 110634 डब्लू

हस्ता/-
सी.ए. सुधीर सुराणा
भागीदार
सदस्यता क्रमांक 43414

दिनांक : 25 मई, 2012
स्थान : नागपुर

लेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन का अनुलग्नक - ए

1. ए) कंपनी ने अपने अभिलेखों को व्यवस्थित रखा जिसमें स्थायी संपत्ति की स्थिति एवं उसका मात्रात्मक विवरण के साथ पूरा ब्योरा दर्शाया गया है।

   बी) वर्ष के अंत में प्रबंधन ने स्थायी संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया तथा ऐसे सत्यापन में कोई भौतिकीय गड़बड़ी नहीं पायी गई। हमारी राय में कंपनी के आकार तथा संपत्तियों के प्रकार को देखते हुए स्थायी संपत्तियों की वर्ष के अंत में जाँच उचित रही।

   सी) हमारी राय में, वर्ष के दौरान निपटान की गई स्थायी संपत्तियाँ कंपनी की स्थिति में कोई प्रभाव नहीं डालती है।

2. ए) कंपनी के वस्तुसूची का वर्ष के दौरान उचित अंतराल में प्रबंधन द्वारा भौतिकीय सत्यापन किया गया।

   बी) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के आकार तथा व्यवसाय के स्वरूप को देखते हुए प्रबंधन द्वारा वस्तुसूची के भौतिकीय सत्यापन की प्रक्रिया उचित एवं पर्याप्त थी।

   सी) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अपनी वस्तुसूची का उचित रिकार्ड रखा है तथा भौतिकीय स्टॉक और लेखा अभिलेख के बीच भौतिकीय सत्यापन में जो विसंगतियाँ पायी गई वह वस्तुगत नहीं थी तथा उसे लेखा-पुस्तकों में उचित ढंग से दर्ज किया गया है।

3. ए) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने ऐसी किसी भी कंपनी, फर्म अथवा अन्य किसी पार्टी से ऋण, सुरक्षित व असुरक्षित रूप में न तो लिया या दिया, जिसका ब्योरा रखना कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत आता है।

4. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के आकार एवं व्यवसाय के स्वरूप को देखते हुए वस्तुसूची, स्थायी संपत्ति की खरीदी तथा माल की बिक्री के संबंध में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया अपनायी गई है। हमारे लेखा-परीक्षा के दौरान इस क्षेत्र में आंतरिक नियंत्रण में कोई बड़ी खामियाँ नहीं पायी गई है।

5. हमारे द्वारा अपनाए गए लेखा-परीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी यह राय है कि ऐसा कोई व्यवहार नहीं हुआ जो धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में पंजीकृत करना आवष्यक है।

6. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसर कंपनी ने आम जनता से किसी प्रकार जमा स्वीकार नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 58(ए) और 58(एए) के अंतर्गत प्रावधान तथा कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 1975 के संबंध में आम जनता से जमा को स्वीकारना कंपनी को लागू नहीं होता है।

7. कंपनी में आंतरिक लेखा प्रणाली विद्यमान है लेकिन हमारी राय में कंपनी के आकार तथा व्यवसाय के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए कंपनी की आंतरिक अंकेक्षण प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है।

8. केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (डी) के अंतर्गत लागत अभिलेखों को रखना निर्धारित नही किया है सिवाय उसके पवन उर्जा प्रचालन के जिसके लिए प्रथम दृश्टया निर्धारित लागत रिकार्ड को रखा गया है, जिसकी हमारे द्वारा व्यापक रूप से समीक्षा की गई। हालांकि लागत अभिलेख सही या संपूर्ण है अथवा नहीं इसे निर्धारित करने के नजरिए से हमने इसका विस्तृत परीक्षण नहीं किया है।

9. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा लेखा-पुस्तकों की जांच के आधार पर कंपनी आम तौर पर वर्ष के दौरान अविवादित वैधानिक देय जैसे भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, उपकर और अन्य वैधानिक देय को उचित प्राधिकारियों को चुकाने के मामले में नियमित रही है।

   इसके अलावा, चूंकि केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441ए के अंतर्गत देय उपकर की राशि अब तक निर्धारित नहीं की है, इसे कंपनी में जमा करने में नियमितता या अन्यत्र पर टिप्पणी करने की स्थिति में हम नहीं है।

   आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और उपकर पर किसी भी प्रकार के विवाद के कारण कोई बकाया देय नहीं है।

10. वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी का कोई भी जमा घाटा नहीं है, और उस तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान अथवा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद घाटा नहीं हुआ है।

11. कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान और बैंक से न तो कोई

ऋण लिया है और न ही कोई ऋण पत्र जारी किया है।

12. कंपनी ने शेयर, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियों के बंधक के माध्यम से सुरक्षा के आधार पर कोई ऋण और अग्रिम नहीं प्रदान किया है।
13. कंपनी कोई चिट फंड, निधि, म्युचुअल फंड या सोसायटी नहीं है इसलिए आदेश के खण्ड 4(xiii) लागू नही होते है।
14. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों तथा अन्य निवेशों में कारोबार या सौदा नहीं किया है। तद्नुसार, आदेश के खण्ड 4 (xiv) लागू नहीं होते है।
15. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने दूसरों द्वारा बैंक अथवा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।
16. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई टर्म लोन नहीं लिया है।
17. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अल्प अवधि के आधार पर कोई निधि प्राप्त नहीं की है।
18. कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी पार्टी या ऐसी कंपनी के पक्ष में पक्षपातपूर्ण अंशों का आबंटन नहीं किया है जिनका रजिस्टर रखना कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत आता है।
19. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किए है।
20. वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने पब्लिक इश्यु के माध्यम से कोई पैसा इकट्ठा नहीं किया है।
21. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर और अंकेक्षण के दौरान हम रिपोर्ट करते है कि हमारे लेखा-परीक्षा के दौरान कंपनी में अथवा कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी का मामला ध्यान में नहीं आया है।

कृते **वी.के. सुराणा**
सनदी लेखापाल
एफआरएनः 110634 डब्लू
हस्ता/-
सी.ए. सुधीर सुराणा
भागीदार
सदस्यता क्रः 43414

दिनांक : 25 मई 2012
स्थान : नागपुर

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

रूपये लाख में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2012 को ₹	₹	31 मार्च, 2011 को ₹	₹
I इक्विटी और देयताएँ					
(1) इक्विटी और देयताएँ					
(ए) शेयर पूंजी	2.1	**16800.00**		16800.00	
(बी) आरक्षित निधि तथा अधिशेष	2.2	**227330.53**		196029.49	
			244130.53		212829.49
(2) गैर-चालू देयताएँ					
(ए) आस्थगित कर देयताएँ (शुद्ध)	1.2 (12)	**0.00**		149.83	
(बी) दीर्घकालिक प्रावधान	3.1	**7173.42**		5398.01	
(सी) दीर्घकालिक देयताएँ	3.2	**85.52**		75.74	
			7258.94		5623.58
(3) चालु देयताएँ					
(ए) व्यापार देय	4.1	**3311.15**		2577.41	
(बी) अन्य चालु देयताएँ	5.1	**13583.42**		12783.53	
(सी) अल्पकालिक प्रावधान	5.2	**6041.34**		10304.15	
			22935.91		25665.09
	कुल		**274325.38**		244118.16
II परिसंपत्ति					
गैर-चालु परिसंपत्ति					
(1) (ए) अचल संपत्ति					
(i) वास्तविक संपत्ति	6.1	**19506.82**		19281.71	
(i) अवास्तविक संपत्ति	6.1	**1197.97**		1316.30	
(iii) पूंजी चालु-कार्य	6.1	**3903.55**		2878.78	
(बी) गैर वर्तमान निवेश	7.1	**421.29**		221.29	
(सी) आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	1.2 (12)	**665.14**		0.00	
(डी) दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम	8.1	**84.91**		80.83	
(ई) अन्य गैर-चालु संपत्ति	8.2	**590.19**		456.82	
			26369.87		24235.73
(2) चालु परिसंपत्ति					
(ए) वस्तुसूची	9.1	**8128.90**		9742.97	
(बी) व्यापार प्राप्तियाँ	9.2	**9933.15**		6795.89	
(सी) नकद और नकदी समकक्ष	9.3	**208842.11**		187965.17	
(डी) अल्पकालिक ऋण एवं	10.1	**9843.15**		7775.34	
(ई) अन्य चालु संपत्ति	10.2	**11208.20**		7603.06	
			247955.51		219882.43
	कुल		**274325.38**		244118.16

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और खातों के लिए नोट्स 1.1 और 1.2

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते वी. के. सुराणा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार,
एफ.आर. नं. 110634 डब्लू

हस्ता/-
नीरज पाण्डेय
कंपनी सचिव

हस्ता/-
मुकुंद पी. चौधरी
महाप्रबंधक (वित्त)

हस्ता/-
सी. ए. सुधीर सुराणा
सदस्यता क्रमांक : 043414

हस्ता/-
एम. ए. वी. गौतम
निदेशक (वित्त)

हस्ता/-
के. जे. सिंह
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान : नागपुर
दिनांक : 25 मई, 2012

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा

रूपये लाख में

	विवरण	टिप्पणी संख्या	वर्ष 2011-12 के लिए ₹	₹	वर्ष 2010-11 के लिए ₹	₹
1	प्रचालन से राजस्व (उत्पाद शुल्क का शुद्ध)	11.1	**89958.25**		113996.85	
2	अन्य आय	11.2	**20331.70**		14549.42	
	कुल राजस्व			**110289.95**		128546.27
3	व्यय :					
	सामग्री उपभोग की लागत	12.1	**1833.17**		1792.00	
	तैयार माल, चालु-कार्य और व्यापारगत,					
	माल की वस्तुसूची में परिवर्तन	13.1	**1923.98**		-4963.13	
	कर्मचारी लाभ खर्च	14.1	**23608.50**		20958.96	
	मूल्यह्रास और परिशोधन	6.1	**2991.56**		3251.17	
	अन्य खर्च	14.2	**20174.61**		20334.30	
	कुल		**50531.82**		41373.30	
	घटाएं : आंतर ईकाई हस्तांतरण	13.2	**904.67**		842.23	
	कुल खर्च			**49627.15**		40531.07
4	असाधारण और असामान्य वस्तुओं और कर से पहले लाभ			**60662.80**		88015.20
5	असाधारण वस्तुएं			**0.00**		0.00
6	असामान्य वस्तुओं और कर से पहले लाभ			**60662.80**		88015.20
7	असामान्य वस्तुएं			**0.00**		0.00
8	कर से पूर्व लाभ			**60662.80**		88015.20
9	कर व्यय					
	(ए) चालु कर		**20401.07**		30343.08	
	(बी) आस्थगित कर		**-814.96**		-1133.48	
				19586.11		**29209.60**
10	अवधि के लिए कर के पश्चात लाभ			**41076.69**		**58805.60**
11	प्रति इक्विटी शेयर आय : मूल और डायल्यूटेड			**24.45**		35.00

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और खातों के लिए नोट्स 1.1 और 1.2

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते वी. के. सुराणा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार,
एफ.आर. नं. 110634 डब्लू

हस्ता/-
नीरज पाण्डेय
कंपनी सचिव

हस्ता/-
मुकुंद पी. चौधरी
महाप्रबंधक (वित्त)

हस्ता/-
सी. ए. सुधीर सुराणा
सदस्यता क्रमांक : 043414

हस्ता/-
एम. ए. वी. गौतम
निदेशक (वित्त)

हस्ता/-
के. जे. सिंह
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान : नागपुर
दिनांक : 25 मई, 2012

टिप्पणी संख्या 1.1

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. स्थायी परिसंपत्ति का लेखांकन

ए) स्थायी परिसंपत्ति का मूल्यांकन

स्थायी परिसंपत्ति मूल लागत पर कम संचित मूल्यह्रास पर रखी जाती है।

बी) मूल्यह्रास

यह कंपनी, कंपनी अधिनियम की अनुसूची-XIV में निर्धारित किए अनुसार 5,000 रूपये तक मूल्य के स्थायी परिसंपत्ति पर 100 प्रतिशत मूल्यह्रास लगाती है। ऐसी परिसंपत्ति पर उसके शामिल होने की तारीख के बिना उसके शामिल होने वाले वर्ष में पूरी तरह मूल्यह्रास लगाया जाता है।

मूल्यह्रास (1) विंड टरबाइन जनरेटर के मामले में स्ट्रेट लाइन प्रणाली तथा (2) अन्य सभी परिसंपत्ति पर रिटर्न डाऊन वैल्यु प्रणाली, प्रोरेटा आधार पर समय-समय पर अनुसूची-XIV में किए गए संशोधन के अनुसार निर्धारित किए गए दर से की जाती है। यद्यपि पूरे माह के मूल्यह्रास की गणना तब से की जाती है जब उस माह के जिस किसी भी दिन से किसी परिसंपत्ति का उपयोग किया जाता है।

पट्टाधारी भूमि की लागत, वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्यों को शामिल करते हुए पट्टे की कालावधि पर परिशोधित की जाती है।

सी) परिसंपत्ति पर हानि बट्टा खाता

गिराई गई/हटाई गई सभी परिसंपत्तियाँ उसका स्क्रैप मूल्य शून्य मानकर बट्टे खाते में डाली जाती है। यदि जब ऐसे स्क्रैप परिसंपत्तियों का आंशिक या पूरी तौर पर निपटान किया जाता है तब इस प्रकार से वसूल हुई राशि उस वर्ष के लाभ एवं हानि लेखा में जमा की जाती है।

डी) निर्माणकार्य अवधि के दौरान खर्च

विशिष्ट प्रकल्पों को पूर्ण तथा प्रतिस्थापित किए जाने की तारीख तक निर्माण अवधि के दौरान उस प्रकल्प पर किए जाने वाले सभी खर्च जो सीधे पहचाने गए है, संबंधित प्रकल्प के नाम में डाले जाते है।

ई) निर्माणकार्य अवधि के दौरान ब्याज

निर्माणकाल में आरंभ होने से समाप्त होने तक विशिष्ट परिसंपत्ति से संबंधित ऋण, (ऋण पर अन्य संबंधित वित्तीय लागत का समावेश करते हुए) का ब्याज पूंजीकृत किया जाता है।

एफ) संपत्ति की हानि

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को निर्धारण करती है कि क्या ऐसे कोई संकेत है कि संपत्ति में हानि हो सकती है। यदि ऐसे कोई संकेत होते है तो कंपनी संपत्तियों की वसूली योग्य राशि का आकलन करती है। यदि ऐसी वसूली योग्य राशि इसकी वास्तविक राशि से कम होती है तो वास्तविक राशि को उसकी वसूली योग्य राशि तक कम किया जाता है। इस कमी को हानि के रूप में माना जाता है और लाभ-हानि खाते में दिखाया जाता है। यदि ऐसे कोई संकेत होते है कि पहले निर्धारण की गई हानि अब नहीं है तो वसूली योग्य राशि को पुर्ननिर्धारित किया जाता है और संपत्ति को वसूली योग्य राशि में परिलक्षित किया जाता है।

2. निवेश

दीर्घकालिन शेयरों में निवेश लागत में डाला जाता है यदि अस्थायी स्वभाव के न हो तो मूल्य में घटत का प्रावधान किया जाता है।

3. बंद भंडार का मूल्यांकन

वस्तुसूची का निम्न आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

ए) तैयार माल

1. सभी ग्रेड के मैंगनीज अयस्क (फाइन्स, हचडस्ट एवं एचआईएमएस रिजेक्ट छोड़कर) - खदानों पर लागत के आधार पर जिसमें खदान परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य इसमें जो कम है, शामिल है।
2. मैंगनीज अयस्क फाइन्स, हचडस्ट एवं एचआईएमएस रिजेक्ट्स : जिगिंग/प्रोसेसिंग, परिवहन इत्यादि पर प्रतिटन खर्च के आधार पर तकनीकी अनुमान या शुद्ध बिक्री योग्य मूल्य पर, इसमें जो भी कम है आबंटन किया जाता है।
3. बंदरगाहों पर मैंगनीज अयस्क : बंदरगाहों पर उतराई पश्चात प्राप्त लागत अथवा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य इसमें जो कम है। उतराई लागत में परिवहन किराया उतराई खर्च, नमूना परीक्षण का खर्च आदि का समावेश होता है।

   प्रत्यक्ष भंडार एवं पुस्तकी भंडार के अंतर का समायोजन तब तक नहीं किया जाता, जब तक खदानों में स्थित भंडार का कुल किताबी भंडार से तुलना करने पर अधिक पाया नहीं जाता। जब भी वास्तविक तौर पर अयस्क भेजा जाता है और रेलवे/जहाजों में माल भरने के बाद प्रत्येक पारेशण के अनुसार आने वाली अधिकता या कमी निर्धारित की जाती है तब उसका उस वर्ष के कंपनी के पुस्तकों में लेखाकृत किया जाता है।
4. इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाय ऑक्साइड (ईएमडी) (उत्पादन के विविध चरणों में 31 मार्च के अनुसार प्रक्रियागत भंडार के साथ जिसकी निश्चिती ईएमडी की पूर्ण निर्मित यूनिटों के प्रतिशत से संबंधित तकनीकी प्राक्कलनों द्वारा की जाती है) : संयंत्र का मूल्यह्रास या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो का समावेश करते हुए चालु वर्ष की उत्पादन लागत।
5. ए) तकनीकी मूल्यांकन के द्वारा निर्धारित केक रूप में शामिल करते हुए फेरो मैंगनीज/सिलिको मैंगनीज का 31 मार्च को निर्धारण तकनीकी मूल्यांकन द्वारा किया जाता है : चालु वर्ष की उत्पादन लागत

जिसमें फेरो मैंगनीज संयंत्र का मूल्यह्रास (स्लैग का वसूली योग्य मूल्य) इसमें जो कम हो।

बी) प्रक्रियागत भंडार : प्रक्रिया से गुजरने वाले मैंगनीज/सिलिको मैंगनीज की मात्रा को तोला नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता या निर्धारित नहीं किया जा सकता और इसलिए उसका कोई भी मूल्य नियत नहीं किया जाता है।

सी) स्लैग का भंडार : स्लैग यह फेरो मैंगनीज की उत्पादन प्रक्रिया में निर्मित अशुद्ध द्रव्यों का एक पिघला हुआ पिंड होता है उसे स्क्रैप माना जाता है तथा वसूली योग्य कीमत पर मूल्य आंका जाता है।

बी) भंडार सामग्री वस्तुसूची : (सामग्री, कलपूर्जे, टिम्बर, विस्फोटक, ईंधन एवं लुब्रीकेन्ट्स और कच्चा माल) : भारित औसत पद्धति पर लागत

1. सभी भंडार सामग्री, स्पेअर्स आदि का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाता है। प्रत्यक्ष भंडार एवं पुस्तकीय भंडार के अंतर की जाँच की जाती है तथा लेखा पुस्तकों में आवष्यक समायोजन किया जाता है।
2. फेरो मैंगनीज संयंत्र के मामले में, संयंत्र में उपलब्ध मैंगनीज अयस्क छोड़कर कच्चे माल के भंडार का मूल्य भारित औसत पद्धति के लागत पर किया जाता है। संयंत्र में विद्यमान मैंगनीज अयस्क के भंडार का मूल्य चालु वर्ष की उत्पादन कीमत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, इसमें जो कम हो तथा परिवहन खर्च तथा अन्य खर्च यदि हो तो उसे मिलाकर मूल्यांकित किया जाता है। प्लांट में उपलब्ध अयस्क का खुला एवं बंद भंडार को ''स्टॉक ऑफ रॉ मटेरिअल'' के शिर्षक में वर्गीकृत किया जाता है।

4. बिक्री

रेलवे रसीद/लॉरी रसीद/डिलिवरी चालान के आधार पर माल की रवानगी के पश्चात बिक्री इनवॉइज तथा राजस्व को लेखा पुस्तकों में मान्य किया जाता है तथा लेखा पुस्तकों में राजस्व स्वीकार किया जाता है।

ए) मैंगनीज अयस्क की बिक्री

1. गुणवत्ता तथा/या मात्रा में अंतर के बारे में विश्लेषण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पूरक बिल उगाहे जाते है। यह विश्लेषण प्रतिवेदन प्राप्त होने वाले वर्ष में उगाहे जाते है तथा उसी वर्ष में समायोजित किए जाते है।
2. बिक्री में रॉयल्टी की राशि शामिल रहती है।

बी) ईएमडी/फैरो मैंगनीज/सिलिको मैंगनीज/स्लैग की बिक्री

ईएमडी, फेरो मैंगनीज तथा स्लैग की बिक्री में उत्पाद शुल्क एवं शिक्षा उपकर, जो उन पर लागू है का समावेश है।

सी) मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को बिजली की बिक्री

विद्युत बिक्री समझौते में मंजूर किए गए शुल्क दर के आधार पर ग्रिड में डाली गई उर्जा के आधार पर राजस्व निर्धारित किया जाता है।

5. अन्य आय

ए) विविध देनदारों से ब्याज के रूप में आय भारत के सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक-9 के निर्देष अनुरूप निम्नानुसार माने जाते है :

1. जहाँ देनदारों से वसूली की बैंक द्वारा क्रेडिट पत्र से पुश्टि की जाती है और जहाँ उसकी वसूली सुनिष्चित होती है वहाँ उपार्जन आधार पर स्वीकृति की जाती है।

   चालु वर्ष के बाहर ऋण टर्म के लिए ग्राहक को ब्याज बिल जिस वर्ष से संबंधित हो उस वर्ष के लिए मान्य किया जाता है।
2. जहाँ देनदारों से वसूली बैंक के मार्फत क्रेडिट पत्र द्वारा पुश्टि नहीं की गई हो, जहाँ वसूली मूल्य अनिष्चित हो, वहाँ प्रबंधन के अनुभव के आधार पर जब कभी वास्तविक वसूली मूल्य प्राप्त होता है उसे आय के तौर पर माना जाता है।

बी) जमा राशियाँ एवं पेशगियों पर प्राप्त ब्याज आय, उपार्जन आधार पर मान्य की जाती है।

सी) बदले गए घिसे हुए पार्ट/स्क्रैप पूंजीगत सामग्री के संबंध में ज्ञापन अभिलेख रखे जाते है। जब उसका निपटारा किया जाता है तब वह आय, उस वर्ष में विविध प्राप्तियों के लेखे में डाली जाती है।

6. कैप्टिव खपत

मैंगनीज अयस्क

ईएमडी/फेरो मैंगनीज के उत्पादन हेतु कच्चे माल के तौर पर निर्गमित किया गया मैंगनीज अयस्क, फाइन्स/एचआईएमएस रिजेक्ट्स का मूल्य चालु वर्ष के उत्पादन लागत पर मूल्यांकित किया जाता है और भंडार के मूल्यांकन के लिए अपनाए जाने वाले तरीके से फाइन्स/एचआईएमएस रिजेक्ट का मूल्यांकन प्रति टन पर मूल्यांकित किया जाता है। अयस्क की खपत औसत लागत के आधार पर हिसाब में ली जाती है। निर्गमित अयस्क का मूल्य, अयस्क उत्खनन/प्रचालन खर्च से कम किया जाता है तथा ''विनिर्माण खर्च'' के मद में कच्चे माल की खपत के तौर पर मान्य किया जाता है।

विद्युत

पवन उर्जा संयंत्र यूनिट से निर्माण की गई बिजली तथा खदान/संयंत्र में उपयोग की गई इस बिजली को निर्माण लागत के आधार पर संबंधित ईकाई को चार्ज किया जाता है।

7. बिक्रीकर, आयकर आदि

ए) बिक्रीकर, आयकर आदि के संबंध में जिस वर्ष में कर निर्धारण आदेश कंपनी द्वारा प्राप्त तथा स्वीकृत किया जाता है, उक्त आदेश के अनुसार देय या प्राप्त बकाया राशि को, वह आदेश किस वर्ष से संबंधित है इसे ध्यान में न लेते हुए उक्त आदेश प्राप्ति के वर्ष में हिसाब में लिया जाता है।

बी) क्रय के आधार पर बिक्री कर में छूट का दावा किया जाता है। छूट के दावे की राशि तथा वास्तविक स्वीकृत छूट को जिस वर्ष में निर्धारण आदेश कंपनी को प्राप्त होता है और स्वीकार किया जाता है, उस वर्ष में हिसाब में लिया जाता है।

8. कार्मिकों के लाभ

ए) कर्मचारियों के अल्पकालिक लाभ

जिस वर्ष में संबंधित सेवा दी गई है उस वर्ष के लाभ एवं हानि लेखा में छूट मुक्त राशि खर्च, अल्पकालिक कर्मचारी लाभ खर्च के तौर पर माना जाता है।

बी) नियोजनोत्तर लाभ

1. परिनिश्चित लाभ योजना

जिस वर्ष में कर्मचारी द्वारा सेवाएं प्रदान की गई, उस वर्ष के लाभ हानि लेखा में नियोजनोत्तर एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ को खर्च के रूप में मान्य किया जाता है। देय राशि के वर्तमान मूल्य पर खर्च को बीमांकित मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए, खर्चों को मान्य किया जाता है। नियोजनोत्तर एवं अन्य दीर्घकालिक लाभ से संबंधित बीमांकित प्राप्ति एवं हानि को लाभ हानि लेखा में दर्ज किया जाता है।

2. परिनिश्चित अंशदान योजना

परिनिश्चित अंशदान योजना, नियोजनोत्तर लाभ योजना है, जिसके अंतर्गत कंपनी अलग-अलग निधियों में तयशुदा अंशदान का भुगतान करती है। परिनिश्चित अंशदान योजना में कंपनी का योगदान संबंधित वित्त वर्ष के लाभ हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

9. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति खर्च

कंपनी वीआरएस लिए गए वर्ष के लाभ हानि लेखा में संपूर्ण खर्च को चार्ज करती है।

10. कल्याण आयुक्त से प्राप्त सब्सिडी का लेखांकन

ए) श्रमिक निवास

कंपनी ने कुछ श्रमिक निवासों का निर्माण किया है/कर रही है, जिसके लिए कंपनी को कल्याण आयुक्त से सब्सिडी मिल रही है। चूंकि जिस भूमि पर इन निवास स्थानों को निर्माण किया जाता है वह भूमि कल्याण आयुक्त के सुपुर्द की जाती हैं और यह परिसंपत्ति (निर्मित निवासस्थान) कल्याण आयुक्त की ओर अभ्यर्पित की जाती है। इसलिए इसमें कंपनी द्वारा किया गया पूरा खर्च तथा प्राप्त हुई सब्सिडी भी जिस वर्ष में खर्च की जाती है/सब्सिडी प्राप्त होती है, उस वर्ष के राजस्व खाते पर दर्ज की जाती है।

बी) कल्याण परिसंपत्ति

परिसंपत्तियाँ जैसे स्कूल बस, रूग्णवाहिका, जलापूर्ति योजना आदि जो कल्याण योजना के अधीन आती है, के अर्जन का पूरा खर्च, जिस वर्ष में किया जाता है उसी वर्ष के संबंधित परिसंपत्ति लेखा में डाला जाता है। प्राप्त हुई सब्सिडी की राशि को आवक वर्ष के उसी परिसंपत्ति के शीर्षक खाते में जमा किया जाता है और बाद में मूल्यह्रास उस वर्ष से परिसंपत्ति के कम किए मूल्य पर आंका जाता है।

11. कंपनी के दावे

बीमा कंपनी/रेलवे में दाखिल किए दावों की राशियों का उचित निश्चित मूल्यांकन करके उस वर्ष के दौरान दावा की गई राशियों के आधार पर लेखे में लिया जाता है। दावे के निर्धारण पर उसे समायोजित किया जाता है।

12. पूर्वदत्त खर्च

जहाँ 1 लाख रूपये से ज्यादा प्रत्येक मामले में भुगतान हो उसे केवल पूर्वदत्त खर्च माना जाता है।

13. संदिग्ध कर्ज हेतु प्रावधान

पिछले दो वर्षों से अधिक रूके हुए फुटकर ऋणों के लिए प्रत्येक मामले की खराब तथा संदिग्ध ऋणों की अलग-अलग समीक्षा के आधार पर प्रावधान किया जाता है। निजी पार्टियों के नाम पर तीन वर्षों से अधिक अवधि तक बकाया ऋण राशियों के लिए निश्चित रूप से व्यवस्था की जाती है।

14. अनुसंधान एवं विकास खर्च

अनुसंधान एवं विकास खर्च उसी वर्ष के लाभ हानि लेखा में दर्ज किया जाता है, यद्यपि अनुसंधान एवं विकास के लिए स्थायी परिसंपत्ति पर हुआ खर्च अन्य स्थायी परिसंपत्ति खर्च के समान ही माना जाता है।

15. खान बंद का खर्च

संबंधित नियम एवं अधिनियम के तहत तकनीकी मूल्यांकन करके, अंतिम खान बंद करने का वित्तीय प्रभाव, उपलब्ध अयस्क भंडार के आधार पर निकाला जाता है। जिसे सभी खदान के उत्पादन खाते में प्रावधान किया जाता है।

16. वन भूमि को अ-वनभूमि हेतु बदलने के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्यांकन

संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति प्राप्त होने पर देनदारियाँ तय की जाती है।

17. पूर्वावधि खर्च

पिछले वर्ष (वर्शो के) के मूलभूत कमीशन या ओमिषन की त्रुटियों को पिछले समय के समायोजित खाते में डालकर सुधारित किया जाता है।

18. तुलन पत्र की तारीख के बाद होने वाले महत्वपूर्ण लेनदेन के मामले

तुलन पत्र के तारीख के बाद तथा उसके अनुमोदित होने के पश्चात महत्वपूर्ण घटना का उल्लेखनीय प्रभाव या तो तुलन पत्र तथा लाभ हानि लेखा को संयत किया जाता है या निदेशक रिपोर्ट में विशेष तौर पर उल्लेखित किया जाता है।

टिप्पणी संख्या 1.2
31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखा पर टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताएं

ए) ऋण के तौर पर अस्वीकृत कंपनी के खिलाफ दावे -

रूपये लाख में

दावों का विवरण		31-03-2012	31-03-2011
(i)	कार्मिकों द्वारा वेतन एवं अन्य लाभ के दावे	**143.00**	165.00
(ii)	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा रेलवे साइडिंग से संबंधित किराये के एरियर्स के भुगतान के दावे	**109.68**	109.68
(iii)	ठेकेदारों द्वारा संविदा उत्तरदायित्व पूर्ण न करने के दावे	**26.42**	26.42
(iv)	वन विभाग द्वारा तिरोडी खदान से अयस्क की रेलिंग पर ट्रांजिट फी भुगतान के दावे	**86.08**	79.45
(v)	पंचाट अवार्ड पर ब्याज	**332.00**	216.17
(vi	कर्मचारियों का प्रोफेशनल टैक्स	**6.91**	8.83

बी) विभाग द्वारा की गई मांगों, जिस पर कंपनी ने विवाद उपस्थित किया है, तथा जिन मांगों पर कंपनी ने भुगतान किया है, नीचे दर्शाए अनुसार है :

रूपये लाख में

निर्धारण वर्ष	विवादित मांग	भुगतान की गई राशि	31 मार्च, 2012 को बकाया	के पास लंबित
2005-06	350.27	350.27	शून्य	आयकर आयुक्त (अपील)
2007-08	127.26	127.26	शून्य	
2006-07	253.00	253.00	शून्य	
2008-09	664.80	664.80	शून्य	
2009-10	2527.31	2527.31	शून्य	
2006-07	16.30	16.30	शून्य	आयकर अपीलीय अधिकरण
2007-08	83.03	83.03	शून्य	

कंपनी के मूल्यांकन के आधार पर पहले से ही किए गए प्रावधान से अधिक वित्तीय भार नहीं आएगा।

सी) कंपनी ने प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान के संबंध में 172.30 (172.30) लाख रूपये की बैंक गारंटी द्वारा वित्तीय आश्वासन आईबीएम को दिया है। इस बैंक गारंटी के सम राशि की फिक्स डिपॉजिट राशि बैंक/सरकारी विभाग द्वारा धारित है।

डी) पूंजीगत खातों में क्रियान्वित न होने के कारण ठेके की अनुमानित राशि बकाया है तथा प्रावधान नहीं की गई 5,832.64 (7,908.48) लाख रूपये थी। इस प्रकार की संविदाओं के लिए अग्रिम राशि रूपये शून्य (0) है।

2. कंपनी की 761.60 वर्ग मीटर भूमि को एकीकृत सड़क विकास योजना के तहत नागपुर सुधार प्रन्यास द्वारा अधिगृहीत किया गया। इसके लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने संबंधी एक लेखी याचिका कंपनी द्वारा उच्च न्यायालय, नागपुर में दायर की गई है जो न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गई है। याचिका के लंबित होने से उसके लिए पुस्तकों में कोई समायोजन नहीं किया गया।

3. (ए) वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन वर्ष के अंत में किया जाता है।

(बी) भार-मात्रा अनुपात आधार पर मैंगनीज अयस्क का उत्पादन एवं वस्तुसूची प्राप्त की जाती है।

(सी) संयंत्र के बारे में अधिकांश कच्चा माल एवं तैयार माल की वस्तुसूची का उत्पादन/तकनीकी विभाग द्वारा भार-परिमाण अनुपात के अनुसार निर्णय लिया जाता है और उसके अनुसार उसे हिसाब में लिया जाता है।

(डी) 17.18 (11.39) लाख रूपये मूल्य का 370 (249) एमटी मैंगनीज अयस्क का स्टॉक 31.03.2012 को फेरो मैंगनीज संयंत्र स्थल पर पड़ा है वह कच्चे माल की वस्तुसूची में शामिल है।

4. विविध देनदार तथा विविध लेनदारों के वर्ष समाप्ति पर बकाया राशि के पुष्टीकरण पत्र पार्टियों को भेजे गए है। प्राप्त पुष्टीकरणों के संबंध में कंपनी शेष राशियों की संवीक्षा और मिलान की प्रक्रिया कर रही है।

5. कार्मिकों के संबंध में दिए गए सुरक्षित ऋण का प्रलेखन कुछ मामलों में लंबित है।

6. अप्रचलित भंडार सामग्री/स्पेअरों का निपटान करने के बाद होने वाली प्रत्याषित हानि हेतु किया गया 4.22 लाख रूपये (3.49 लाख रूपये) का प्रावधान पर्याप्त माना गया है।

7. कंपनी द्वारा प्राप्त ब्याज एवं किराए पर स्त्रोत पर आयकर की कटौती से प्राप्त राशि 2192.54 (1797.28) लाख रूपये है। कुछ मामलों में कर की कटौती के प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा है।

8. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को देय शून्य (शून्य) लाख रूपये की राशि, 30 दिनों से अधिक 1 लाख रूपये से उपर, विविध लेनदार में शामिल है।

9. अन्य व्यय (टिप्पणी संख्या 14.2) में शामिल है :

रूपये लाख में

	विवरण	31-03-2012	31-03-2011
1.	यात्रा व्यय		
2.	(ए) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	**12.68**	25.91
3.	(बी) निदेशक	**54.90**	91.63
	लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक	**2.81**	2.76
	(ए) लेखापरीक्षा शुल्क	शून्य	5.52
	सांविधिक लेखा परीक्षा के लिए	**2.64**	1.37
	पब्लिक इष्यु से संबंधित लेखा परीक्षा के लिए	**0.08**	0.17
	तिमाही लेखा की सीमित समीक्षा के लिए	**0.93**	0.92
	पॉकेट खर्च में से	**6.46**	10.74
	(बी) अन्य सेवाएं	**128.52**	776.63
	जनसंपर्क एवं प्रचार खर्च सहित विज्ञापन		

10. परिभाशित दायित्व - लेखा मानक 15 (संशोधित) के अनुसार प्रकटीकरण नीचे दर्शाए अनुसार है :

रूपये लाख में

विवरण	उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	31.03.2012	31.03.2011	**31.03.2012**	31.03.2011
निधिबद्ध उत्तरदायित्व का प्रारंभिक एवं बंद शेष का समाधान				
वर्ष के प्रारंभ में	9902.89	8640.93	3899.15	3192.48
चालु सेवा लागत	542.68	513.23	289.47	265.89
ब्याज लागत	792.23	691.28	311.93	255.40
बीमांकीक (प्राप्ति)/हानि	156.53	566.43	-98.98	316.20
प्रदत्त लाभ	-837.77	-508.98	-175.83	-130.82
वर्ष के अंत में	10556.56	9902.89	4225.74	3899.15
योजना संपत्ति का संगत मूल्य का प्रारंभिक एवं बंद शेष का समाधान				
वर्ष के प्रारंभ में	9460.55	6966.07	2852.95	2717.10
योजना संपत्ति की अपेक्षित वापसी	898.75	658.29	271.03	256.76
बीमांकीक (प्राप्ति)/हानि	-3.43	60.53	47.67	9.91
नियोक्ता योगदान	1042.34	2284.64	1046.20	0.00
प्रदत्त लाभ	-837.77	-508.98	-175.83	-130.82
वर्ष के अंत में	10560.44	9460.55	4042.02	2852.95
संपत्ति का संगत मूल्य तथा निधि बद्ध उत्तरदायित्व का समाधान				
वर्ष के अंत में योजना संपत्ति का वर्तमान मूल्य	10560.44	9460.55	4042.02	2852.95
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	10556.56	9902.89	4225.74	3899.15
तुलन पत्र में मान्य देयताएं पूर्व अदा (-) देयता	-3.88	442.34	183.72	1046.20
लाभ-हानि लेखा में मान्य खर्च				
चालु सेवा लागत	542.68	513.23	289.47	265.89
ब्याज लागत	792.23	691.28	311.93	255.40
योजना संपत्ति की अपेक्षित वापसी	-898.75	-658.29	-271.03	-256.76
बीमांकीक (प्राप्ति)/हानि	159.96	505.90	-146.65	306.29
लाभ-हानि लेखा में मान्य कुल खर्च	596.12	1052.12	183.72	570.82
बीमांकीक पूर्वानुमान				
मृत्युदर तालिका (जीवन बीमा)	(1994-96 अंतिम	(1994-96) अंतिम	(1994-96) अंतिम	(1994-96) अंतिम
छूट दर (प्रति वर्ष)	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
योजना संपत्ति पर अपेक्षित वापसी (प्रति वर्ष)	9.50%	9.45%	9.50%	9.45%
वेतनवृद्धि दर (प्रति वर्ष)	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%

11. संबंधित पार्टियों के साथ व्यवहार - लेखांकन मानक - 18 के अनुसार संबंधित पार्टियों के साथ व्यवहार का प्रकटीकरण नीचे दर्शाया गया है :-

(i) जिन पार्टियों के साथ व्यवहार किया गया है उन संबंधित पार्टियों की सूची एवं संबंध

1.	श्री के. जे. सिंह	निर्णायक प्रबंधन कार्मिक
2.	श्री एम. ए. वी. गौतम	निर्णायक प्रबंधन कार्मिक
3.	श्री ए. के. मेहरा	निर्णायक प्रबंधन कार्मिक
4.	श्री जी. पी. कुंदरगी	निर्णायक प्रबंधन कार्मिक
5.	सेल एण्ड मॉयल फेरो अलॉय प्रा. लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
6.	रिनमॉयल फेरो अलॉय प्रा. लिमिटेड	संयुक्त उद्यम

(ii) संबंधित पार्टी के साथ इस वर्ष के दौरान व्यवहार

रूपये लाख में

	विवरण	2011-12	2010-11
1.	प्रबंधकीय मेहनताना		
	(ए) वेतन एवं भत्ते	**168.51**	154.82
	(बी) भविष्य निधि में अंशदान	**6.90**	6.17
	(सी) परिलब्धियों का वास्तविक/अनुमानित मूल्य	**4.90**	3.65
	(डी) कुल	**180.31**	164.64
2.	यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति	**67.58**	117.54
3.	संयुक्त उद्यम कंपनी में शेयर पूंजी के लिए अग्रिम	**200.00**	200.00
4.	अंशकालिक निदेशक का बैठक शुल्क	**6.63**	4.20

12. आस्थगित कर देयता - लेखांकन मानक - 22 के अनुसार नीचे दर्शाए अनुसार प्रकटीकरण :

रूपये लाख में

Sr. No.	विवरण	2011-12/31 मार्च, 2012	2010-11/31 मार्च, 2011
1.	आस्थगित कर देयता मूल्यह्रास से संबंधित	2284.57	2619.05
2.	आस्थगित कर परिसंपत्ति आयकर अधिनियम के अंतर्गत अस्वीकृत	2949.71	2469.22
3.	शुद्ध आस्थगित कर देयता/(-) परिसंपत्ति	-665.14	149.83
4.	लाभ-हानि लेखा के लिए आस्थगित कर : देयता में वृद्धि/(-) कमी	-814.96	-1133.48

13. संयुक्त उद्यम - लेखांकन मानक -27 के अनुसार प्रकटीकरण नीचे दर्शाए अनुसार है :

(ए) संयुक्त उद्यम कंपनियों का विवरण

संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	विनिगमन का विवरण		मालकियत का प्रारंभिक अनुपात	पूंजी के लिए अशंदान (रूपये लाख में)
	देश	तारीख		
सेल एण्ड मॉयल फेरो अलॉय प्रा. लि.	भारत	31.07.2008	50%	410.00
रिनमॉयल फेरो अलॉय प्रा. लि.	भारत	29.07.2009	50%	10.00

(बी) वित्तीय विवरण

रूपये लाख में

विवरण	परिस्थिति	
	31.03.2012 (अ-अंकेक्षित)	31.03.2011 (अंकेक्षित)
आकस्मिक देयताओं का कंपनी का अंश	**Nil**	Nil
पूंजी प्रतिबद्धता का कंपनी का अंश	**379.83**	580.05
संयुक्त उद्यम की ओर से दी गई गारंटी	**Nil**	Nil
संयुक्त उद्यम कंपनी लेखा के अनुसार कंपनी के ब्याज की कुल राशि -		
(i) सेल एण्ड मॉयल फेरो अलॉय प्रा. लि.	**10.00**	10.00
अंशधारक की निधि	**400.00**	200.00
शेयर विनियोग पैसा आबंटन के लिए लंबित	**Nil**	Nil
सुरक्षित/असुरक्षित कर्ज	**Nil**	Nil
आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)	**301.07**	172.46
स्थायी संपत्ति तथा चालु पूंजीगत कार्य	**108.47**	37.08
शुद्ध चालु संपत्ति	**0.46**	0.46
लाभ-हानि लेखा में नामे शेष	**Nil**	Nil
आय	**Nil**	Nil
व्यय	**10.00**	10.00
(ii) रिनमॉयल फेरो अलॉय प्रा. लि.	**Nil**	Nil
अंशधारक की निधि	**Nil**	Nil
सुरक्षित/असुरक्षित कर्ज	**64.27**	49.50
आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)	**-54.58**	-39.81
स्थायी संपत्ति तथा चालु पूंजीगत कार्य	**0.31**	0.31
शुद्ध चालु संपत्ति	**Nil**	Nil
लाभ-हानि लेखा में नामे शेष	**Nil**	Nil
आय		
व्यय		

14. प्रावधान - लेखांकन मानक - 29 के अनुसार विवरणों का प्रकटीकरण निम्नानुसार है :

रूपये लाख में

प्रावधान का विवरण	**प्रारंभिक शेष 01.04.2011**	**प्रावधान**	**रद्द/उपयोगित प्रावधान**	**बंद शेष 31.03.2012**
अंतिम खदान बंदी का खर्च	477.24	71.74	--	548.98
	(399.80)	(77.44)	--	(477.24)
अशोध्य और संदिग्ध कर्ज	20.87	--	--	20.87
	(42.02)	--	(21.15)	(20.87)

अंतिम खदान बंदी खर्च के प्रावधान के संबंध में, अंतिम खदान बंदी के समय नकद निर्गम अपेक्षित है।

15. वर्ष के दौरान आयात - (ए) पूंजीगत माल रू. 515.34 (शून्य) लाख

16. प्रवास के लिए विदेशी मुद्रा में खर्च रू. 26.78 (59.83) लाख और विविध खर्च - रू. 15.00 (शून्य) लाख

17. लाभ-हानि लेखा की अतिरिक्त जानकारी

(ए) उत्पादन, बिक्री, प्रारंभिक और अंतिम स्कंध -

विवरण	31.03.2012 को समाप्त वर्ष		31.03.2011 को समाप्त वर्ष	
	मात्रा (एमटी)	रूपये लाख में	मात्रा (एमटी)	रूपये लाख में
ए) उत्पादन/निर्मिती -				
मैंगनीज अयस्क	1070717	--	1150742	--
ईएमडी	714	--	805	--
फेरो मैंगनीज	8694	--	9081	--
फेरो मैंगनीज स्लैग	14204	--	13515	--
पवन उर्जा (केडब्लूएच)	33022835	--	31039998	--
बी) बिक्री -				
मैंगनीज अयस्क	1078263	81039.40	999249	106924.99
ईएमडी	1005	686.00	911	620.77
फेरो मैंगनीज	13239	7310.45	6903	4530.54
फेरो मैंगनीज स्लैग	8716	686.19	14339	1622.44
एमपीईडीसीएल को बिजली (केडब्लूएच)	23954400	846.09	22449760	832.49
सी) प्रारंभिक स्कंध				
मैंगनीज अयस्क	191160	6681.65	66709	2036.48
ईएमडी	590	404.52	696	451.93
फेरो मैंगनीज	6622	1952.89	4444	1631.85
फेरो मैंगनीज स्लैग	776	77.08	1600	--
डी) अंतिम स्कंध				
मैंगनीज अयस्क	157614	5708.16	191160	6681.65
ईएमडी	299	208.38	590	404.52
फेरो मैंगनीज	2078	815.10	6622	1952.89
फेरो मैंगनीज स्लैग	6265	388.50	776	77.08
टिप्पणी :				
उत्पादन के लिए जारी किया गया मैंगनीज अयस्क के समायोजन के पश्चात अंतिम स्कंध -				
ईएमडी	2984	--	3587	--
फेरो मैंगनीज	23016	--	23455	--
कैप्टिव खपत के लिए उपयोग की गई बिजली सहित पवन उर्जा मिलों से बिजली की निर्मिती (केडब्लूएच)	9068435	--	8590238	--

(b) अनुज्ञप्ति और संस्थापित क्षमता और उपयोग की गई क्षमता -

विवरण	31.03.2012 को समाप्त वर्ष		31.03.2011 को समाप्त वर्ष	
	मात्रा (एमटी)	उपयोग की गई क्षमता	मात्रा (एमटी)	उपयोग की गई क्षमता
e) अनुज्ञप्तित एवं संस्थापित क्षमता				
ईएमडी	1000	--	1000	--
फेरो मैंगनीज	10000	--	10000	--
पवन उर्जा (केडब्लूएच)	40000000	--	40000000	--
f) उत्पादन एवं क्षमता उपयोग				
ईएमडी	714	71%	805	81%
फेरो मैंगनीज	8694	87%	9081	91%
पवन उर्जा (केडब्लूएच)	33022835	83%	31039998	78%

18. पिछले वर्ष के तत्सम आंकड़े कोशठक में दर्शाए गए है तथा जहां आवश्यक हो, तुलनीय करने के लिए फिर से संगठीत किए गए है।

31 मार्च, 2012 को तुलनपत्र पर टिप्पणी

रूपये लाख में

विवरण	31 मार्च, 2012 को ₹	₹	31 मार्च, 2011 को ₹	₹
टिप्पणी 2.1 - शेयर पूंजी				
अधिकृत				
इक्विटी शेयर : संख्या	**250000000**		250000000	
अंकित मूल्य		**10.00**		10.00
राशि		**25000.00**		25000.00
निर्गमित, अभिदत्त और पूर्णतः प्रदत्त				
इक्विटी शेयर : संख्या	**168000000**		168000000	
अंकित मूल्य		**10.00**		10.00
राशि कुल राशि		16800.00		16800.00

एक इक्विटी शेयर के लिए एक मतदान अधिकार के साथ रू. 10/- सममूल्य के इक्विटी शेयरों के रूप में कंपनी के पास केवल एक वर्ग के शेयर है।

आरक्षित निधि के लिए पूंजीकरण के द्वारा निर्गमित बोनस शेयरों का विवरण :

वित्तीय वर्ष	शेयरों की संख्या	पूंजीकृत आरक्षित निधि	
		सामान्य आरक्षित निधि	पूंजीगत आरक्षित निधि
2006-07 #	1267486	126748600	0.00
2009-10 #	140000000	1399338745	661255

वित्तीय वर्ष 2009-10 में रू. 100/- प्रति शेयर अंकित मूल्य को रू. 10/- प्रति शेयर अंकित मूल्य के शेयरों में विभाजित किया गया है।

समाधान विवरण				
प्रारंभ में शेयरों की संख्या	**168000000**		168000000	
जोड़े : वर्ष के दौरान निर्गमित शेयर	**0**		0	
अंत में शेयरों की संख्या	**168000000**		168000000	

प्रत्येक शेयरधारक की शेयर होल्डिंग का विवरण जिसके पास 5 प्रतिशत से अधिक के शेयर है।

शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत
भारत सरकार	**120235680**	**71.57**	120235680	71.57

	₹	₹	₹	₹
टिप्पणी 2.2 - आरक्षित निधि एवं अधिशेष				
सामान्य आरक्षित निधि				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	**195878.79**		150878.79	
(द) लाभ-हानि लेखा से स्थानांतरित	**30000.00**		45000.00	
		225878.79		195878.79
लाभ-हानि लेखा में अधिशेष				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	**150.70**		58.31	
जोडे : लाभ-हानि लेखा से लाभ का बकाया	**41076.70**		58805.58	
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि		**41227.40**		58863.89
घटाएं : विनियोजन -				
अंतरिम लाभांश 20 प्रतिशत (25 प्रतिशत) की दर से	**3360.00**		4200.00	
प्रस्तावित अंतिम लाभांश 30 प्रतिशत (45 प्रतिशत) की दर से	**5040.00**		7560.00	
अंतरिम लाभांश पर कर जिसमें अधिप्रभार और उपकर शामिल है।	**558.05**		697.57	
अंतिम लाभांश पर कर जिसमें अधिप्रभार और उपकर शामिल है।	**817.61**		1255.62	
सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरण	**30000.00**		45000.00	
		39775.66		58713.19
बकाया अग्रेनीत		**1451.74**		150.70
कुल		**227330.53**		196029.49

31 मार्च, 2012 को तुलनपत्र पर टिप्पणी

रूपये लाख में

विवरण		31 मार्च, 2012 को ₹	₹	31 मार्च, 2011 को ₹	₹
टिप्पणी 3.1 - दीर्घकालिक प्रावधान					
(ए) पेंशन निधि के लिए प्रावधान			**6624.44**		4920.77
(बी) अंतिम खदान बंद खर्च के लिए प्रावधान			**548.98**		477.24
	कुल		**7173.42**		5398.01
टिप्पणी 3.2 - दीर्घकालिक देयता					
(ए) आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों और अन्य से सुरक्षा जमा	कुल		**85.52**		75.74
टिप्पणी 4.1 - व्यापार देय	कुल		**3311.15**		2577.41
टिप्पणी 5.1 - अन्य चालु देयता					
(ए) ग्राहकों से अग्रिम			**1241.13**		1244.40
(बी) आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों और अन्य से सुरक्षा जमा			**2033.51**		1817.58
(सी) खर्च के लिए देयताएं			**9848.00**		8963.93
(डी) बिना दावे के लाभांश वारंट के लंबित नकदीकरण			**36.31**		214.78
(इ) अन्य देयताएं			**424.47**		542.84
	कुल		**13583.42**		12783.53
टिप्पणी 5.2 - अल्पकालिक प्रावधान					
(ए) इक्विटी शेयर पर प्रस्तावित लाभांश			**5040.00**		7560.00
(बी) लाभांश पर कर के लिए प्रावधान			**817.61**		1255.62
(सी) नहीं ली गई छुट्टी के लिए प्रावधान-					
तुलनपत्र की तारीख को देयता		**4225.74**		3899.15	
(-) भारतीय जीवन बीमा निगम के पास निधि		**4042.01**		2852.96	
			183.73		1046.19
(d) ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान			**0.00**		442.34
	कुल		**6041.34**		10304.15
	कुल		**22935.91**		25665.09

31 मार्च, 2012 को तुलनपत्र पर टिप्पणी

रूपये लाख में

टिप्पणी 6.1 - अचल परिसंपत्तिय

क्र. सं.	परिसंपत्तियों का विवरण	सकल खण्ड				मूल्यह्रास				शुद्ध खण्ड	
		31.03.2011 को	परिवर्धन	कटौती	31.03.2012 को	31.03.2011 को	वर्ष के दौरान	कटौती	31.03.2012 को	31.03.2012 को	31.03.2011 को
		₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹
(ए)	**स्थायी संपत्ति**										
1	भूमि	1016.24	0.00	0.00	1016.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1016.24	1016.24
2	इमारत	7061.58	451.45	3.28	7509.75	1848.32	280.37	2.62	2126.07	5383.68	5213.26
3	संयंत्र और मशीनरी	27928.81	2541.82	511.64	29958.99	15331.43	2472.80	456.37	17347.86	12611.13	12597.38
4	फर्नीचर और जुड़नार	230.55	48.35	1.24	277.66	167.20	23.63	1.20	189.63	88.03	63.35
5	कार्यालय उपकरण	363.27	39.06	6.61	395.72	214.55	24.90	6.04	233.41	162.31	148.72
6	वाहन	678.98	75.27	21.46	732.79	436.22	71.53	20.39	487.36	245.43	242.76
		37279.43	3155.95	544.23	39891.15	17997.72	2873.23	486.62	20384.33	19506.82	19281.71
(बी)	**अस्थायी संपत्ति**										
1	पट्टाधृत भूमि	2366.71	0.00	0.00	2366.71	1050.41	118.33	0.00	1168.74	1197.97	1316.30
	कुल	39646.14	3155.95	544.23	42257.86	19048.13	2991.56	486.62	21553.07	20704.79	20598.01
सी	**प्रगतिशील पूंजी**									3903.55	2878.78
	कुल									24608.34	23476.79
(डी)	**31 मार्च, 2011 को समाप्त गत वर्ष**	35702.66	4219.10	275.63	39921.76	16048.61	3251.17	251.66	19048.12	20598.01	21871.81

1 इमारत में भूमि भी शामिल है जहाँ भूमि के लिए अलग से विचार नहीं किया जाता है।

2 अवधि के लिए मूल्यह्रास में इस पर मूल्यह्रास भी शामिल है -

	2011-12	2010-11
(ए) विनिर्माण इकाइयों की परिसंपत्ति	71.02	72.56
(बी) उर्जा निर्माण इकाइयों की परिसंपत्ति	1006.71	1006.71
(सी) पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित मूल्यह्रास	2.15	0.00

3 तुलन पत्र की तारीख को कोई हानि नहीं है।

31 मार्च, 2012 को तुलनपत्र पर टिप्पणी

रूपये लाख में

विवरण	31 मार्च, 2012 को ₹	₹	31 मार्च, 2011 को ₹	₹
टिप्पणी 7.1 - गैर-चालु निवेश (अनकोटेड) लागत पर				
खदानों में सहकारी स्टोर/सोसायटी के पूर्णतः प्रदत्त शेयर				
ए) सहकारी स्टोर (अपंजीकृत) के रू. 5/- प्रत्येक के 500(500) शेयर	**0.03**		0.03	
बी) सहकारी सोसायटी के रू. 25/- प्रत्येक के 1612(1612) शेयर	**0.40**		0.40	
सी) सहकारी सोसायटी के रू. 10/- प्रत्येक के 8556 (8556) शेयर	**0.86**		0.86	
		1.29		1.29
संयुक्त उपक्रम में निवेश (प्रारंभिक सदस्यता) :				
ए) सेल एण्ड मॉयल फेरो अलॉय प्रा. लिमिटेड में पूर्णतः प्रदत्त रू. 10/- प्रत्येक के 100000 (100000) इक्विटी शेयर	**10.00**		10.00	
बी) रिनमॉयल फेरो अलॉय प्रा. लिमिटेड में पूर्णतः प्रदत्त रू. 10/- प्रत्येक के 100000 (100000) इक्विटी शेयर	**10.00**		10.00	
		20.00		20.00
शेयर आबंटन के लिए अग्रिम				
शेयरों के आबंटन के विरूद्ध सेल एण्ड मॉयल फेरो अलॉय प्रा. लिमिटेड को अग्रिम (अधिकृत शेयर पूंजी में लंबित वृद्धि)		**400.00**		200.00
कुल		**421.29**		221.29
टिप्पणी 8.1 - दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम				
ए) सुरक्षित				
कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम		**75.91**		70.22
बी) असुरक्षित				
कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम		**9.00**		10.61
कुल		**84.91**		80.83
टिप्पणी 8.2 - अन्य गैर-चालु परिसंपत्ति				
ए) स्थायी और अन्य जमा पर प्रोद्भूत ब्याज लेकिन देय नहीं		**0.31**		0.05
बी) कर्मचारियों को ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज लेकिन देय नहीं		**30.08**		28.53
सी) रेलवे, बिजली बोर्ड और अन्य के पास जमा (असुरक्षित)		**559.80**		428.24
कुल		**590.19**		456.82
टिप्पणी 9.1 - वस्तुसूची (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित)				
1 कच्चे माल का स्कंध लागत पर मूल्यांकन		**69.18**		51.13
2 लागत पर प्रक्रियागत कार्य		**1.06**		2.56
3 तैयार माल का स्कंध लागत पर या शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य पर, इनमें से जो भी कम हो		**7119.08**		9113.58
4 पारगमन में स्टोर लागत पर		**36.76**		9.71
5 पारगमन में स्टोर लागत पर		**239.74**		
6 स्टोर और स्पेअर्स का स्कंध लागत पर मूल्यांकन	**667.30**		569.48	
(-) अप्रचलित स्टोर और स्पेअर्स के लिए प्रावधान	**4.22**		3.49	
		663.08		565.99
कुल		**8128.90**		9742.97

31 मार्च, 2012 को तुलनपत्र पर टिप्पणी

₹ in lakhs

विवरण	31 मार्च, 2012 को ₹	₹	31 मार्च, 2011 को ₹	₹
टिप्पणी 9.2 - व्यापार प्राप्तियाँ (असुरक्षित)				
1 अच्छा माना गया				
छह माह से अधिक अवधि के लिए अतिदेय ऋण	**41.81**		0.00	
अन्य ऋण	**9891.34**		6795.89	
		9933.15		6795.89
2 संदिग्ध माना गया				
छह माह से अधिक अवधि के लिए अतिदेय ऋण		**20.87**		20.87
		9954.02		6816.76
(-) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		**20.87**		20.87
कुल		**9933.15**		6795.89
टिप्पणी 9.3 - नकद और नकद समकक्ष				
(ग) हाथ में रोकड़		**7.04**		6.79
(गग) बैंकों में जमा				
सावधि जमा में		**207606.00**		186201.00
सावधि जमा में (बैंक गारंटी/एलसी के विरूद्ध मार्जिन मनी के रूप में)		**395.73**		186.04
विशेष लाभांश खाते में वारंटों का नकदीकरण लंबित		**36.31**		214.78
चालु खाते में		**797.03**		1356.56
कुल		**208842.11**		187965.17
सावधि जमाओं में 12 माह के बाद परिपक्व होने वाला जमा शामिल है		**7.00**		1.00
टिप्पणी 10.1 - अल्पकालिक ऋण और अग्रिम				
ए) सुरक्षित				
1) कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम		**62.84**		80.37
बी) असुरक्षित				
1) कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम		**138.68**		133.15
2) स्टोर, स्पेअर्स और मशीनरी की खरीद के लिए अग्रिम	**200.93**		93.72	
(-) संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	**11.75**		0.57	
		189.18		93.15
3) ठेकेदारों और अन्य को अग्रिम		**233.88**		249.32
4) संबंधित पार्टियों को ऋण और अग्रिम				
ए) अधिकारियों को अग्रिम		**0.00**		0.10
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को अग्रिम		**0.00**		0.00
बी) रिनमॉयल फेरो अलॉय प्राइवेट लिमिटेड, एक संयुक्त उद्यम कंपनी		**33.31**		33.21
5) प्राप्य दाव	**1.50**		0.53	
(-) संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	**0.53**		0.53	
		0.97		0.00
6) पूर्वदत्त खर्च		**146.61**		97.20
7) आयकर का अग्रिम भुगतान (शुद्ध)		**9037.68**		7088.84
कुल		**9843.15**		7775.34
टिप्पणी 10.2 - अन्य चालु परिसंपत्तियाँ				
(ग) सावधि और अन्य जमाओं पर अर्जित ब्याज		**11120.64**		7529.67
(गग) फुटकर प्राप्य		**87.56**		73.39
कुल		**11208.20**		7603.06

31 मार्च, 2012 को तुलनपत्र पर टिप्पणी

रूपये लाख में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए	वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए
टिप्पणी 11.1 - प्रचालन से राजस्व		
(ए) खनन उत्पादों की बिक्री	**81039.40**	106924.99
(बी) विनिर्मित उत्पादों की बिक्री	**8682.64**	6773.75
(सी) बिजली की बिक्री	**846.09**	832.49
	90568.13	114531.23
(-) (-) विनिर्मित उत्पादों पर उत्पाद शुल्क	**609.88**	534.38
प्रचालन से राजस्व	**89958.25**	113996.85
टिप्पणी 11.2 - अन्य आय		
1 **अन्य आय**		
(ए) प्राप्त ब्याज	**19383.52**	13393.42
(बी) कर्मचारियों से वसूली	**11.44**	11.18
(सी) स्क्रैप की बिक्री	**0.39**	75.14
(डी) इमारतों का किराया	**14.02**	14.04
(ई) बिक्री-कर सेटऑफ/रिफंड	**156.01**	121.08
(एफ) विविध आय	**766.32**	912.70
2 **रिटर्न बैक प्रावधान**		
(ए) अप्रचलित स्टोर की बिक्री पर प्रत्याशित हानि के लिए प्रावधान	**0.00**	0.71
(बी) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**0.00**	21.15
कुल	**20331.70**	14549.42

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा पर टिप्पणी

रूपये लाख में

विवरण		वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए ₹	₹	वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए ₹	₹
टिप्पणी 12.1 - कच्चे माल की खपत की लागत					
ईएमडी प्लांट					
(ए) मैंगनीज अयस्क		7.33		12.65	
(बी) (बी) सलफरिक एसिड		20.99		19.86	
(सी) (सी) सोडियम कार्बोनेट		2.41		2.98	
(डी) (डी) अन्य		10.05		2.49	
			40.78		37.98
एफएमपी प्लांट					
(ए) मैंगनीज अयस्क		1062.76		1072.55	
(बी) कोक		533.37		555.23	
(सी) कार्बन पेस्ट		34.77		37.68	
(डी) अन्य		161.49		88.56	
			1792.39		1754.02
	कुल		1833.17		1792.00
टिप्पणी 13.1 - तैयार माल, प्रक्रियागत कार्य और व्यापारगत भंडार की वस्तुसूची में परिवर्तन					
(ए) खनन उत्पाद					
अंतिम स्कंध		5708.16		6681.65	
(-) प्रारंभिक स्कंध		6681.65		2036.48	
			-973.49		4645.17
(बी) विनिर्मित उत्पाद					
अंतिम स्कंध		1411.98		2434.49	
(-) प्रारंभिक स्कंध		2434.49		2083.78	
			-1022.51		350.71
	ए		-1996.00		4995.88
घटाएं :					
विनिर्मित उत्पादों के स्कंध पर उत्पाद शुल्क					
अंतिम स्कंध पर		155.32		227.34	
(-) प्रारंभिक स्कंध पर		227.34		194.59	
	बी		-72.02		32.75
शुद्ध बढ़त/-घटत (ए-बी)			-1923.98		4963.13
टिप्पणी 14.1 - कर्मचारी लाभ खर्च					
वेतन, मजदूरी और बोनस			18454.54		15372.23
भविष्य निधि और अन्य निधि में अंषदान			4241.07		4766.23
कल्याण खर्च			912.89		820.50
	कुल		23608.50		20958.96

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा पर टिप्पणी

रूपये लाख में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए ₹	₹	वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए ₹	₹
टिप्पणी 14.2 - अन्य खर्च				
अन्य विनिर्माण और प्रशासनिक खर्च, बिक्री खर्च और बट्टे खाते में डालना				
1 ठेकेदारों के माध्यम से परिवहन, रेलिंग और अन्य कार्य		**5446.35**		4509.16
2 स्टोर और स्पेअर्स की खपत		**3683.73**		3359.24
3 बिजली और ईंधन		**3292.89**		3882.62
4 इमारतों की मरम्मत और रखरखाव	**242.58**		215.75	
5 संयंत्र और मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव	**645.56**		602.04	
6 अन्य की मरम्मत और रखरखाव	**89.40**		108.06	
		977.54		925.85
7 किराया		**11.97**		26.95
8 दर और कर		**231.68**		126.31
9 बीमा		**150.82**		83.53
10 लेखा-परीक्षकों का पारिश्रमिक		**6.47**		10.74
11 निदेषकों की बैठक फीस		**6.63**		4.20
12 विज्ञापन		**221.68**		820.54
13 निगमित सामाजिक जिम्मेदारी पर खर्च		**655.91**		575.39
14 विविध खर्च		**1082.70**		939.96
15 रॉयल्टी और उपकर	**3309.59**		4349.81	
16 बिक्री पर नकद छूट	**76.01**		95.98	
17 ई-ऑक्शन पर सेवा शुल्क	**65.31**		77.15	
18 नमूनाकरण खर्च	**14.51**		14.27	
		3465.42		4537.21
19 खदानों पर अन्वेशी ड्रिलिंग	**513.24**		282.45	
20 ब्लास्टिंग/रॉक यांत्रिकी/स्टोप डिजाइन अध्ययन, इत्यादि पर खर्च	**284.78**		60.59	
		798.02		343.04
21 फेंकी गई आस्तियों को बट्टे खाते में डालना	**57.60**		23.97	
22 स्टोर्स और स्पेअर्स की कमी को बट्टे खाते में डालना	**1.55**		0.80	
23 अप्रचलित स्टोर्स/स्पेअर्स पर अप्रत्याशित हानि के लिए प्रावधान	**0.73**		0.00	
24 संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	**11.18**		0.00	
25 अंतिम खदान बंद खर्च के लिए प्रावधान	**71.74**		77.44	
		142.80		102.21
26 वन भूमि के पथांतरण के लिए खर्च		**0.00**		87.35
कुल		**20174.61**		20334.30

टिप्पणी 1.1 से 14.2 वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न भाग है।

कृते वी. के. सुराणा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार,
एफ.आर. नं. 110634 डब्लू

हस्ता/-
नीरज पाण्डेय
कंपनी सचिव

हस्ता/-
मुकुंद पी. चौधरी
महाप्रबंधक (वित्त)

हस्ता/-
सी. ए. सुधीर सुराणा
सदस्यता क्रमांक : 043414

हस्ता/-
एम. ए. वी. गौतम
निदेशक (वित्त)

हस्ता/-
के. जे. सिंह
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान : नागपुर
दिनांक : 25 मई, 2012

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

रूपये लाख में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए ₹	₹	वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए ₹	₹
ए. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह				
कर और लाभांश से पूर्व शुद्ध लाभ		**60662.81**		88015.18
समायोजन -				
(a) मूल्यह्रास	**2991.57**		3251.17	
(b) अनुपयोगी संपत्ति बट्टे खाते में डालना	**57.60**		23.97	
		3049.90		**3275.14**
कार्यशील पूंजी परिवर्तन के पूर्व प्रचालन लाभ		**63712.71**		91290.32
समायोजन -				
(a) वस्तुसूची	**1614.08**		-4989.03	
(b) विविध देनदार	**-3137.26**		1778.58	
(c) प्रोद्भूत/प्राप्य ब्याज	**-3592.79**		-1674.13	
अन्य चालु संपत्तियाँ	**-14.17**		20.30	
(d) ऋण और अग्रिम	**-2203.45**		-2021.58	
(e) चालु देयताएं और प्रावधान	**-943.99**		3987.30	
		-8278.31		-2898.56
प्रचालन से उत्पन्न नकद		**55434.40**		88391.76
वर्ष के दौरान कराधान के लिए प्रावधान		**-20401.07**		-30343.08
प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद		**35033.33**		58048.68
बी. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह				
(a) अचल संपत्ति की खरीदी	**-4180.71**		-4880.12	
(b) निवेश की खरीदी/बिक्री	**-200.00**		-200.00	
निवेश गतिविधियों में इस्तेमाल शुद्ध नकद		**-4380.71**		-5080.12
C वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह				
(a) लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित)		**-9775.67**		-13713.19
D नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध बढ़त/(-)घटत		**20876.95**		39255.37
E प्रारंभिक नकद और नकद समतुल्य		**187965.16**		148709.79
अंतिम नकद और नकद समतुल्य		**208842.11**		187965.16
नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध बढ़त/(-)घटत		**20876.95**		39255.37
नोट : नकद और नकद के समतुल्य में विशेष लाभांश खातों में जमा वारंटों का लंबित नकदीकरण शामिल है, जो कंपनी को अपने उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है।		36.31		214.78

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते वी. के. सुराणा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार,
एफ.आर. नं. 110634 डब्लू

हस्ता/-
नीरज पाण्डेय
कंपनी सचिव

हस्ता/-
मुकुंद पी. चौधरी
महाप्रबंधक (वित्त)

हस्ता/-
सी. ए. सुधीर सुराणा
सदस्यता क्रमांक : 043414

हस्ता/-
एम. ए. वी. गौतम
निदेशक (वित्त)

हस्ता/-
के. जे. सिंह
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान : नागपुर
दिनांक : 25 मई, 2012

व्यापार खण्ड विशयक जानकारी

लेखांकन मानक-17 के अनुसार कंपनी ने खण्ड रिपोर्टिंग पर तीन व्यापार खण्डों, अर्थात् खनन, विनिर्माण और बिजली उत्पादन को मान्य किया है।

रूपये लाख में

क्र.	विवरण	खनन		विनिर्माण		बिजली निर्माण		विलोपन		समेकित	
		2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
		₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹
1	**राजस्व**										
	(a) बाहरी बिक्री (सकल)	81039.40	106924.99	8682.64	6773.74	846.09	832.49	0.00	0.00	90568.13	114531.22
	(b) आंतर खण्ड बिक्री	904.67	842.23	0.00	0.00	570.08	421.17	-1474.75	-1263.40	0.00	0.00
	(c) कुल राजस्व	81944.07	107767.22	8682.64	6773.74	1416.17	1253.66	-1474.75	-1263.40	90568.13	114531.22
2	**परिणाम**										
	(a) खण्ड परिणाम	37549.70	72072.24	2479.26	1268.41	302.15	125.11	0.00	0.00	40331.11	73465.76
	(b) अन्य आय (राईट बॅक मिलाकर)	20331.70	14064.02	0.00	0.00	0.00	485.40	0.00	0.00	20331.70	14549.42
	(c) कुल खंड परिणाम	57881.40	86136.26	2479.26	1268.41	302.15	610.51	0.00	0.00	60662.81	88015.18
	(d) कर पूर्व लाभ									60662.81	88015.18
	(e) आयकर हेतु प्रावधान									20401.08	30343.08
	(f) विलंबित कर देयताएं									-814.96	-1133.48
	(g) कर पश्चात लाभ									41076.69	58805.58
क्र.	विवरण	खनन		विनिर्माण		बिजली निर्माण		विलोपन		समेकित	
		31.03.2012	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2011
3	**अन्य जानकारीः**										
	(a) खण्ड परिसंपत्ति	31597.18	27093.94	2539.43	3097.51	5410.10	6438.91	234113.53	207487.79	273660.24	244118.15
	(b) खण्ड देयताए	7058.42	5998.62	284.76	319.72	370.99	420.54	21815.53	24549.78	29529.70	31288.67
	(c) पूंजीगत खर्च	4058.85	4724.69	47.89	72.18	0.00	0.00	73.97	83.25	4180.71	4880.12
	(d) समाप्त वर्ष के लिए मूल्य ह्रास	1913.84	2171.90	71.01	72.56	1006.71	1006.71	0.00	0.00	2991.56	3251.17

नोट : उत्पन्न बिजली के लिए बिजली बिलों में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा दिए गए क्रेडिट की राशि से खपत के यूनिटों का बिजली शुल्क समेकित किया गया है तथा खण्ड राजस्व तक पहुंचने के लिए इसे बिजली निर्माण यूनिट के आंतर खण्ड राजस्व के रूप में मान्य किया है।.

#आबंटित पूंजीगत व्यय, निगमित संपत्ति तथा निगमित देयताएं शामिल है।

सामाजिक सुख-सुविधाओं का विवरण - वर्ष 2011-12 के लिए व्यय एवं आय

क्र.	विवरण	चालू वर्ष				जोड़	
		वसाहत	शिक्षा	चिकित्सा #	कल्याण $	2011-12 के लिए	2010-11 के लिए
		₹	₹	₹	₹	₹	₹
1	वेतन एवं मजदूरी	5507080	6482571	7317662	45881936	**65189249**	40415161
2	भविष्य निधि में अंशदान	428175	487351	436379	4039464	**5391369**	4579391
3	भंडार सामग्री खपत	788107	1135644	581171	5777930	**8282852**	11933223
4	बिजली	11445264	93541	679923	6265457	**18484185**	17380399
5	औषधि एवं इंजेक्शन	0	0	7706446	671	**7707117**	6659533
6	विविध व्यय	208983	3638655	9612487	55775005	**69235130**	51197149
7	ठेकेदार-इमारत/अन्य मरम्मत	15288846	365432	63523	8366856	**24084657**	34296260
	उप जोड़ ए	33666455	12203194	26397591	126107319	**198374559**	166461116
8	मूल्यह्रास	16336528	2506431	1570257	142240	**20555456**	20309320
9	ब्याज	0	0	0	0	**0**	0
	उप जोड़ बी	16336528	2506431	1570257	142240	**20555456**	20309320
10	कुल व्यय (एबी) उप जोड़ सी	50002983	14709625	27967848	126249559	**218930015**	186770436
	घटाएं:						
	बिजली से आय	189671	0	0	374733	**564404**	568964
	शाला बस से प्राप्ति	0	237495	0	23810	**261305**	320573
	क्रीडा/चिकित्सा/अन्य हेतु कल्याण आयुक्त से प्रतिपूर्ति	125646	0	0	0	**125646**	143675
	उप जोड़ डी	315317	237495	0	398543	**951355**	1033212
11	शुद्ध व्यय (सी-डी)	49687666	14472130	27967848	125851016	**217978660**	185737224
	* सांविधिक आवष्यकताओं से अधिक और उपर	# सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों सहित					

टिप्पणी

माननीय इस्पात मंत्री को लाभांश धनादेश सौंपते हुए मॉयल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक।

महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री को लाभांश धनादेश सौंपते हुए मॉयल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक।

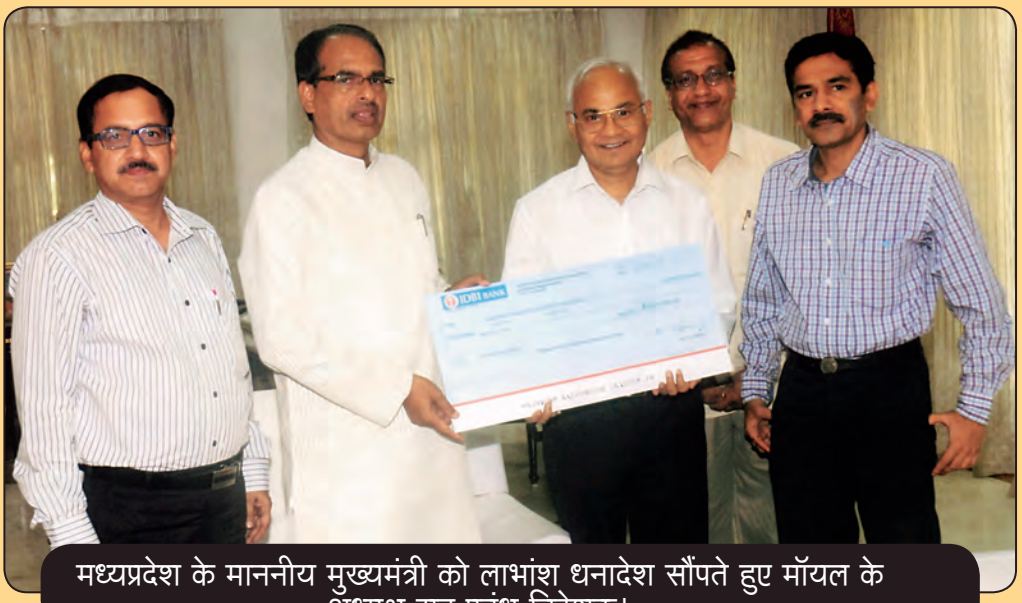

मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को लाभांश धनादेश सौंपते हुए मॉयल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक।

मॉयल लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

मॉयल भवन, 1-ए, काटोल रोड,
नागपुर - 440 013
www.moil.nic.in

Designed and printed by
Magna Graphics (India) Ltd.